विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मंडल	3
2	शेयरधारकों को सूचना	4 - 6
3	अध्यक्ष का संदेश	7
4	निदेशकों का प्रतिवेदन	8 - 42
5	स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	43 - 52
6	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	53
7	तुलन पत्र	54 - 55
8	लाभ एवं हानि का विवरण	56
9	नकद प्रवाह का विवरण	57 - 58
10	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	59
11	कंपनी सूचना, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉं एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियॉं	60 - 113

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बीबीजे में निदेशकों की सूची

नाम	अवधि
सुंदर बनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पूर्ण वर्ष
श्री सुंदर बनर्जी निदेशक (तकनीकी)	पूर्ण वर्ष
श्री आर.के. मित्रा निदेशक (वित्त)	पूर्ण वर्ष
श्री एस.के. सिंह सरकारी निदेशक	पूर्ण वर्ष
श्रीमती बेला बनर्जी स्वंतत्र निदेशक	पूर्ण वर्ष
श्री तापस कुमार चटर्जी स्वंतत्र निदेशक	पूर्ण वर्ष

लेखा परीक्षक :	एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स सनदी लेखाकार
सॉलिसिटर :	फॉक्स एण्ड मण्डल, कोलकाता सैण्डर्सन्स एण्ड मोरगन्स, कोलकाता
बैंकर्स :	भारतीय स्टेट बैंक केनरा बैंक एसडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक येस बैंक
पंजीकृत कार्यालय :	27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001

शेयरधारकों के प्रति सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जा रही है कि दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक होटल हिन्दुस्तान इन्टरनेशनल, ए - 235/1, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 020, पश्चिम बंगाल में सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को 15:00 बजे निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए होगी –

साधारण काम-काज :

1. कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2019 को स्थित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु इसके अंश के तौर पर टिप्पणियाँ आदि सहित वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।

2. वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

3. वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

4. सरकारी आदेश से निदेशकों की नियुक्ति को नोट करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर एन मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001
दिनांक : 05 सितम्बर, 2019

द्रष्टव्य : बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को, अपने बदले में बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिपुरूष नियुक्त करने का अधिकार है और उक्त प्रतिपुरूष को कंपनी का सदस्य रहना आवश्यक नहीं है।

प्रतिपुरूष प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन : **यू70100डब्ल्यूबी 198जीओआई041286**

कंपनी का नाम : **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : **27, आर. एन. मुखर्जी रोड,मोदी बिल्डिंग, कोलकाता, पं.बं. 700001, भारत**

सदस्य (यों) के नाम :
पंजीकृत पता :
ईमेल आईडी :
फोलियो नं. / ग्राहक आईडी :
डीपी आईडी : लागू नहीं

मैं / हम उपर्युक्त नाम की कंपनी में ....शेयर के धारक होने के नाते कंपनी के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा निम्नलिखित को मेरे / हमारे तथा मेरी / हमारी ओर से .... को .... बजे, ... में आयोजित कंपनी के सदस्यों की 33 वी वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने (मतदान में) के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/ ते हूं / हैं।

1. नाम : पता : ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर :.., या उसके चूकने पर

2. नाम : पता : ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर :.., या उसके चूकने पर

3. नाम : पता : ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर :.., या उसके चूकने पर

और इस तरह के संकल्पों के संबंध में इसके किसी भी स्थगन निम्न रूप में दिए गए हैं :

संकल्प संख्या

1 …………

2 …………

3 …………

4 …………

राजस्व स्टाम्प चिपकाएं

……...... 2019 के ……....वें दिन हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर : …………………………….. (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भर कर एवं बैठक के प्रारंभ होने के पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

05 सितंबर, 2019 को शेयरधारकों के प्रति सूचना में परिशिष्ट

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक होटल हिन्दुस्तान इन्टरनेशनल, ए - 235/1, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 020, पश्चिम बंगाल में सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को 15:00 बजे, साधारण काम-काज के लिए बैठक बुलाने के लिए दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को जारी की गई हमारे सूचना से आगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) की टिप्पणियों को इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है। सीएण्डएजी के निदेशानुसार स्वतंत्र निदेशकों ने सीएण्डएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाये गये लेखा परीक्षा अवलोकनों को शामिल करके **संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन**, 23 सितंबर, 2019 प्रस्तुत किया है। यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, 23 सितंबर, 2019 उनके पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, अगस्त, 2019 का स्थान लेती है।

शेयरधारकों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा एवं स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 30 अगस्त, 2019 परिचालित किया जा चुका है।

उपरोक्त के मद्देनजर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के अंश के रूप में निम्नलिखित प्रस्तुत किए जा रहें हैं :

1. अध्यक्ष का संदेश,
2. निदेशकों का प्रतिवेदन अनुलग्नकों के साथ तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ,
3. **संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, दिनांक** 23 सितंबर, 2019 उनके पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, दिनांक 30 अगस्त, 2019 के स्थान पर

यह अनुरोध किया जाता है कि यहाँ संलग्न वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन के नए सेट के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पहले से ही परिचालित वार्षिक प्रतिवेदन के सेट को प्रतिस्थापित किया जाए।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

पंजीकृत कार्यालय :
27,आर एन मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001
दिनांक : 30 सितम्बर, 2019

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

प्रतिलिपि : सभी निदेशकों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों को

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी की 33 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सब का स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सीएंडएजी के मंतव्य और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट समेत 31 मार्च,2019 को समाप्त वर्ष हेतु और लेखा-परीक्षित लेखे और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी अनुमति के साथ, मैं उन्हें पठित समझता हूं।

इससे पहले कि मैं आज की बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त पर शुरुआत करूँ, मैं आपसे वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी के कार्य प्रदर्शन की संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा । चुनौतियों के बावजूद, कंपनी विगत वित्तीय वर्ष में 8,844 लाख रु० के प्रति 10,500 लाख रु० की प्रचालन आय प्रतिवेदित करने में सफल हुआ था जबकि समीक्षाधीन अवधि हेतु निवल लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 238 लाख रु० के निवल लाभ के प्रति 36 लाख रु. था।

शुद्ध लाभ में कमी के कई कारण अधिरोप्य हैं जिनमें मुख्य कारण वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यपालकों, गैर संघीकृत स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के वेतनमान में पुनरीक्षण तथा उच्च राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रचालन व्यय में वृद्धि है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने 1000 प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर लगभग 9% की दर से लाभांश की अनुशंसा की है जो कुल 1088.00 लाख बनते हैं तथा इसके अनुमोदन के लिए इसे शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लाभांश पे-आउट, निवेश और जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की पूंजीगत पुनर्संरचना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं।

कंपनी लागत में और कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न तरह के कदम उठा रही है। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी भविष्य में सतत विकास और वृद्धि के लिए विद्यमान क्षेत्रों और नए क्षेत्रों में भी व्यवसाय विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मध्यम से लेकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण तक, आंतसंरचना क्षेत्र भारत सरकार की प्रमुख नीति पहलों के मद्देनजर विकास हेतु व्यापक रूप से प्रगति करना जारी रखेगा।

कंपनी में औद्योगिक संबंध वर्षभर सौहार्दपूर्ण रहे।

कंपनी डीपीई ,भारत सरकार द्वारा जारी निगम प्रशासन दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है। नैगम प्रशासन दिशा-निर्देशों के तहत तिमाही व वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट बिना विलंब के, निर्धारित समय के भीतर डीपीई के साथ प्रस्तुत की जाती है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई (2018-19) की ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, बीबीजे ने निगम प्रशासन हेतु "उत्कृष्ट " ग्रेड प्राप्त किया है। नैगम प्रशासन पर विस्तृत रिपोर्ट कंपनी की निदेशक रिपोर्ट के अनुबंध में अलग से प्रकाशित किया गया है।

मैं, बोर्ड सदस्यों की ओर से, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्रीमती बेला बनर्जी और श्री तापस कुमार चटर्जी, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उनकी अवधि के दौरान 02.06. 2019 तक दिए गए मूल्यवान दिशा निर्देशों और महत्वपूर्ण अवदान बाबत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो तब से कंपनी मंडल में शामिल नहीं है। मैं इस अवसर पर निदेशक मण्डल में मेरे सहकर्मियों का कंपनी प्रबंधन में उनके मूल्यवान समर्थन और सहयोग प्रदान करने बाबत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

मैं भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों एवं भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, विनियामक तथा सांविधिक प्राधिकरण, शेयरधारकों, सीएंडएजी वह सांविधिक लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों और परामर्शक से प्राप्त हार्दिक समर्थन हेतु आभार प्रकट करता हूं तथा कंपनी के भविष्य के प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं।

मैं, पूरे बोर्ड मंडल की तरफ से, सभी स्तर के बीबीजे कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण हेतु आभार प्रकट करना चाहता हूं।

आप सभी को धन्यवाद

दिनांक : 30 सितम्बर,2019 — **सुंदर बनर्जी**

स्थान : कोलकाता — **अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक**

ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारकगण,
ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित खातों के साथ कंपनी के प्रचालन और कार्य प्रदर्शन पर 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए खुशी ही रही है।

1 वित्तीय विशिष्टताएँ

1.1 कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा के प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) के नियम 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन लागू प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन लागू प्रावधानों एवं उसके विस्तार तक तदुपरांत संशोधनों का अनुपालन किया जाता है। प्रथम इंडि एएस वित्तीय विवरण एवं इंडि एएस 101 पहली बार ''भारतीय लेखा मानकों को अपनाना' का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2017-18 में लागू किए गए थे, इंडि एएस के तहत प्रतिवेदन का यह दूसरा वित्तीय वर्ष है।

1.2 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया हैः-

(लाख में)

ब्यौरा	**2018-2019**	**2017-2018**
प्रचालन से राजस्व	10500.77	8844.06
अन्य आय	1464.77	1276.29
मूल्य ह्रास के पूर्व लाभ/हानि वित्तीय लागत, असाधारण मद व कर व्यय	361.29	695.99
घटाएँ : मूल्य ह्रास/परिशोधन /हानि	135.93	125.65
वित्तीय लागत, असाधारण मदों तथा कर व्यय से पहले लाभ / हानि	225.36	570.34
घटाएँ : वित्तीय लागत	65.47	108.41
कर व्यय से पूर्व लाभ / हानि	159.88	461.93
घटाएः कर व्यय (वर्तमान और स्थगित)	123.75	223.33
वर्ष हेतु लाभ /हानि	36.13	238.60

1.3 बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने विगत वर्ष के दौरान 10120.35 लाख के प्रति 11965.55 लाख का कुल लाभ प्राप्त किया, बाजार में मौजूदा मंदी के साथ, बी.बी.जे ने आवर्त एवं लाभप्रदता के मामले में वृद्धि को प्रोत्साहन देते हुए रेलवे और अन्य ग्राहकों से पारिश्रमिक आदेशों का सतत् लक्ष्य रखा।

1.4 समीक्षाधीन अवधि हेतु कर (पी.बी.टी.) पूर्व आपकी कंपनी का लाभ 2017-18 में 461.93 लाख के प्रति 159.88 लाख है।

1.5 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 238.60 लाख करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कर (पीएटी) के बाद लाभ 36.13 लाख है।

1.6 चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी एक बार फिर लगातार लाभ करने वाले तथा लाभांश का भुगतान करने वाले सी.पी.एस.ई. के ट्रैक रिकार्ड को बनाए रखने के अपने प्रयास में सफल रही।

2. पूंजीगत संरचना

2.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 31 मार्च, 2019 को प्राधिकृत पूंजी 34810 लाख तथा पेड-अप शेयर पूंजी 12086.05 लाख थी।

3. सामान्य प्रारक्षित

31 मार्च, 2019 को सामान्य प्रारक्षित 162.65 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1473.65 लाख) बनता है।

4. लाभांश

4.1 सुसंगत रूप में लाभ करने वाले तथा लाभांश का भुगतान करने वाले सीपीएसई के ट्रैक रिकार्ड को बराबर रखते हुए, आपकी कंपनी के बोर्ड निदेशकों की अगस्त 30, 2019 को आयोजित 145 वीं बैठक में 9% की दर से एक लाभांश, 1000 प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर सब मिलाकर लगभग 1088.00 लाख की सिफारिश की। लाभांश 30 सितंबर, 2019 को या उससे पहले शीघ्र ही होने वाली वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयर धारकों द्वारा इसको मंजूरी के बाद भारत सरकार के देय हो जाएगा।

4.2 लाभांश पर लाभांश वितरण कर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मौजूदा प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

4.3 लाभांश भुगतान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) पर दिशा-निर्देश के अनुसार, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी, किया गया।

5. प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण

5.1 कंपनी की संक्षिप्त रूपरेखा

5.1.1 भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में 17 सितंबर, 1986 को समाविष्ट, भारी उद्योग व लोक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार शेयर इक्विटी का 100% धारण करती है। बीबीजे की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकतानुसार तथा आई.ए.ओ. 9001:2008 प्रमाणन के तहत है, यह कंपनी डीएचआई के अधीन एक अनुसूची 'ग' केन्द्रीय लोक उपक्रम उद्यम है।

5.1.2 कंपनी निम्नलिखित व्यवसाय में संयुक्त हैः

- अभियंत्रण संप्राप्ति व निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - इस्पात पुल, और
- परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण कार्य

5.1.3 कंपनी द्वारा अपनायी गयी परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं।

5.2 बी.बी.जे के परिलक्षित दृष्टि लक्ष्य व उद्देश्यः

5.2.1 दृष्टि

"विशिष्ट प्रौद्योगिकी और लागत कुशल पद्धतियों के माध्यम से उच्च अभियंत्रण मानक सहित पुलों व अन्य अभियंत्रण चमत्कारों में नयापन, अभिकल्पन एवं निर्माण करना, सभी पणधारियों हेतु देखभाल और चिंता सहित लाभप्रद, उत्पादक, रचनात्मक, अनुपालन व आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना।"

5.2.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य

- संगठन कार्यान्वयन सहित एक विश्व स्तरीय प्रमुख अभियंत्रण परियोजना बनना,
- देश में और उसके बाहर प्रतिष्ठित पुलों और अभियंत्रण चमत्कारों का निर्माण।
- अभिनव, उद्यमशील बनने के लिए लगातार मूल्यवर्धन एवं वैश्विक बेंचमार्क प्राप्त करना।
- नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन एवं कर्मचारियों के सतत् क्षमता संवर्धन व कुल ग्राहक संतुष्टि के लिए वचनबद्ध।

5.3 उद्योग संरचना एवं विकास

5.3.1 वैश्विक अर्थ व्यवस्थाः

5.3.1.1 वैश्विक वृद्धि संकेतों के मध्य वैश्विक अर्थ व्यवस्था 2018 में 3.1 प्रतिशत के एक विस्तार के बाद, कैलेण्डर वर्ष 2019 और 2020 में लगभग 3 प्रतिशत की स्थिर गति से बढ़ती रहेगी। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और सम्भवनाएँ (डब्लूईएसपी) 2019 के अनुसार, विकास चुनौतियों का एक चिंताजनक संयोजन विकास को कम कर सकता है।

5.3.2 भारतीय अर्थ व्यवस्थाः

5.3.2.1 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी तीसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति बैठक, 2019-20 में 2019-20 हेतु वास्तविक जीडीपी वृद्धि का प्रक्षेपण जोखिम समानता संतुलन सहित- एच 2 हेतु 7.2 -7.5 प्रतिशत एवं एच.आईः 2019-20 हेतु 6.4-6.7 प्रतिशत – इसके जून के संकल्प में 7.0 प्रतिशत के प्रति कुछ निम्नगामी जोख़िम सहित- एच 2 हेतु 7.2-7.5 प्रतिशत तथा एच.आईः 2019-20 हेतु 5.8 – 6.6 प्रतिशत- 2019-20 हेतु 6.9 प्रतिशत तक नीचे संशोधित किया है। जीडीपी. वृद्धि प्रक्षेपण में गिरावट का समायोजन विभिन्न उच्च आवृति संकेतकों द्वारा किया गया था, जो घरेलू और बाहरी मांग दोनों स्थितियों के कमजोर होने की ओर इशारा करते थे, दूसरी और, एमपीसी का मानना था कि फरवरी, 2019 से मौद्रिक नीति में ढील का असर आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

5.3.2.2 भारत दुनियां में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसकी जारी रहने की उम्मीद है। समग्र अर्थव्यवस्था के समावेशी जीडीपी वृद्धि अच्छी होगी, एक मध्यम से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, आंतसंरचना क्षेत्र प्रमुख नीति पहलों के कारण विकास के लिए प्रमुख हेडरूम की पेशकश जारी रखेगा।

5.3.3 भारतीय आंतसंरचना क्षेत्र

5.3.3.1 आंचसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है, आंतसंरचना क्षेत्र भारत के समग्र विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भारत में निम्न स्तर का बुनियादि ढांचा तैयार करने के लिए सरकार से अत्यधिक ध्यान प्राप्त है। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर 2014 में 137 में से 2018 में भारत की रैंकिंग 24 हो गई है, सीआईआई अधिकारी के कथनानुसार देश में सतत् विकास के लिए 2022 तक आंतसंरचना में 50 ट्रिलियन रु. (777.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश की बड़ी आवश्यकता है। भारत बुनियादि ढांचे में अंतराष्ट्रीय निवेशकों से एक बड़ी रुचि से देख रहा है।

5.3.4 सरकारी पहलः

5.3.4.1 भारत सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह आंतसंरचना क्षेत्र, मुख्य रूप से राजमार्गों, नवीकरणीय ऊर्जा और शहरी परिवहन में अत्यधिक निवेश करेगी। बुनियादी ढ़ाचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार हर संभव पहल कर रही है। हम अगले पांच वर्षों में फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनमी बनने और उसके बाद अगले 8 वर्षों में टेन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की आंकांक्षा रखते है। इस विजन का प्रथम आयाम भौतिक निर्माण के साथ-साथ आंतसंरचना क्षेत्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होगा। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है और सरकार से उन नीतियों को शुरू करने के लिए गहन ध्यान केन्द्रित करता है जो देश में विश्व स्तर की आंतसंरचना के समयबद्ध निर्माण को सुनिश्चित करेगा। आंतसंरचना क्षेत्र में विद्युत पुल, बांध, सड़क और शहरी संरचनात्मक विकास शामिल हैं।

- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आंतसंरचना क्षेत्र बाबत केन्द्रीय बजट के तहत क्षेत्र हेतु 4.56 लाख करोड़ आबंटित कर आंतसंरचना में व्यापक बल दिया है।
- भारतीय रेल को केन्द्रीय बजट के तहत 66,786.67 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ। इस आबंटन में से 1,58,658 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 83,015.97 करोड़ आबंटित किए गए।

*स्रोतः- वार्षिक बजट 2019 और अन्य संबंधित रिपोर्ट

5.3.5 बी.बी.जे. हेतु संभावनाएँ

5.3.5.1 आंतसंरचना और रेलवे के विकास हेतु सरकार की दृष्टि से उत्कृष्ट वृद्धि अवसर सहित निर्माण क्षेत्र में बढ़ावा मिलने की सम्भावना है, आपकी कंपनी पुल/रोड निर्माण तथा सिविल निर्माण के आला क्षेत्र में अपने अनुभव, विशेषता और प्रतिभा के साथ अवसर का लाभ उठाने के लिए सही ढंग से प्रस्तुत है। अपने दूरस्थ स्थित सतत् निवास योजना के लिए भविष्य के निर्माण चैनलों, बाजार विकास को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की रणनीति अपने सभी पणधारियों हेतु दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने के लिए सक्षम है। आपकी कंपनी उद्देश्य आधारित और भविष्य के अनुकूल होने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

5.3.5.2 आपकी कंपनी भारत सरकार की नीतिगत उपायों के अनुरूप अपनी उत्पादन क्षमता में नियोजित वृद्धि के साथ अपने नीचे की रेखा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। इन सब में सड़क परियोजना, मेट्रो रेल परियोजनाएँ, स्टेशन भवन का निर्माण, ट्रैक बिछाने और आधुनिकीकरण शामिल हैं और आने वाले वर्षों में रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना में से अन्य और सम्भावनाओं की तलाश के अलावा पीएससी व्यवसाय मॉडल में विविधीकरण के माध्यम व्यापार के अवसरों का पता लगाना भी शामिल है।

5.3.5.3 आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों से वादा किये गये विकास दर के साथ पारम्परिक व्यापार प्रक्षेपवक्र से विविध क्षेत्र में आपकी कंपनी के कार्य-प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

5.3.5.4 भारत सरकार द्वारा आंतसंरचना पर निरंतर जोर देने के साथ, कठिन क्षेत्रों, यथा; उत्तर-पूर्व, बिहार, जम्मू व कश्मीर में काम करने की अपनी योग्यता समेत बीबीजे का भविष्य उज्ज्वल है जो इसे कठिन और जटिल कार्यों के लिए पंसदीदा संगठन की स्थिति में ले जा सकता है।

5.4 शक्ति और कमजोरी

5.4.1 शक्ति

- मजबूत ब्रांड जाकरूकता और प्रतिष्ठता, भारत में कुछ मेगा ब्रिजों के निष्पादित करने में बेहतर अनुभव, ब्रिजों, सड़कों व अन्य सिविल निर्माण परियोजनाओँ का प्रचालन।
- सिविल निर्माण और आंतसंरचना परियोजनाओं में मान्यताप्राप्त उद्योग निर्माता
- दशकों का अनुभव, सुदूर व सुगम्य क्षेत्र में काम करने का अनुभव।
- जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकार्ड।
- लागत ऊपरि के बिना परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- बेहतर ऑडर बुक स्थिति, इसके आकार के अनुरूप
- हमारे ग्राहकों, उप ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य पणधारियों के साथ आपसी विश्वास व सम्मान पर बने संबंधों को निभाना,
- लो अट्रीसन दर पर योग्य और अनुभवी कर्मचारी,
- सही निवल सम्पत्ति
- बीबीजे के पास योग्य और अनुभवी जन शक्ति है जो कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों में आला निर्माण परियोजनाओं को निष्पादित करने में सक्षम है,
- बहुत छोटे कर्जवाले हिस्से में प्रबंधित।

5.4.2 कमजोरी

- जैसा कि कंपनी अपने छोटे आकार के कारण वित्तीय बाधा का सामना करती है, इसलिए, बड़े कामों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं की विश्वसनीयता उपलब्ध नही हैं, जिससे ब्रिज, रोड तथा सिविल निर्माण आदि में मूल्यवान व्यवसाय खोता जा रहा है।
- वित्तीय और अन्य सीमितताओं के कारण बीओटी/बीओओ तथा अन्य प्रमुख परियोजना निष्पादन में प्रवेश करने में असमर्थता।

5.5 अवसर, खतरा और बाधाएँ

5.5.1 अवसर

- भारत में विश्वस्तरीय आंतसंरचना हेतु मांग
- निर्माण कंपनियों हेतु अवसर प्रस्ताव करते हुए "मेक इन इण्डिया" पहल विशेष रूप में रेलवे आदि अच्छी आंतसंरचना की मांग करेगी।

- सरकार की "100 स्मार्ट सिटी" पहल।
- आंतसंरचना क्षेत्र हेतु उच्चतर बजटीय आवंटन,
- प्रो-इंडस्ट्री नीति और पहलें, यथा – नैगम कर कम करना, आरईआईटी तथा आंतसंरचना निवेश न्यासों की स्थापना जो आंतसंरचना क्षेत्र आदि में बढ़ावा देंगी।
- भारत सरकार द्वारा आंतसंरचना कार्य में बल तथा सीमा क्षेत्र में विकास कार्य एवं उत्तर-पूर्वी राज्य के विकास कार्य
- सतह परिवहन हेतु आंतसंरचना विकास में जोर,
- प्रमुख भारतीय परियोजनाओं हेतु संयुक्त उद्यम/सहयोग,
- नये क्षेत्रों (जैसे भवन निर्माण, स्मार्ट मीटर लगाना आदि) में विविधता लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

5.5.2 खतरा

- आंतसंरचना में भारी निवेश ने बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के मालिकों को आकर्षित किया है जिन्होंने प्रतिस्पर्धा तेज कर दी है।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण मुनाफे में कमी आ सकती है।
- नामांकन के आधार पर व्यवसाय में कमी।
- मध्यस्थता और अदालती मामलों के कारण आकस्मिक देयताएँ।

5.5.3 बाधाएँ

5.5.3.1 यद्यपि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित कानूनी, फ्रेम वर्क के भीतर काम करना होता है, लेकिन एक सार्वजनिक लोक उपक्रम के रूप में आपके निगम को कुछ बाधाओँ (निजी क्षेत्र की कंपनी हेतु लागू नहीं) का सामना करना पड़ता है जो एक प्रतिस्पर्धी बाजार में इसके लिए नुकसानदायक है। कंपनी नार्थ ईस्ट और अन्य संकटजनक क्षेत्रों में काम कर रही है। जहाँ लोग शामिल होना नहीं चाहते। हालांकि बीबीजे लगातार लाभ कमाने और लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है, लेकिन भारत सरकार से प्रति गारंटी न मिलने की कमी एवं बैकों से बैंक गारंटी सीमित होने के कारण बीबीजे एक जांबाज तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपनी मुख्य क्षमता का योगदान करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है।

5.6 जोखिम और चिंताएँ

5.6.1 निर्माण उद्योग में, प्रमुख चिंता लागत मुद्रास्थिति है। परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और सरकारी नीति में परिवर्तन होते रहने के कारण समय और लागत में वृद्धि हो जाती है जिसकी भरपाई शायद ही ग्राहकों द्वारा की जाती है जिससे आपकी कंपनी घाटे में चली जाती है।

5.6.2 जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में काम का प्रचालन करने के दौरान कंपनी के कर्मचारियों और परियोजनाओं को जीवन, उदारता और संपत्ति के खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, यह राष्ट्र निर्माण-कार्य में प्रतिष्ठित कार्यों को निष्पादित कराने का गर्व महसूस दिलाता है, ऐसे स्थानों में कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा, सुविधा और बीमा कवरेज प्रदान करने के उपाय किये हैं।

5.6.3 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के अधीन जोखिम संबंधी ब्यौरे अधिक विस्तृत रूप में उल्लिखित हैं।

5.7 वर्तमान प्रचालनों, मामलों की स्थिति और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

5.7.1 अब नामांकन के आधार पर काम करने के बजाय, मंत्रालयों / सरकारी विभागों में सरकारी उपक्रमों के मध्य एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू की गयी है। बीबीजे कड़ी प्रतिस्पर्धा के तहत भी काम करने में सक्षम है। भारत सरकार ने 12वीं योजना में बुनियादी ढांचे के लिए भारी निधि आवंटित की है। भारत सरकार द्वारा निवेश का एक बड़ा हिस्सा एनईआर, मेट्रो ,एयर पोर्ट, स्मार्ट शहरों आदि के विकास के लिए है।

5.7.2 आपकी कंपनी भी नये क्षेत्रों जैसे सिविल आंतसंरचना,नये और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों आदि में भी विविधता लाने की योजना बना रही है। भारत सरकार द्वारा आंतसंरचना पर निरंतर जोर देने के साथ एवं कठिन क्षेत्रों में काम करने की क्षमता के साथ बीबीजे को एक पसंदीदा संगठन के रूप में माना जा सकता है जो आला, जटिल और मुश्किल कामों के लिए अवहित है। बड़ी संख्या में निर्माण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपनी के मार्जिन पर परिणामी प्रभाव डालता है।

5.8 प्रचालन कार्यप्रदर्शन के संबंध में वित्तीय कार्य प्रदर्शन पर विमर्श

5.8.1 बीबीजे रेलवे के लिए इस्पात पुलों का निर्माण व स्थापना हेतु अभियंत्रण, संप्राप्ति व निर्माण(ईपीसी) कार्यों में लगा हुआ है; इस एकल ग्राहक निर्भरता के परिणाम स्वरूप विगत में वित्तीय कार्य प्रदर्शन उच्च परिवर्तनशीलता आ गयी है।

5.8.2 व्यवसाय मॉडल को जोखिम विहीन बनाने के लिए. एक अलग पीएमसी स्कंध हाल ही में गठन किया गया है और जहाँ राजस्व सृजन अधिक स्थिर है।

5.8.3 कंपनी के वर्तमान व्यवसाय कार्य क्षेत्र नीचे दिये गये हैं :

ब्यौरे	**उत्पाद व सेवाएँ**	**ग्राहक / क्लाइंट**
अभियंत्रण संप्राप्ति व निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय – इस्पात पुल	निम्नलिखित पुलों का निर्माण : इस्पात पुलों, केबल स्टेड ब्रिज, पुराने पुलों का पुनर्वास, ब्रिज ग्रिडरों का निर्माण व आपूर्ति	इंडियन रेलवे, आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन, दिल्ली मेट्रो रेलवे निगम, हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर
परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) व्यवसाय – सिविल निर्माण कार्य,	निम्नलिखित का निर्माण : भवन आवासीय विद्यालय, सड़क	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नार्थ इस्टर्न कांउसिल (एनईसी), पश्चिम बंगाल फिशरीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बेनफिश

5.9 प्रचालन कार्यप्रदर्शन

5.9.1 आदेश बुक स्थिति

5.9.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी ने रेलवे परियोजनाओं से 17322.98 लाख और रेलवे परियोजनाओं के अलावा 1452.13 लाख के नये आदेश प्राप्त कर लिए हैं। कुल मिलाकर नये आदेश उत्कृष्ट रेटिंग हेतु डीएचआई द्वारा समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित 330 लाख के लक्ष्य के प्रति 18775.11 लाख हुए थे।

5.9.1.2 31 मार्च, 2019 को प्रभावी ऑर्डर बुक स्थिति ब्रिज परियोजना से 71098.60 लाख तथा सिविल परियोजना से 4115.49 लाख है जो कुल मिलाकर 75214.09 लाख बनते हैं।

5.9.2 विभिन्नता व भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

5.9.2.1 भविष्य के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा कंपनी को आगे आनेवाले वर्ष में और आगे बढ़ने की सम्भावना है।

5.9.2.2 दो व्यवसाय मॉडल, यथा; परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) तथा अभियंत्रण सम्प्राप्ति और ठेका (ईपीसी) के अधीन आपको कंपनी द्वारा विभिन्न उत्पाद लाइन हेतु कदम उठाय़े जाते हैं। मौजूदा उत्पाद मिश्र के अलावा सिविल अभियंत्रण और निर्माण परियोजनाएँ जैसे सभी आपकी कंपनी के व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत आती हैं और यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी, सीमित साधनों के साथ, कार्य हेतु अपेक्षित अनुभव, विशेषज्ञता व दक्षता सहित सड़क निर्माण, पुल व सिविल निर्माण कार्य से संबन्धित कार्य पहले ही निष्पादित कर चुकी है।

5.9.2.3 आदेशों के सफल निष्पादन के बाद अब आपकी कंपनी आगामी दिनों में इसी प्रकृति के और आदेश प्राप्त करने की उम्मीद करती है, जो उत्पादन और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार करेगी।

5.9.2.4 हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने बाजार परिदृश्य में आगे अपने अभियान में सुधार बाबत मणिपुर में दो पुलों के निर्माण हेतु एन एफ रेलवे से प्राप्त आदेश का निष्पादन कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि यह कार्य चुनौतीपूर्ण है, पर यह कंपनी की छवि को एक नये प्रोत्साहन देन की उम्मीद प्रदान करता है।

5.9.2.5 समझौता ज्ञापन / कंसोर्टियम के रूप में स्ट्रेटेजिक टाई- अप, आपकी कंपनी के निर्माण उद्योग के अन्य प्रमुख उद्योगों के साथ उच्च मूल्य निविदाओं हेतु बोली लगाने के लिए विचाराधीन है। यह नीति पहल मुख्य रूप से समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के माध्यम कंपनियों के बीच तकनीकी – आर्थिक तालमेल का पता लगाने के लिए है। तकनीकी रूप में सुसंगत होने के अलावा, यह प्रक्रिया समय के साथ कंपनियों और कंसोर्टियम के लिए फायदेमंद हो जाएगी और यह बॉटम लाइन के लिए मूल्य-वर्धन में परिणाणी होगा।

5.9.2.6 सिविल निर्माण में विविधता लाने के लिए, आपकी कंपनी ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 03 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु आदेश प्राप्त किये है, जैसे ही इन भवनों का निर्माण पूरा हो जाता है, आपकी कंपनी उच्च मूल्य निर्माण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हो जाएगी।

5.9.3 बीबीजे के पास निम्नलिखित तरीके से अपनी मुख्य क्षमता और उद्यम को नये व्यवसाय में मजबूती लाने की योजना है :

1) ईपीसी व्यापार में विपणन प्रयासों में वृद्धि

क) संयुक्त उद्यम के माध्यम : बीबीजे सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए अन्य अभिकरणों के साथ टाई अप / संयुक्त उद्यम करता है जहाँ बीबीजे अकेले भाग लेने के लिए पात्र नही होगा।

हाल ही में, बीबीजे ने आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के साथ एक असम्बद्ध संयुक्त उद्यम गठन कर प्रयागराज, इलाहाबाद (उ.प्र.) में गंगा ब्रिज के निर्माण बाबत आरबीएनएल द्वारा आमंत्रित एक निविदा में भाग लिया (कुल परियोजना लागत: रु. 398 करोड़)

ख) बीबीजे रेलवे आदि के विभिन्न अनुभागों की नयी लाइन / डबलिंग लाइन परियोजनाओं के निर्माण स्टेट कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत इस्पात पुलों के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे, आरवीएनएल, इरकॉन आदि द्वारा आमंत्रित बोलियों में नियमित आधार पर भाग लेता है।

2) पीएमसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धिः

बीबीजे, एक सीपीएसई होने के नाते, केंद्र और राज्य सरकारों / विभागों के लिए पीएससी के रूप में कार्य करने के लिए योग्य है। इस अवसर का पता लगाने के लिए, एक नये पीएमसी वरटिकल हाल ही में पीएमसी अनुबंधों को प्राप्त करने और क्रियान्वित करने के लिए अपना परिचालन शुरू किया। प्रतिभागी अन्य सीपीएसई हैं।

बीबीजे को पीएमसी आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से स्कूल भवन परिसर निर्माण हेतु 3 आदेश प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से, बीबीजे ने केवीएस के दो अदद पहले ही पूरे कर लिए हैं। बीबीजे ने एनईआरएसडीएस परियोजनाओं के अधीन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में प्रतिचिह्नित सड़कों हेतु निरीक्षण रिपोर्ट (1 अदद) एवं डीपीआर (06 अदद) की तैयारी हेतु, नामांकन पर, नर्थ इस्टर्न कांउसिल (एनईसी) से एक आदेश भी प्राप्त किया है, जो पूरा भी हो गया है।

बीबीजे भी विभिन्न सरकारी विभागों से पीएमसी आधार पर सिविल कार्य प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है।

5.10 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयोगिता

5.10.1 कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की प्रर्याप्त व्यवस्था है जो प्रबंधन को वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में मदद करती है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी लेन-देन अधिकृत, रिकार्ड किये गए और सही ढ़ंग से से रिपोर्ट किये गये हैं।

5.10.2 प्रबंधन उचित देखभाल करता है और परिसंपत्तियों की सुरक्षा,धोखाधड़ी और त्रुटि पता लगाने, सटीकता और लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता और विश्वसनीयता वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सुनिश्चित करता है।

5.10.3 चार्टर्ड एकांउटेंट के स्वत्रंत फार्मों द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है जो आवधिक तौर पर महत्वपूर्ण आंतरिक लेखा-परीक्षा करते हैं, उन पर महत्वपूर्ण लेखा – परीक्षा मंतव्य और सुधारात्मक कार्रवाई लेखा-परीक्षा समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं।

5.10.4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा भी आंतरिक लेखा – परीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की जा रही हैं।

5.10.5 लेखा की पुस्तकें भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पूरक लेखा-परीक्षा के अधीन हैं।

5.11 मानव संसाधन में सामग्री विकास, औद्योगिक संबंध फ्रंट, नियोजित लोगों की संख्या समेत :

इस खण्ड की विस्तृत रूप से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में कही की गई है।

5.12 पर्यावरण संरक्षण व प्रतिरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षम ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

इस खण्ड में विस्तृत रूप से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में कहीं की गयी है।

5.13 नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

इस खण्ड में विस्तृत रूप से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में कहीं की गयी है।

5.14 सावधानी विवरण

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्दश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करते हुये, जो प्रयोज्य नियमों व विनियमों के अर्थ के भीतर "आगे की ओर देखने वाले बयान" हो सकते है, वास्तविक परिणाण उन व्यक्त या निहित से पर्याप्त रूप में या भौतिक रूप में भिन्न हो सकता है, महत्वपूर्ण विकास जो कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते है में शामिल हैं - संरचनात्मक क्षेत्र में गिरावट, भारत और विदेशों में आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनिमय में उतार-चढ़ाव, कर कानून, मुकदमेबाजी और श्रम संबंध।

6 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

6.1 समझौता ज्ञापन वित्तीय और गैर वित्तीय मापदंडों के तहत विभिन्न लक्ष्यों और कार्य-प्रदर्शनों को निर्धारित करता है, जिनका आकलन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद वास्तविक उपलब्धियों के प्रति किया जाता है।

6.2 2018-19 हेतु समझौता ज्ञापन : आपकी कंपनी ने वर्ष 2018-19 हेतु भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये है। एमओयू स्कोर शीट पर बोर्ड द्वारा और अधिक उच्चतर व बेहतर रैकिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य प्रदर्शन के सुधारने बाबत विभिन्न तरह से विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया है।

7 बोर्ड समितियां और सूचना / प्रकटीकरण

7.1 निदेशक मंडल

7.1.1 सरकार के आदेश द्वारा श्री अर्नब चटर्जी को 24.04.2019 से निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री चटर्जी की नियुक्ति के पूर्व, सीएण्डएमडी समय-समय पर सरकारी आदेशों द्वारा कंपनी में निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार सम्हाले हुए थे।

7.1.2 डीएचआई द्वारा सरकारी आदेश के तहत, श्रीमती बेला बनर्जी, पूर्व सदस्य (तक.), रेलवे दावा ट्रिब्यूनल और श्री तापस कुमार चटर्जी, एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता को 03.06.2017 से प्रभावी सरकारी आदेश द्वारा 3 वर्षो की अवधि हेतु कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था। 03 वर्ष की सेवा-अवधि समाप्त हो जाने के बाद, श्रीमती बेला बनर्जी और श्री तपन कुमार चटर्जी 03.06.2019 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

7.1.3 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की 5 बैठकें हुई।

7.1.4 बोर्ड का गठन और अन्य समिति की बैठकों का विस्तृत विवरण, बैठकों की तिथि सहित उक्त बैठकों में निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति एवं अन्य अपेक्षित विवरण निगम प्रशासन रिपोर्ट के अधीन अलग से इस रिपोर्ट के सम्बद्ध और अंश स्वरूप में आवृत्त हैं।

7.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

7.2.1 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और धारा 2 (51) की शर्तों के अनुसार श्री नवीन कुमार मिश्रा ने, श्री साधन कुमार भट्टाचार्य, जो 31.01.2019 को कंपनी सचिव के रूप में सेवा निवृत्त होने के बाद 01.02.2019 से प्रभावी कंपनी के कंपनी सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

7.2.2 31.03.2019 को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा पूर्णकालिक निदेशक निम्नानुसार हैः-

I श्री सुन्दर बनर्जी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ii श्री रीतेन्द्र कुमार मित्रा – निदेशक (वित्त)

iii श्री गोरा चंद्र जश- महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में और,

iv श्री नवीन कुमार मिश्रा- कंपनी सचिव (सीएस)

7.2.3 सरकारी आदेश द्वारा, श्री अर्नव चटर्जी 24.04.2019 से पूर्णकालिक निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त हुए थे।

7.3 बोर्ड मूल्यांकन व बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

7.3.1 नैगम कार्य मंत्रालय, देखें अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई), ने अपने निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन से सरकारी कंपनियों को छूट दी।

7.3.2 गैर-कार्यपालक बोर्ड सदस्य उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, बोर्ड में उनकी उपस्थिति व्यावसायिक निर्णय लेने में लाभप्रद और फलदायी होती है। निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से अवहित कराने के उद्देश्य से कंपनी के समग्र विषय पर प्रजेन्टेशन दिए जाते हैं। इसके अलावा, निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य नैगम कानूनों के संबंध में अद्यतन विकास से अवगत रखा जाता है। बोर्ड को वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, चालू परियोजनाओं की स्थिति तथा विषय संबंधी अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रचालन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्य-सूची कागजात और ब्रिफिंग के माध्यम अद्यतन रखा जाता है।

7.4 निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

अधिनियम की धारा 134 के अनुसरण में, निदेशक यह प्रमाणित करते है कि :

(क) वार्षिक लेखों की तैयारी में सामग्री प्रस्थान (अगर कोई हो), से संबंधित उचित व्याख्या के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

(ख) उपर्युक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं सुसंगत रूप में लागू किया गया है और यह निर्णय व अनुमान लगाया गया है जो उचित और विवेकपूर्ण है, ताकि कंपनी के मामले की स्थिति के बारे में तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष बाबत कंपनी के लाभ एवं हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सके।

(ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव बाबत उचित व प्रर्याप्त व्यवस्था अपनायी गयी है।

(घ) वार्षिक लेखा चालू व्यवस्था आधार पर तैयार किये जाते हैं ;

(ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, तथा ऐसी प्रणालियां उपर्युक्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

7.5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

7.5.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) के अनुपालन में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा (एँ) प्राप्त हो गयी हैं कि अवधि के दौरान जिसमें वे कंपनी के निदेशक मंडल में थे हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के तहत यथा विनिर्धारित स्वतंत्रता मानदण्ड को पूरा करते हैं।

7.6 लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति तथा सीएसआर समिति:

7.6.1 बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन यथा अपेक्षित सदस्यों को मिलाकर कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार किया जाता है। कानून के तहत यथा अपेक्षित, संदर्भ शर्तों के अलावा, लेखा-परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों, जो वित्त और लेखे क्षेत्र का अनुभव रखते हों, समेत गैर-कार्यपालक निदेशकों को मिलाकर किया जाता है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समितियों और अन्य समितियों के संबंध में विस्तृत विवरण नैगम प्रशासन रिपोर्ट में भी दिये जाते हैं।

7.6.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, लेखा-परीक्षा समिति की 5 बैठकें हुई थीं।

7.6.3 आपकी कंपनी विभिन्न नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पारदर्शिता, जबावदेही, सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से लेखा-परीक्षा बैठक और अन्य बोर्ड स्तरीय बैठक आयोजित करती है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की पांच बैठक हो गयी हैं।

7.6.4 बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, बैठकें, उपस्थिति व अन्य विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के संबद्ध और अंश स्वरूप नैगम प्रशासनिक रिपोर्ट के अधीन आवृत्त किए जाते हैं।

7.6.5 स्वतंत्र निदेशकों की सेवा-समाप्ति के नतीजतन, सभी उपर्युक्त समितियाँ वर्तमान निदेशकों के साथ गठित की जाती हैं।

7.6.6 अंशकालिक सरकार नामिती निदेशक उपर्युक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। दो अन्य सदस्य निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) होते हैं।

7.7 संबंधित पार्टी लेनदेन

7.7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों से ठेका / व्यवस्था / लेन-देन नहीं किया था जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रावधानों के अनुसार सामग्री मानी जा सके।

7.7.2 संबंधित पार्टी के तहत आवृत्त नेमी लेनदेन इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में खुलासा और वर्णित किया जाता है।

7.8 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति व पारिश्रमिक) अधिनियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

7.8.1 कंपनी, भारत सरकार का एक उद्यम होने के कारण, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम,2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 197(12) के अधीन यथा वर्णित पारिश्रमिक व अन्य विवरण से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त है।

7.8.2 इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) व 5(3) के प्रावधानों का ध्यान आकर्षित करता कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

8 सूचना व सतर्कता फ्रेमवर्क, नीतियाँ प्रक्रिया :

8.1 गुणवत्ता आश्वासन / गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा

8.1.1 आपकी कंपनी अपेक्षित गुणवत्ता अनुरक्षित करने के लिए ठेके में यथा विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों और मानकीकृत विशिष्ट प्रक्रिया के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है। निरंतर सूचित करने तथा कार्यकारी आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के अंग स्वरूप, एक गुणवत्ता सुनिश्चयन / गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया अभ्यास के रूप मे पालन किया जाता है। निर्माण में सुरक्षा को हलके से नहीं लिया जाता है। वस्तुतः सुरक्षा सब समय निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकता के अनुसार प्रबंधन , आईएसओ 9001:2015 के अधीन प्रमाणित है।

8.1.2 वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मुख्यालय में मनाया जाता है जो गुणवत्ता स्कंध द्वारा आयोजित किया जाता है एवं परियोजना स्थल पर सुरक्षा की आवश्यकता उपलब्ध कराने के लिए इस अवसर पर सुरक्षा जागरूकता हेतु आम दिशा-निर्देश पढ़े जाते है।

8.2 जोखिम तत्वों की पहचान जो उसमें शामिल हों सहित कंपनी बाबत जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन को दर्शाता विवरण, अगर कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा हो।

8.2.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली नैगम और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और समेकित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन एक आम व्यावसायिक अभ्यास के रूप में समझा जाता है न कि निर्धारित समय में एक अलग कार्य के रूप में।

8.3 नैगम प्रशासन:

आपकी कंपनी अपनी लगातार समग्र कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नैगम, प्रशासन की बेहतर पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करती है। इन प्रयासों पर प्रकाश डालती नैगम प्रशासन रिपोर्ट डीपीई नैगम प्रशासन दिशा-निर्देश की शर्तों पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित, नैगम प्रशासन शर्तो को पूरा करने पर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है।

8.3.1 एक अभिन्न अंग होने के नाते, नीतिगत पहल कार्य-प्रक्रिया में जहाँ कहीं जरूरी और आवश्यक हो, जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत पहल उठायी गयी थी। आपकी कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के नियंत्रणों को समय-समय पर बोर्ड द्वारा नामित सदस्यों द्वारा गठित लेखा-परीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम परीक्षण किया जाता है।

8.4 सतर्क तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

8.4.1 कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों हेतु अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहित के उल्लंघन के बारे में वास्तविक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक बेहतर सतर्कता तंत्र तैयार किया गया है जिसमें निष्पक्ष रूप से मामलों के संचालन हेतु पेशेगत, ईमानदारी, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों कों अपनाते हुए विधिवत व्हिसल ब्लोअर नीति शामिल की गयी है।

8.4.2 नीति का उद्देश्य एक भयमुक्त वातावरण तैयार करना है। व्हिसल ब्लोअर नीति संबंधी विस्तृत विवरण नैगम प्रशासन रिपोर्ट में भी वर्णित है। व्हिसल ब्लोअर नीति को कंपनी के वेबसाइट पर भी डालने का प्रस्ताव है।

8.5 सूचना का अधिकार

8.5.1 कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त एक तंत्र है।

8.5.2 कुल 23 आवेदन प्राप्त हुए थे और उन सभी आवेदनों के जबाब कथित अधिनियम के तहत विनिर्धारित समय-सीमा के अन्दर दिये गय़े थे। आरटीआई के अधीन कोई भी आवेदन 31.03.2019 को जबाब के लिए लम्बित नही था।

8.6 सतर्कता

8.6.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सतर्कता क्रियाकलाप प्रभावी ढंग से प्रबंधित किये गये थे और कोई थी सतर्कता मामला लंबित या विचाराधीन नहीं था।

8.7 लेखागत नीति / मानक का पालन

8.7.1 वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु, कंपनी का वित्तीय विवरण इंडि एएस 101 के अधीन तैयार किया गया था। यह पहली बार कंपनी (लेखागत मानक) नियम 2015 के अनुपालन में भारतीय लेखा मानकों का अंगीकरण था। यह इंडि एएस के तहत तैयार वित्तीय विवरण की द्वितीय रिपोर्टिंग अवधि है।

8.7.2 वित्तीय विवरण के हिस्से वाली टिप्पणियों के अधीन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

8.7.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा अपेक्षित है तथा तदनुसार ऐसे लेखे और रिकार्ड बनाये और अनुरक्षित किये जाते हैं।

8.8 आंतरिक लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण

8.8.1 कंपनी के पास बेहतर नैगम प्रशासन बाबत, जोखिम प्रबंधन के प्रभावकता सुधार व अनुपालन हेतु कंपनी की नीतियों का अनुपालन,अपनी परिसम्पतियाँ की सुरक्षा व धोखाधड़ी की रोकथाम, सही व त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित व प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

8.8.2 कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कानूनी, वैधानिक तथा विनियामक अनुपालन आवश्यकता के अनुसार संचालित किया जाता है।

8.8.3 चार्टर्ड एकांउटेंट्स के फर्म, कंपनी में आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य को निष्पादित और उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्टो को कंपनी के प्रबंधन और लेखा-परीक्षा समिति को समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित क्षेत्रों मे सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा समग्र प्रणाली को मजबूत किया जाता है।

8.8.4 कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों, यथा- विपणन मैनुअल, क्रय व कार्य मैनुअल, सामग्री, भंडार, लेखा और निजी मैनुअल आदि को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न कोडों, मैनुअलों व प्रक्रियाओं के रूप में प्रर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं।

8.8.5 आंतरिक लेखा-परीक्षा योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और वित्तीय व प्रचालन प्रणाली के विषयों को भविष्य में सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक मजबूती प्रदान की जाती है।

9 लेखा-परीक्षक

9.1 2018-19 की लेखे पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

9.1.1 मेमर्स एआरएसके एण्ड कं., चार्टर्ड एकांउटेंट्स, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कंपनी के सांविधिक लेखा – परीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था।

9.1.2 वर्ष 2018-19 हेतु लेखे पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की योग्यता आदि लेखा के नोट में पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

9.1.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (सीए) के तहत यथा अपेक्षित धोखाधड़ी के संबंध में धारा 143 की उप-धारा (12) के अधीन लेखा-परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्टिंग नहीं कि गयी है।

9.2 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मंतव्य

9.2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक पर 31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के मंतव्य जो तदुपरांत पणधारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हैं।

9.3 सचिवीय लेखा परीक्षक एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

9.3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान जो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

9.3.2 कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी प्रयोज्य / अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

10 मानव संसाधन, महिला सशक्तिकरण और कल्याण गतिविधियाँ

10.1 मानव संसाधन

10.1.1 प्रचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए, संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने के लिए कठोर और सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

10.1.2 कर्मचारी केन्द्रिक पहल के माध्यम संगठन में कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मान्यता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित कर पुरानी नीतियों को संशोधित किया गया था। कंपनी में पारदर्शिता और प्रभावी संचार प्रणाली विकसित करने के लिए उत्कृष्ट मासं प्रणालियों के सृजन के प्रति अनेक कदम उठाए गए हैं तथा समझौता ज्ञापन प्रचालों को उचित प्रणाली के माध्यम विधिवत संशोधित किया जाता है।

10.1.3 कर्मचारियों से संबंधित किसी भी शिकायत को कम से कम समय में हल करने के लिए शिकायत समिति द्वारा कार्रवाई की जानी है, कर्मचारियों के क्रियात्मक और व्यवहार कौशल को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के बीच स्व-शिक्षण को प्रोत्साहन देने और कुशलता वर्धन हेतु विभिन्न स्तर पर विभिन्न मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी।

10.1.4 इसके अलावा, वर्तमान नवोन्मेषी और चुनौतीपूर्ण बाजार को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनसे संबंधित कार्य में आने वाली अद्यतन जानकारी / तकनीकों व परिवर्तनों से जागरूक करने तथा ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए जिससे कि वे एक टीम के रूप में समग्र संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुन्नत क्षमता और उत्साह के साथ कार्य कर सकें,आवश्यकता आधारित स्व-गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम / तकनीकी कार्यशालाओं की व्यवस्था की।

10.2 नैगम सामाजिक दायित्व; वर्ष के दौरान नैगम सामाजिक दायित्व पर कंपनी द्वारा उठाये गये विकसित एवं क्रियान्वित नीति के बारे में विस्तृत जानकारी।

10.2.1 समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने डीपीई/ सरकारी दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न महत्व की परियोजनाओं को प्रतिचिह्नित करने के लिए कदम उठाये हैं , और तदनुसार, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा हेतु नियुक्त अभिकरण के माध्यम व्यय किया एवं स्वच्छ भारत काष, स्वच्छ गंगा निधि हेतु अवदान दिया।

10.2.2 सरकारी जनादेश के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए देश के चिह्नित जिलों में योगदान करने की आवश्यकता थी और तदनुसार आपकी कंपनी ने हैलाकांडी जिले में कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रति सीएसआर व्यय किया।

10.2.3 अगले वर्ष के लिए सीएसआर के लिए निर्धारित राशि को कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार खर्च किया जाएगा।

10.2.4 कंपनी (नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अधीन यथा अपेक्षित सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध में रखा गया है।

10.2.5 कंपनी की सीएसआर नीति हेतु वेब लिंक https://www.bbjconst.com है।

10.3 महिला सशक्तिकरण

10.3.1 लैंगिक समानता को महत्व देते हुए कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। वेतन भुगतान, कार्य के घंटे, स्वाश्थ्य, सुरक्षा, कल्याण पहलुओं एवं मातृत्व लाभ, आदि - जैसे मामलों में महिला कार्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक उपायों /सांविधिक प्रावधानों को लिखित एवं भावना रूप में कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है।

10.4 समाज के गरीब तबकों का कल्याण

10.4.1 फैक्टरी अधिनियम, 1948 में यथा विनिर्दिष्ट सांविधिक कल्याण सुविधाएं और इसके तहत बनाए गए नियम, सरकारी नीति तथा दिशा-निर्देश के अनुरूप अनु.जा., अनु.ज.जा. व अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण नीति समेत सांविधिक कल्याण सुविधाओं के अलावा कमजोर तबकों के कल्याणार्थ कंपनी द्वारा प्रशासित किए जाते हैं।

10.5 एमएसएमई को सहायता/प्रोत्साहन

10.5.1 वर्ष 2018-19 हेतु प्रिटिंग, टोनर आदि समेत स्टेशनरी की कुल खरीद में से, अपेक्षित संप्राप्ति एमएसएमई के मार्फत की गयी थी। 45 दिनों से अधिक की एक अवधि हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में आपूर्तिकारों को कोई भुगतान शेष नहीं था।

10.5.2 सामान व समर्थन सामाजित कल्याण संगठनों को चरणबद्ध तरीके से जरूरत के समय उनसे चयनात्मक स्रोतों / सामग्री की सम्प्राप्ति एवं सेवाओं के माध्यम मुहैया करवाए गए थे।

11 अन्य प्रकटीकरण

11.1 कानूनी अनुपालन

11.1.1 बोर्ड को एजेंडा नोट के मार्फत नियमित आधार पर सांविधिक और अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालन अवगत कराया जाता है। बोर्ड को उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा उठाये गए सुधारात्मक कार्य और सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त नोटिस, अगर कोई, से भी अवगत कराया जाता है।

11.2 कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (विशेष रोकथाम व उपचार) अधिनियम, 2013

11.2.1 (क) कंपनी के कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं उपचार) अधिनियम, 2013 के अधीन आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन किया है। आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की छानबीन करने तथा स्पष्ट समय-सीमा सहित निष्पक्ष जांच प्रक्रिया करने में सक्षम है।

(ख) कार्य स्थल पर महिला ग्रौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं उपचार) अधिनियम, 2013 के अधीन यथा अपेक्षित मामलों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(i)	वित्त वर्ष के दौरान दायर शिकायतों का संख्या	शून्य
(ii)	वित्त वर्ष के दौरान निपटाएं गये शिकायतों की संख्या	शून्य
(iii)	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

11.3 ऋण, गारंटी या निवेश

11.3.1 विवेचनाधीन अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी व निवेश नहीं किया गया था जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन जिनका अनुमोदन अपेक्षित है। ऋण गारंटी व निवेश वित्तीय विवरण और उसके टिप्पण अंश स्वरूप उसके अधीन आवृत्त किए जाते हैं।

11.4 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक हेतु आचार संहिता

11.4.1 आपकी कंपनी में नीतिगत ढांचा अच्छी तरह परिभाषित किया जाता है जिसमें जिम्मेदारी, कर्तव्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी सहित कंपनी की व्यवसाय नैतिकता संचालित करने के उद्देश्य के साथ नैतिक पेशेवर आचरण हेतु सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुपालन बाबत प्रक्रिया का उल्लेख है। संहिता कंपनी के वेवसाइट www.bbjconst.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता का अनुपालन किया है।

11.4.2 डीपीई द्वारा सीपीएसई नैगम प्रशासन पर दिशानिर्देश के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन पर अध्यक्षता व प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

आचार संहिता पर घोषणा

डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 2010, दिनांक14 मई, 2010 के लिए नैगम प्रशासन पर दिशानिर्देश के खंड 3.4.2 के संदर्भ में, मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक आधार पर कथित दिशानिर्देश के तहत यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अनुपालन का पुष्टि की है।

हस्ताक्षर :
(सुन्दर बनर्जी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06862063

11.5 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11.5.1 कंपनी में हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु लिए गए उपाय

11.5.1.1 हिन्दी के प्रगामी उपयोग हेतु हेतु, सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी को अपने 80% कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जा चुका है। बचे हुए कर्मचारियों को भी चरणबद्ध तरीके से हिन्दी में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यालयीन कार्य में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए माह सितंबर, 2018 में आयोजित "हिन्दी पखवाड़ा" के दौरान विभिन्न तरह की हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित आधार पर आयोजित होती हैं। प्रत्येक तिमाही में कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु कंप्यूटर में हिन्दी भाषा सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाता है। कर्मचारिय़ों के प्राज्ञ (उच्चस्तरीय) हेतु हिन्दी में पुन: प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो एक सतत् प्रक्रिया है। अपने कर्मचारियों और पणधारियों के बीच हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए "बीबीजे दर्पण" राजभाषा गृह पत्रिका का प्रकाशन नियमित अंतराल पर किया जाता है।

11.5.2 पुरस्कार

11.5.2.1 अपने अवदान की पहचान बाबत, बीबीजे ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), कोलकाता, भारत सरकार से राजभाषा पुरस्कार एवं केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, कोलकाता से 'सर्वोत्कृष्ट राजभाषा शील्ड' प्राप्त किया है।

11.6 वार्षिक रिटर्न का सार

फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। धारा 92 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित, नैगम कार्य मंत्रालय के साथ इसे भरने के बाद कंपनी के वेबसाइट www.bbjconst.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

11.7 प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान सहायक कंपनियों, सहायक और संयुक्त कंपनियों तथा कंपनी के समग्र कार्य प्रदर्शन में उनके अवदान पर रिपोर्ट

भागीरथी ब्रिज निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएन) द्वारा प्रोमोट किया गया है। निष्क्रिय के रूप में नामिति निदेशक के पद के बाद बीबीजे द्वारा अपने निदेशक से संबंधित गलती को सुधारने या बीबीसीसीपीएल संयुक्त उद्यम करार और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार निदेशकों का फिर से नामांकन करने का अनुरोध किया गया था। अनेक बार अनुस्मारक भिजवाने के बावजूद, जीआईएल द्वारा कोई सुधार या निदेशकों का फिर से नामांकन नही किया गया। इस कारण से निदेशकों या पणधारियों की वैठक के आयोजन में गतिरोध है तबसे कथित बोर्ड मीटिंग या पणधारियों की बैठक आयोजित करने का कोई कोरम नहीं है।

फार्म सं 22 क, सक्रिय उक्त गतिरोध के कारण फाइल नहीं किया जा सका है एवं अतएव, कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय अननुपालित है।

बीबीसीसीपीएल वस्तुतः एक निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वितीय हुगली ब्रिज के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के पश्चात बाद अपने आधार को खोने के बाद, जिसके लिए इसे शामिल किया गया था। यहां कोई कर्मचारी नहीं है। बीबीसीसीपीएल के पक्ष में बीबीजे द्वारा रूटिन फाइलिंग और लेखा परीक्षा /सांविधिक खर्च किए गये थे।

11.8 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी व विदेश मुद्रा अर्जन और निर्गम

11.8.1 ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रणः

11.8.1.1 विवेचनाधीन वर्ष के दौरान, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाना जारी रहा। आंतरिक तंत्र के माध्यम, विभिन्न अवस्थानों पर अपने परियोजना स्थलों पर व्यवहृत संयंत्र से कार्बन एवं अन्य गैसों के उत्सर्जन स्तर को प्रबोधित करने के लिए इसकी नीतियों एवं प्रणाली की आवधिक जांच के माध्यम ऊर्जा संरक्षण हेतु कदम उठाएं जा रहे हैं।

11.8.1.2 अपने संसाधनों के सीमित उपयोग, विभिन्न स्थलों पर अपनी चालू परियोजनाओं के संपर्क प्रकृति व लघु अवधि सहित उक्त कार्य-स्थलों पर ऊर्जा संरक्षण उपस्कर में पूंजी निवेश के माध्यम वैकल्पिक स्रोतों का व्यवहार इस समय संभव नहीं है। तथापि भविष्य में संभाव्य तरीके में ऊर्जा संरक्षण के वैकल्पिक उपयोग बाबत रास्ते खोजें जाते हैं।

11.8.1.3विद्युत संरक्षण हेतु बेहतर तकनीकों को अपनाते हुए सभी नई निर्माण परियोजनाओं में ऊर्जा खपत को कम करने पर बल दिया जाता है। इसकी शुरुआत एलसीडी को एलईडी में बदलकर पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा, निष्पादित परियोजनाओं में से अधिकांश ऊर्जा मानकों के अनुरूप है, इनमें व्यवहृत सभी उपस्कर ऊर्जा क्षम है।

11.8.1.4 आपकी कंपनी समुदाय और इसके चतुर्दिक रहने वाले लोगों के लिए पर्यावरण हितैषी है। प्रासंगिक कानूनों के किसी अनुपालन हेतु प्राधिकारी या विनियामकों से कोई कारण बताओ या नोटिस प्राप्त नही हुई थी।

11.8.2 तकनीकी उपयोग

11.8.2.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरुआत से विगत तीन वर्षो के दौरान कोई आयातित तकनीक कंपनी द्वारा आयातित नहीं की गई थी।

11.8.2.2 नई प्रोद्योगिकी और उत्पाद के बारे में जागरूकता उसके उपयोग के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को बताया जा रहा है। नई और अभिनव प्रोद्योगिकी पर प्रजेन्टेशन दिए जा रहे हैं। विभिन्न कारकों के कारण पारंपरिक प्रकृति के कार्य, लागत और आकार बाधा आदि अनुसंधान व विकास कार्यकलाप जैस कार्य वर्तमान में कंपनी द्वारा नही लिए जा रहे है।

11.8.3 विदेशी मुद्रा आय एवं निर्गम

11.8.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा आय व निर्गम नहीं हुआ था।

12 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा विनिर्धारित प्रकटीकरण, समीक्षाधीन अवधि हेतु अप्रयोज्य

क्रम सं	ब्यौरे	मंतव्य
1)	सामग्री परिवर्तन और वचनबद्धताएं, अगर कोई, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के मध्य घटित हुई हैं जिससे वित्तीय विवरण व रिपोर्ट की तिथि संबद्ध है।	शून्य
2)	बोर्ड के अपने कार्य प्रदर्शन तथा उसकी समितियों और व्यक्तिशः निदेशकों को दर्शाने वाला एक ब्यान	**अप्रयोज्य** बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें सरकार का 100 प्रतिशत शेय़र धारण है। इसके अलावा निर्दिष्ठ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होता हैं।
3)	निदेशकों की नियुक्ती और पारिश्रमिक कंपनी की नीति	**अप्रयोज्य** बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमे सरकार का 100 प्रतिशत शेय़र धारण है। इसके अलावा निर्दिष्ठ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होता है।
4)	वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना में कोई परिवर्तन	शून्य
5)	शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का जारी	शून्य
6)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेय़र जारी	शून्य
7)	डिबेंडर बॉण्ड या अन्य अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का जारी	शून्य
8)	वारंट जारी	शून्य
9)	जमा विवरण	शून्य
10)	निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ)	विगत सात वर्षों में इस संबंध मे कोई अप्रदत्त लाभांश नहीं है।
11)	व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन; अगर कोई	शून्य
12)	वर्ष के दौरान कंपनियों के नाम जिनको अपनी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या संबंद्ध कंपनी होने से रोका गया है; या हुई हो	शून्य
13)	जमा राशि का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आता है	शून्य
14)	जमा राशि का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की आवश्यकताओं कें अनुपालन में नहीं है	शून्य
15)	विनियामक या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश का विवरण जो भविष्य में कंपनी के प्रचालन और चिंता की स्थिति को प्रभावित करते हैं।	शून्य

स्वीकृति

आपके निदेशकों ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष कर भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारतीय रेलवे, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, रेल विकास निगम लि. तथा पश्चिम बंगाल सरकार, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, तथा अन्य बैंकों को उनके निरंतर समर्थन, सहयोग व मूल्यवान सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता और ईमानदारी से धन्यवाद ज्ञापित करने की इच्छा व्यक्त की है।

आपके निदेशक आपकी कंपनी के प्रर्दशन को बेहतर बनाने में सभी कर्मचारियों के सहयोग और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। उनका लगातार समर्थन प्राप्त होता रहा है तथा आपकी कंपनी की चल रही सफलता और राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिज निर्माण उद्योग में इसके प्रमुख स्थान को बनाए रखने में निरंतर तत्पर रहेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सुंदर बनर्जी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06862063

दिनांक: 30 सितंबर, 2019
कोलकाता

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई केद्रीय सार्वजनीक क्षेत्र के उद्यमों के निमित्त निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों केअनुसार है ।

<table>
<tr><td>निगमित अभिशासन पर कंपनी का दर्शन</td><td colspan="3">कंपनी के दृष्टिकोण से निगमित अभिशासन का लक्ष्य शेयरधारकों के दीर्घकालीन शेयर मूल्य और कंपनी की संपत्ति पैदा करने की क्षमता को निम्नलिखित कार्यो के जरिए बढ़ाना :
• वरिष्ठ प्रबंधन को विवेकशील व्यवसायिक निर्णय एवं दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन ग्रहण करने में सहायता करना
• कंपनी के सभी निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता और पेशेवर गुणों को प्राप्त करना
• प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन
• निगमित अभिशासन में श्रेष्ठता निम्न के जरिए प्राप्त करना :-
1. निगमित अभिशासन पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप, जहां संभव है उत्कृष्ट बनाना
2. व्यवसाय संचालन को उच्च नैतिक मानक पर स्थापित करके कानून एवं नियमों का पालन करना
3. वर्तमान प्रणाली की आवधिक समीक्षा और नियंत्रण करते हुए उसका सुधार करना</td></tr>
<tr><td>निदेशक मंडल</td><td colspan="3">कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों को भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से नियुक्त किया जाता है।
31 मार्च, 2019 को कंपनी के निदेशक मंडल का विवरण नीचे दिया गया है :</td></tr>
<tr><td rowspan="5">निदेशक मंडल का गठन</td><td>निदेशकों के डीआईएन</td><td>नाम</td><td>श्रेणी</td></tr>
<tr><td>6862063</td><td>श्री सुंदर बनर्जी</td><td>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – कार्यात्मक निदेशक</td></tr>
<tr><td>2616837</td><td>श्री रितेंद्र कुमार मित्रा</td><td>निदेशक (वित्त) – कार्यात्मक निदेशक</td></tr>
<tr><td>8043768</td><td>श्री सुनील कुमार सिंह</td><td>निदेशक – भारी उद्योग विभाग (सरकारी नॉमिनी निदेशक)</td></tr>
<tr><td>07047271</td><td>श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस (कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 03.06.2019 से प्रभावी समाप्त हो गया है)</td><td>अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)</td></tr>
</table>

	07578870	श्री तापस कुमार चटर्जी (कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 03.06.2019 से प्रभावी समाप्त हो गया है)	अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)
	31 मार्च, 2019 के बाद निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :		
	8432581	श्री अर्णब चटर्जी सरकार के आदेश, भाउवि द्वारा जारी संदर्भ सं.12(08)/2007-पीई-III, दिनांक 23.04.2019 की शर्तों के अनुसार 24 अप्रैल, 2019 से प्रभावी निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किये गये हैं।	
	07047271	श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस सरकार के आदेश, भाउवि द्वारा जारी संदर्भ सं.8(15)/2004-पीई-III(वोल्यू..III), दिनांक 03.06.2016 की शर्तों के अनुसार कार्यकाल के समाप्त होने पर 03 जून, 2019 से प्रभावी अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वंतत्र निदेशक) नहीं रहीं ।	
	07578870	श्री तापस चटर्जी, सरकार के आदेश, भाउवि द्वारा जारी संदर्भ सं.8(15)/2004-पीई-III (वोल्यू..III), दिनांक 03.06.2016 की शर्तों के अनुसार कार्यकाल के समाप्त होने पर 03 जून, 2019 से प्रभावी अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वंतत्र निदेशक) नहीं रहें ।	
	कंपनी के निदेशक मंडल में दो अंश कालिक गैर सरकारी निदेशकों (स्वंतत्र निदेशक) के रिक्त स्थान भरे जाने के लिए भारी उद्योग विभाग से सरकारी आदेश की प्रतीक्षा है।		
आयोजित बैठकें (निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षा समिति)	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकें	बैठक संख्या तथा बैठक की तारीख	निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति
		139 वीं बोर्ड बैठक - 29.06.2018 को	सभी उपस्थित
		140 वीं बोर्ड बैठक - 01.09.2018 को	सभी उपस्थित
		141 वीं बोर्ड बैठक - 25.09.2018 को	सभी उपस्थित
		142 वीं बोर्ड बैठक - 21.12.2018 को	सभी उपस्थित
		143 वीं बोर्ड बैठक - 15.03.2019 को एवं 16.03.2019 को जारी	सभी उपस्थित
	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	47 वीं बैठक - 29.06.2018 को	सभी उपस्थित
		48 वीं बैठक - 01.09.2018 को	सभी उपस्थित
		49 वां बैठक - 25.09.2018 को	सभी उपस्थित
		50 वीं बैठक - 21.12.2018 को	सभी उपस्थित
		51 वां बैठक - 15.03.2019 को	सभी उपस्थित
	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित अन्य समिति की बैठकें	तृतीय बैठक – पारिश्रमिक समिति की बैठक - 29.06.2018 को	सभी उपस्थित
		द्वितीय बैठक – सीएसआर समिति की बैठक - 01.09.2018 को	सभी उपस्थित
		चतुर्थ बैठक – पारिश्रमिक समिति की बैठक - 25.09.2018 को	सभी उपस्थित
		पंचम बैठक – पारिश्रमिक समिति की बैठक - 21.12.2018 को	सभी उपस्थित
		तृतीय बैठक – सीएसआर समिति की बैठक - 15.03.2019 को	सभी उपस्थित

लेखा परीक्षा समिति	भूमिका और विचारार्थ विषय :	• सार्वजनिक उद्यमों पर निगमित अभिशासन के दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2 के एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 के अधीन उल्लिखित विशिष्ट मामलें देखना। • प्रबंधन, सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा निदेशक मंडल के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करना। • वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली एवं जोखिम संबंधित मामलों का आकलन करना।	
गठन, बोर्ड बैठकें एवं उपस्थिति	निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड बैठकों की उपस्थिति	
	श्री सुंदर बनर्जी	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
	श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
	श्री सुनील कुमार सिंह	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
	श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
	श्री तापस कुमार चटर्जी	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
गठन, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें एवं उपस्थिति	निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की उपस्थिति	
	श्री सुंदर बनर्जी	सदस्य नहीं	लागू नहीं
	श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
	श्री सुनील कुमार सिंह	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
	श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
	श्री तापस कुमार चटर्जी	05 बैठकें आयोजित	05 में उपस्थित
	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति एवं अन्य समितियों द्वारा की गई वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी सिफारिशें, जो अनिवार्य थे, उन्हें निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कर ली गयी थी।		
गठन, सीएसआर समिति की बैठकें एवं उपस्थिति	निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की उपस्थिति	
	श्री सुंदर बनर्जी	सदस्य नहीं	लागू नहीं
	श्री रितेंद्र कुमार मित्रा, सदस्य	02 बैठकें आयोजित	02 में उपस्थित
	श्री सुनील कुमार सिंह	सदस्य नहीं	लागू नहीं
	श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस,	02 बैठकें आयोजित	02 में उपस्थित
	अध्यक्षश्री तापस कुमार चटर्जी, सदस्य	02 बैठकें आयोजित	02 में उपस्थित
गठन, पारिश्रमिक समिति की बैठकें एवं उपस्थिति	निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठकों की उपस्थिति	
	श्री सुंदर बनर्जी	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
	श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
	श्री सुनील कुमार सिंह	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
	श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
	श्री तापस कुमार चटर्जी	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित उपर्युक्त सभी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता स्वंतत्र निदेशक द्वारा की गयीं।		

<table>
<tr><td>स्वतंत्र निदेशकगण</td><td colspan="4">सरकारी आदेशों से स्वतंत्र निदेशकों, जिन्हें संबंधित क्षेत्र/ पेशे में विशेषज्ञता प्राप्त है, की नियुक्ति की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों का प्रोमोटरों से न संपर्क है और न ही संबंध है और कंपनी से किसी आर्थिक संबंध भी नहीं है तथा आगे कंपनी की कुल मत देने की क्षमता से दो प्रतिशत या अधिक धारित नहीं करती है।

स्वतंत्र निदेशक से इस आशय की घोषणा हासिल की जाती है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशक की विशिष्टता पूर्ण करते हैं, जिसे संबंधित अवधि के लिए प्राप्त कर लिया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए शुल्क की राशि निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाता है एवं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित सीमा के अंदर है।</td></tr>
<tr><td>आचार संहिता</td><td colspan="4">निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का प्रारूप यथावर्णित, क्रियान्वित कर दी गयी है।

केंद्रीय लोक उपक्रमों 2010 के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्र. नि. द्वारा इस आशय की घोषणा कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक आधार पर कोड के अनुपालन की पुष्टि की है जिसे निदेशकों के प्रतिवेदन के अधीन दी गई है।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">साधारण निकाय की बैठक

पिछले तीन वर्षों की वार्षिक साधारण बैठकों (वा.सा.वै.) की विवरणी</td><td>वित्तीय वर्ष</td><td>बैठक संख्या एवं तारीख</td><td>समय एवं स्थान</td><td>विशेष संकल्प</td></tr>
<tr><td>2015-2016</td><td>30वीं वा. सा. वै.
25 अक्टूबर, 2016</td><td>14:00 बजे, 26, राजा संतोष रोड,
अलीपुर, कोलकाता-700027</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2016-2017</td><td>31वीं वा. सा. वै.
15 दिसंबर, 2017</td><td>12:.00 बजे, एच एच आई,
234/1, एजेसी बोस रोड,
कोलकाता-700020</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2017-2018</td><td>32वीं वा. सा. वै.
25 सितंबर, 2018</td><td>15:00 बजे, एच एच आई,
234/1, एजेसी बोस रोड,
कोलकाता-700020</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>वा.सा.वै. - 2016 एवं
वा.सा.वै. - 2017</td><td colspan="4">कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार से 30 सितम्बर के बाद संबंधित वर्षों के लिए 30वीं वा. सा. वै. एवं 31वीं वा. सा. वै. के आयोजन हेतु एक्सटेंशन के लिए उचित रूप से अनुमोदन लिया गया।</td></tr>
<tr><td>वार्षिक साधारण बैठक – 2018</td><td colspan="4">कंपनी के सदस्यों की 33 वीं वार्षिक साधारण बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप 30 सितंबर, 2019 को या पूर्व आयोजन करना है।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">अन्य प्रकटीकरण</td><td colspan="2">निदेशकों या उनके सगे संबंधियों के साथ भौतिक प्रकृति के लेन-देन जिसमें कंपनी के स्वार्थ में विवाद की संभावना है।</td><td colspan="2">शून्य</td></tr>
<tr><td colspan="2">संबद्ध पार्टी से लेन-देन करना।</td><td colspan="2">31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखा के साथ संलग्न द्रष्टव्य में बतायी गयी है।</td></tr>
</table>

	कंपनी की तरफ से अनुपालन न करना या इसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों	शून्य
	व्हिसिल ब्लोअर नीति एवं पुष्टि की किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने में बाधा नहीं दी गयी है।	यह पुष्टि की जाती है कि किसी को भी लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से रोका नहीं गया है।
	इन दिशानिर्देशों के अनुपालन करने की आवश्यकताओं के विवरण	अनुपालित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति – सरकारी आदेश के मुताबिक स्वतंत्र निदेशकों, यथा श्रीमती बेला बनर्जी एवं श्री तापस चटर्जी का कार्यकाल, 03.06.2016 से तीन वर्षों के लिए था। कथित स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भाउवि से नये नामांकन की प्रतीक्षा की जा रही है।
	इस साल और पिछले तीन सालों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रपति के निदेशों का विवरण और उसका अनुपालन।	अनुपालन के लिए कोई निर्देश लंबित नहीं है।
	लेखों में दिखाई गई खर्चे की मदें जो व्यवसाय के लिए नहीं थे।	शून्य
	निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन के व्यक्तिगत खर्च के लिए किया गया व्यय।	शून्य
संप्रेषण के साधन	— अनलिस्टेट सरकारी कंपनी होने से त्रैमासिक नतीजा किसी भी अखबार में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। — कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम दिखाये गये हैं। — पत्राचार का पता – 27,राजेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001	
लेखा परीक्षा के क्वालिफिकेशन्स	कंपनी का प्रयास है कि अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की दिशा में कंपनी कदम उठाये। कोई क्वालिफाईड होने पर उसके समर्थन में पर्याप्त व्याख्या दी गयी है, अन्यथा प्रबंधन के उत्तर के जरिये क्वालिफिकेशन को समर्थन दिया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर लेखा परीक्षा के अनुसार क्वालिफिकेशन संलग्न है।	
प्रशिक्षण	कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।	
निगमित अभिशासन लेखा परीक्षा	निगमित अभिशासन पर सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है तथा निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।	

कॉरपोरेट गवर्नेंश पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्यगण,
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001

हमने भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग एवं उसके अनुलग्नकों (यहां तत्पश्चात "मार्गनिर्देशों" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए गए केंद्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंश पर दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 में बताये अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी " के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की शर्तों की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए दिशा-निर्देशों में बताएं कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीके की पुनरीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह ना तो लेखा परीक्षा है और ना ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में एवं हमारी जानकारी एवं हमें दी गई स्पष्टीकरणों के मुताबिक, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने विहित दिशानिर्देशों का वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस शर्तों का अनुपालन की है।

हमें आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भविष्य की जीवनक्षम के बारे में न कोई आश्वासन है, न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यक्षमता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते एआरएसके एसोसिएट
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 315082ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30 अगस्त, 2019

\सुनील कुमार माहेश्वरी
भागीदार
(सदस्य संख्या 054049)

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को यथास्थित

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम-12(1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरा :

1.	सी आई एन	**यू 70100डब्ल्यूबी1986जीओआई 041286**
2.	पंजीकरण तिथि	**17 सितंबर, 1986**
3.	कंपनी का नाम	**दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**
4.	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	**कंपनी, शेयर द्वारा लिमिटेड / भारतीय सरकारी कंपनी**
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	**27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001** **फोन : 033-2248-5841/43 फैक्स : 033-2210 3961**
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	**नहीं**
7.	रजिस्ट्रार / ट्रांसफर एजेंट, कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क का ब्यौरा	**लागू नहीं**

II. कंपनी की मुख्य व्यवसायिक कार्यकलाप :

कंपनी की कुल कारोबार के 10% या अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यवसायिक कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद/ सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा की एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	पुल का फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन	4210	95% (करीब)
2	सिविल इंजीनियरिंग के अन्य कार्य	4100	5% (करीब)

III. नियंत्रक, सहायक एवं अनुषंगी कपनियों के विवरण

भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) द्वारा प्रवर्तित किया गया था। नॉमिनी निदेशक के निष्क्रिय हो जाने के बाद बीबीजे द्वारा इसके निदेशक की कमी को सुधारने के लिए या आर्टिक्ल्स ऑफ एसोसियेशन एवं बीबीसीसीपीएल की संयुक्त उद्यम करारनामे की शर्तों के मुताबिक जीआईएल द्वारा निदेशकों के ताजा नामांकन हेतु अनुरोध किया गया। कई अनुस्मारकों के वाबजूद जीआईएल द्वारा कोई सुधार या निदेशकों के ताजा नामांकन के लिए कुछ नहीं किया गया। इस कारण से निदेशक या शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने में गतिरोध उत्पन्न हुए क्योंकि निदेशक या शेयरधारकों की बैठकें आयोजित के लिए कोरम नहीं हैं।

कथित गतिरोध के लिए फार्म सं. 22, सक्रिय फाईल नहीं की जा सकी एवं इसलिए कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय, गैर-अनुवर्ती है।

वस्तुत: बीबीसीसीपीएल एक मृत संयुक्त उद्यम कंपनी है, इसने द्वितीय हुगली ब्रिज के निर्माण के उद्धेश्य पूरा हो जाने पर, जिसके लिए यह निगमित हुई थी ने आधार तत्व खो दी है।

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विघटन)

I श्रेणीवार शेयर धारित

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर									
1) भारतीय									
क. एकल/ संहिप (भारत के राष्ट्रपति जी का नॉमिनी)	0	2	2	0	0	2	2	0	0
ख. केंद्रीय सरकार (भारत के राष्ट्रपति जी)	0	1208603	1208603	100	0	1208603	1208603	0	0
उप-योग (क) (1):-	**0**	**1208605**	**1208605**	**100**	**0**	**1208605**	**1208605**	**100**	**0**
2) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप-योग (क) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1) + (क) (2)	**0**	**1208605**	**1208605**	**100**	**0**	**1208605**	**1208605**	**100**	**0**
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. संस्थाएं उप-योग (ख) (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. गैर-संस्थाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप-योग (ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)= (ख) (1) + (ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग. जीडीआरो और एडीआरों के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	
सर्व योग (क+ख+ग)	**0**	**1208605**	**1208605**	**100**	**0**	**1208605**	**1208605**	**100**	**0**

ii. प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग

शेयरधारितों के नाम	वर्ष की शुरूआत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयर धारण में परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1. भारत के राष्ट्रपति जी	1208603	100,00	0	1208603	100.00	0	0%
2. श्री सौम्येन नंदी (भारत के राष्ट्रपति जी का नामिनी)	1	0.00	0	1	0	0	0%
3. श्री स्वपन वंद्योपाध्याय (भारत के राष्ट्रपति जी का नामिनी)	1	0.00	0	1	0	0	0%
कुल	**1208605**	**100.00**	**0**	**1208605**	**100.00**	**0**	**0**

iii. प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (अगर कोई बदलाव नहीं हैं तो, कृपया स्पष्ट करें)
वि. व. 2018-19 के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हैं।

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों एवं जीआर एवं एडीआर के होल्डरों को छोड़कर) के शेयर होल्डंग पैटर्न:
शून्य

v. निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय कोर्मिक का शेयर होल्डिंग
शून्य

V. ऋणग्रस्तता :

कंपनी का ऋणभार बकाया / उपचित ब्याज समेत परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं है :

(लाख रु. में)

	जमा रहित प्रतिभूति ऋण	अप्रतिभूति ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तिता
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	0.56	326.80		327.36
ii) ब्याज बकाया परंतु चुकता नहीं	-	-	-	-
iii) ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	0.56	326.80		327.36
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन (ब्याज उपचित बकाया नहीं) :				
संयोजन	0.79	-		0.79
वियोजन	0.56	13.73		(14.29)
शुद्ध परिवर्तन	0.23	(13.73)		(13.50)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	0.79	313.07		327.59
ii) ब्याज बकाया परंतु चुकता नहीं	-	-	-	-
iii) ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	0.79	313.07		313.86

VI. निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक :

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अप्रनि) , निदेशक वित्त नि.(वि.) पारिश्रमिक :

(लाख रु. में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री सुंदर बनर्जी, अप्रनि	श्री रितेंद्र कुमार मित्रा, नि.(वि.)	कुल राशि
1	सकल वेतन (वार्षिक) (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अधीन वेतन के बदले लाभ	29.61	20.57	50.18
2	कमीशन, स्वीट इक्विटी, स्टॉक ऑप्शन एवं अन्यान्य	-	-	-
	कुल	29.61	20.57	50.18

ख अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक :

1. स्वतंत्र निदेशकों

(लाख रु. में)

पारिश्रमिक का विवरण	श्रीमती बेला बनर्जी	श्री तापस कुमार चटर्जी
बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क *	1.00	1.00
कमीशन	शून्य	शून्य
अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य

2. अंश कालीक सरकारी नॉमिनी निदेशक - कोई पारिश्रमिक नहीं

भारत सरकार के सरकारी नॉमिनी निदेशक, श्री सुनील कुमार सिंह को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक, कमीशन या शुल्क नहीं दिया गया।

3. मूल प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक :

(लाख रु. में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री जी.सी. यश, मप्र(वि)	श्री एस.के. भट्टाचार्या, कं.स. *	श्री एन.के. मिश्रा, कं.स.*	कुल राशि
1	सकल वेतन (वार्षिक)				
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन	25.36	32.67 *	9.17 *	67.20
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य				
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अधीन वेतन के बदले लाभ				
2	कमीशन, स्वीट इक्विटी, स्टॉक ऑप्शन एवं अन्यान्य	-	-	-	
	कुल	**25.36**	**32.67**	**9.17**	**67.20**

*वि.व. 2018-19 के दौरान, श्री साधन कुमार भट्टाचार्य, 31.01.19 तक कंपनी सचिव के तौर पर सेवा में रहें। श्री नवीन कुमार मिश्रा 06.09.2018 से प्रभावी बीबीजे में ज्वाइन किया एवं कंपनी सचिव के रूप में 01.2.2019 से प्रभावी कार्यभार ग्रहण किया । श्री मिश्रा का वेतन उनके कार्यग्रहण की तिथि से दी गई।

*चूंकि एमजीटी-9 वि.व. 2018-19 के लिए बनाया गया है, श्री साधन कुमार भट्टाचार्य का पारिश्रमिक 31.01.2019 तक अवधि के लिए है, इस दौरान उन्होंने कंपनी सचिव के तौर पर सेवाएं प्रदान की है।

VII. दंड / सज़ा / अपराधों की समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम का खंड	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / सजा / लगाया गया कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकारण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय]	अपील की गई, अगर कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड					
सजा	--------------------------- कुछ नहीं ---------------------------				
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशकों					
दंड					
सजा	--------------------------- कुछ नहीं ---------------------------				
कंपाउंडिंग					
ग. डिफाल्ट रूप से अन्य अधिकारियों					
दंड					
सजा	--------------------------- कुछ नहीं ---------------------------				
कंपाउंडिंग					

निदेशकों की रिपोर्ट का संलग्नक

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होने वाले सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

क्रम स.	ब्यौरे	अभ्युक्तियां
1	कंपनी की सीएसआर नीति की एक रूपरेखा जिसमें शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजना या कार्यक्रम के लिए वेबलिंक का संदर्भ शामिल है।	कंपनी की दृष्टि के अनुरूप, बीबीजे ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करने हुए सितंबर, 2017 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में सीएसआर नीति का अनुमोदन किया जिसमें निम्नलिखित शामिल थे : • सीएसआर परियोजना की योजना • बेस लाइन सर्वेक्षण • क्रियान्वयन प्रक्रिया • कार्यपालक अभिकरण हेतु निधियन, प्रबोधन और योग्यता मानदण्ड, • स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता व जन स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में. डीएचआई, 2013 के दिशानिर्देश तथा उसके बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का कड़ाई से पालन किया जाता है।
2	सीएसआर समिति का गठन	श्री सुनील कुमार सिंह, सरकार नामित निदेशक-अध्यक्ष श्री रीतेन्द्र कुमार मित्रा, निदेशक (वित्त) – सदस्य श्री अर्नब चटर्जी, निदेशक (तकनीकी)- सदस्य

3	विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	वित्त वर्ष 2015-16 : 44.40 करोड़ वित्त वर्ष 2016-17 :17.16. करोड़ वित्त वर्ष 2017-18 : 2.39 करोड़ (औसत निवल लाभ : रु. 3392.95 लाख)
4	विर्निधारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद 3 में राशि का दो प्रतिशत)	रु. 67.68 लाख + वर्ष 2017-18 के लिए अव्ययित राशि: रु.24.60 लाख (कुल संचयी: रु. 92.28 लाख)
5	वित्त वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण: i वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गयी कुल राशि; ii अव्ययित राशि, अगर कोई iii वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि पद्धति जिसका विवरण नीचे 'सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट' अनुबंध में विस्तृत रूप से दिया गया है।	I रु. 67.68 लाख + वर्ष 2017-18 के लिए अव्ययित राशि: रु.24.60 लाख (कुल संचयी: रु. 92.28 लाख) ii. कृपया इसके तहत "सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक" का संदर्भ ग्रहण करें। iii. कृपया इसके तहत "सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक" का संदर्भ ग्रहण करें.

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्ष या उसके कोई हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो अपने बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न किये जाने का कारण।

   लागू नहीं। सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में सीएसआर हेतु अगले वर्ष हेतु अग्रेनीत या पूरी राशि खर्च।

7. यह एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और प्रबोधन कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है:

सुन्दर बनर्जी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	श्री सुनील कुमार सिंह, (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक

क्रं सं	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे	राशि (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए खर्च नहीं की गई राशि समेत संचयी राशि)	परियोजना या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष:(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी:	प्रतिवेदनाधीन अवधि तक संचयी व्यय (प्रशासनिक व्यय समेत)	व्ययित राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	स्वच्छ भारत कोष	स्वास्थ्य		रु. 42.28 लाख	रु. 40.00 लाख	रु. 40.00 लाख	सीधे स्वच्छ भारत कोष में भेजा गया
2	स्वच्छ गंगा निधि	स्वास्थ्य		रु. 10.00 लाख	रु. 10.00 लाख	रु. 10.00 लाख	सीधे स्वच्छ गंगा कोष में भेजा गया
3.	स्कूलों को प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति i) रताकांडी एमवी स्कूल ii) 407 वियाला लोअर प्राइमरी स्कूल iii) निताई राम एलपी स्कूल	शिक्षा	हैलाकांडी जिला, असम	i) रु.1.86 लाख ii)रु. 2.17 लाख iii)रु. 1.34 लाख	i)रु. 1.86 लाख ii)रु. 2.17 लाख iii)रु.1.34 लाख	रु. 5.37 लाख	एनजीओ लाइफ फाउंडेशन, होजई, असम
4.	स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य	हैलाकांडी जिला, असम	रु. 3.98 लाख अधिक स्वास्थ्य शिविरों के लिए 12.84 लाख रु.	रु.3.98 लाख अग्रेनीत किया जाए	रु. 3.98 लाख	एनजीओ लाइफ फाउंडेशन, होजई, असम
5.	सीएसआर प्रशिक्षण	कौशल विकास	हैलाकांडी जिला, असम	रु. 13.20 लाख	रु. 3.00 लाख*	रु. 3.00 लाख	एनजीओ लाइफ फाउंडेशन, होजई, असम
6.	प्रशासनिक व्यय			रु. 4.61		रु.1.06 लाख	
	कुल			रु. 92.28 लाख	रु. 62.35 लाख	रु. 63.41 लाख	

*** क्रं.सं. 5 (कॉलम नंबर 6): 3.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। कौशल विकास प्रशिक्षण जारी है। सफल गरीब महिलाओं को बुनाई मशीनों का वितरण उचित निरीक्षण के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किया जाएगा और उसके बाद 10.20 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान तदनुसार किया जाएगा।**

*** वित्त वर्ष 2018-19 के बाद सीएसआर खर्च के लिए 18.67 लाख रुपये की शेष राशि को अग्रेनीत किया जाना है।**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यगण

एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए अवलोकनों के आधार पर, यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकनों के अनुपालन हेतु 30 अगस्त, 2019 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट के बदले में तैयार की गई है।

योग्य राय :

हमने **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है तथा जिसमें 31 मार्च, 2019 को तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल हैं।

हमारी राय तथा हमारी बेहतर जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, ("अधिनियम") द्वारा जिस रूप में अपेक्षित हो, अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप मार्च 31, 2019 को स्थित कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसका लाभ एवं नकद प्रवाह का सच्चा व निष्पक्ष विचार प्रदान करता है।

योग्य राय हेतु आधार :

1. कंपनी की एक सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किये गये 486.30 लाख रु.(विगत वर्ष 486.30 लाख रु.) के निवेश के बारे में टिप्पणी संख्या 4 और 5932.96 लाख रु.(विगत वर्ष 5932.96 लाख रु.) ऋण के बारे में टिप्पणी संख्या 6 एवं उस पर प्राप्य / उपचित ब्याज की राशि है । यद्यपि बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है लेकिन प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश ऋण और कथित ब्याज पर प्राप्य / उपचित ब्याज को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा ऋणों और यथा पूर्व कथित प्राप्य / उपचित ब्याज हेतु हानि भत्ता हेतु कोई मूल्यांकन एवं तत्पश्चात प्रावधान 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।
2. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ('जेसीएल') में प्रतिवेदन तिथि को कंपनी द्वारा किए गए 25558.01 लाख रु. (विगत वर्ष 25558.01 लाख रु.) के निवेश के संबंध में टिप्पणी संख्या 4 है। यद्यपि जेसीएल परिसमापन के अधीन है लेकिन प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है एवं ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी हेतु कोई प्रावधान 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।
3. कंपनी का एक संयुक्त उद्यम, भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ('बीबीसीसीएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किये गये 0.30 लाख रु. (विगत वर्ष 0.30 लाख रु.) के निवेश के संबंध में टिप्पणी सं. 4 है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है तथा निवेशों के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।
4. कंपनी की सहायक कंपनी की एक सहायिका, वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यू आई एल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किए गए 656.03 लाख रु. (विगत वर्ष 656.03 लाख रु.) एवं उस पर प्राप्य / उपचित ब्याज 350.26 लाख रु. (विगत वर्ष 350.26 लाख रु.) के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 है। यद्यपि बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है, कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा उपचित ब्याज हेतु कोई हानि भत्ता 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।
5. कंपनी की पूर्ववती सहायक कंपनी, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा 207.25 लाख रु. (विगत वर्ष 207.25 लाख रु.) के ऋण के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 है। कंपनी के प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसा ऋण लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा उपचित ब्याज हेतु कोई हानि भत्ता 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

अगर उपर्युक्त अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 एवं 5 में संदर्भित 1 अप्रैल 2016 को (भारतीय लेखा पद्धति) अथशेष को यथा विद्यमान कमी और हानि भत्ते को एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया जाता तो 1 अप्रैल, 2016 को अन्य इक्विटी का खुलना 13,229 लाख रु. के प्रतिवेदित आंकड़े के प्रति 30,617 लाख रु. नकारात्मक आंकड़ा होता और प्रतिवेदन की तारीख को अन्य इक्विटी 9681.52 लाख के प्रतिवेदित आंकड़े विरूद्ध 53,529.01 लाख रु. नकारात्मक आंकड़ा होता और निवेश व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां क्रम से 3154.61 लाख रु. एवं 45437.63 लाख रु. प्रतिवेदित आंकड़े के विरूद्ध 110 लाख रु. एवं 4634.84 लाख रु. होते।

6. प्रचलित कानूनों के अधीन बिना अनुपालन के भारत सरकार को जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) के 6,81,34,428 इक्विटी शेयर विक्रय से प्राप्त 1818 लाख रु. की बिक्री आय के स्थानांतरण के संबंध में टिप्पणी संख्या 42 है। हम नतीजतन समयोजन पर मंतव्य करने में सक्षम नहीं हैं, जिसकी आवश्यकता उपर्युक्त मामले के संबंध में वित्तीय विवरण में अपेक्षित है।

7. टिप्पणी संख्या 48, कंपनी उनकी गैर-वसूली योग्यता को ध्यान में रखते हुए भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल') द्वितीय स्तरीय सहायक कंपनी ('सहायिकाएं') को प्रदत्त 6,588.99 लाख रुपये के ऋण पर उपचित ब्याज का लेखांकन नहीं की है क्योंकि उपर्युक्त सहायक कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं एवं कंपनी की पूर्व सहायक कंपनी,भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का ऋण 207.25 लाख रुपये है।

   आगे, कंपनी ने भारत सरकार से लिये गये 6589 लाख रुपये ऋण पर भुगतेय ब्याज नहीं दिया है जिसका उपयोग कंपनी की उपर्युक्त कंपनियों को ऋण मंजूर करने के लिए किया गया है। यदि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्त लागत हेतु दिया जाता तो 2158.30 लाख रुपये (विगत वर्ष 2025 लाख रुपये) अधिक होते और भारत सरकार को देय राशि, कुल ब्याज लेकर 48130.12 लाख रुपये अधिक होती, जिसे प्रतिवेदन की तिथि तक नहीं दी गयी है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ 2158.30 लाख रुपये कम होते (विगत वर्ष 2025 लाख रुपये) एवं उस पर ब्याज लेकर भारत सरकार को देय राशि 48130.12 रुपये अधिक होती।

8. आयकर विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर दिये 27.30 लाख रुपये की निर्विरोध आयकर मांग के बारे में टिप्पणी संख्या 49, जिसके खंडन के लिए कंपनी उपयुक्त दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाई है। कथित देयता सत्यापित नहीं है और इसे लेखांकन कन्वेंशन के मुताबिक दिया जाना चाहिए था। अगर उक्त देयता दिया जाता तो वर्ष के लिए लाभ 27.30 लाख रुपये कम होती एवं आयकर के लिए देयता उस राशि के समान अधिक होती।

9. सहायक कंपनियों से प्राप्य राशि समेत विभिन्न पार्टियों की ओर से प्राप्य वित्तीय विवरण राशि की टिप्पणी संख्या 50 में यथा प्रकटीकृत पुष्टिकरण और मिलान के अध्ययीन हैं। लंबित इस प्रकार की पुष्टिकरण तथा मिलान, वित्तीय विवरण पर उसका प्रभाव पता लगाने योग्य एवं परिमाणात्मक नहीं हैं।

10. 0.30 लाख रु. (विगत वर्ष 0.30 लाख रु.) की राशि भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 300 इक्विटी शेयर में निवेश हेतु शेयर प्रमाण-पत्र एवं 0.16 लाख रु. (विगत वर्ष 0.16 लाख रु.) की राशि ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 5% गैर रिडीम योग्य पंजीकृत डिवेंचर में निवेश हेतु प्रासंगिक दस्तावेज हमें भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार, हम इसके भौतिक अस्तित्व पर मंतव्य करने में सक्षम नहीं हैं।

11. कतिपय नकद शेष एवं बैंक शेष के बारे में टिप्पणी 51 जो संबंधित बैंकों की पुष्टि के अध्ययीन है। अगर वित्तीय विवरणों में इन शेष राशि के बारे में हानि के लिए प्रावधान किया जाता तो वर्ष के लिए 0.88 लाख रु. लाभ कम होता एवं नकद शेष 0.01 लाख रु. कम हुई होती तथा बैंकों में शेष 0.87 लाख रु. कम हुई होती।

लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखांकन पर मानकों (ले.मा.) के अनुरूप एकल भारतीय लेखा प्रणाली वित्तीय विवरण की हमने अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अधीन हमारा उत्तरदायित्व हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए आगे लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में बताया गया है। हम दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुरूप कंपनी से स्वंतत्र हैं, उसके साथ नैतिक आवश्यकताओं, जो अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं एवं हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखा परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित है।

अन्य सूचनाएँ

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये सूचनाएँ शामिल हैं परन्तु एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तथा उसपर हमारे लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन शामिल नहीं हैं।

हमारी राय एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर अन्य सूचनाएँ को लेकर नहीं हैं एवं हम उस पर किसी किस्म के आश्वासन के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के बारे में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं के पठन से है एवं ऐसा करते हुए हम विचार करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण के बारे में ऐसी अन्य जानकारी वस्तुपरक रूप से असंगत हैं या हमें लेखा परीक्षा के समय में ऐसी जानकारी में प्राप्त हुई है या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुपरक गलत बयानी की गयी है। यदि हम अपने किये कार्य पर आधारित इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारी में वस्तुपरक गलत बयानी की गयी है, जिसे हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी थी। हमें इस बारे में कुछ प्रतिवेदन नहीं देना है।

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

इन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों हेतु कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेवार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धारित लेखांकन मानकों समेत भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, इक्विटी परिवर्तन तथा नकद प्रवाह का सच्चा व स्वच्छ विचार प्रदान करता है। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख अनुरक्षित करना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन व लागू करना; निर्णयों तथा अनुमानों को तैयार करना जो युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण; जो लेखा अभिलेखों की शुद्धता व पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालनरत थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के अनुरूप धोखाधड़ी या त्रुटि से होनेवाली वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त एवं सत्य व उचित दृष्टि प्रदान करता हो, भी शामिल है।

प्रबंधन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए चालू कारबार के तौर पर जारी रखने, खुलासा करने, यथा प्रयोज्य, चालू कारबार से संबंधित मामले एवं लेखांकन की चालू कारबार के आधार पर उपयोग करने, जब तक प्रबंधन कंपनी को बंद करने या प्रचालन समाप्त करने का इरादा रखती हो, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न रहने पर कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख हेतु भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्धेश्य एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में यह उचित आश्वासन हासिल करना है कि ये पूर्ण रूप से वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे व धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऐसा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप संचालित लेखा परीक्षा हमेशा वस्तुपरक गलतबयानी, जहां मौजूद होने पर, का पता लगाये। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण पैदा हो सकती है और भौतिक समझा जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समष्टि रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद कर सके।

हम मानक लेखा के अनुसार लेखा परीक्षा के एक अंश के रूप में पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा समूचे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। :

- हम एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन भी करते हैं चाहे धोखाधड़ी, या त्रुटि, अभिकल्पना के कारण हो एवं उन जोखिमों के उत्तरकारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया निष्पादन करते हैं, और लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करते हैं, जो हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करता है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वस्तुपरक गलतबयानी का पता नहीं लगाने की जोखिम धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना के तौर पर त्रुटि सं होने वाली धोखाधड़ी से अधिक है।

- हम लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को परिस्थितियों के उपयुक्त बनाने के लिए लेखा परीक्षा के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की समझ भी हासिल करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है एवं इन नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावोत्पादकता पर अपनी हम राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

- हम उपयोग में आने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमान के औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों का भी मूल्यांकन करते हैं।

- हम लेखांकन के चालू कारबार के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर भी निष्कर्ष निकालते हैं, और हासिल किये गये लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित वस्तुपरक अनिश्चितता विद्यमान हैं जो कंपनी की चालू कारबार की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तुपरक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, अपना विचार संशोधन हेतु। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू कारबार के रूप में जारी रखना बंद करना पड़ सकता है।

- हम संपूर्ण प्रस्तुति, संरचना और एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की सामग्री का मूल्यांकन करते हैं , जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और चाहे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो स्वच्छ प्रदर्शन करता हैं।

हम अन्य मामलों में, अभिशासन पर आरोप लगाने वाले से संप्रेषण करते हैं, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धियों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम उन लोगों को भी अभिशासन के साथ एक बयान देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनसे सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संप्रेषण करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने हेतु उचित रूप से सोची जा सके, और संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ, जहां लागू हो।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन --

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) का आदेश ('आदेश') द्वारा अपेक्षित, हम "अनुलग्नक-क" में आदेश के 3 और 4 अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण, जहां तक प्रयोज्य है, प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में हम अपनी रिपोर्ट, कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि उपयुक्त विचार किया तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उप निर्देशों पर "अनुलग्नक-ख" में संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हम प्रतिवेदन करते हैं कि :---

   क) हमने जॉच की और सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे बेहतर ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ;

   ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित लेखे की उचित बही कंपनी द्वारा रखी गयी है जहॉं तक कि उन बहियों की हमारी जॉच से यह प्रतीत होता है ;

   ग) तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह का विवरण एवं इस प्रतिवेदन द्वारा निपटायी गयी इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं ;

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धारित, कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखांकन मानकों) के साथ पठित यथासंशोधित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

   ड) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2019 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यादनों के आधार पर यह रिकार्ड किया गया कि अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के मुताबिक निदेशकों में से कोई भी 31 मार्च, 2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

   च) कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं इन नियंत्रणों की प्रचालगगत प्रभावशीलता के बारे में, हमारे पृथक प्रतिवेदन **अनुलग्नक – ग** का संदर्भ लें।

   छ) कंपनियों (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) के नियमों, 2014 यथा संशोधित, के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय तथा हमारी बेहतर सूचना में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :--

      i. कंपनी ने अपनी एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है – एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 और टिप्पणी 40 का संदर्भ लें।

      ii. कंपनी ने दीर्घकालिक निर्माण ठेकों में प्रवेश किया है। कंपनी ने दीर्घकालिक ठेकों के अनिष्पादित हिस्से पर वित्तीय वर्ष के अंत में 90.66 लाख रु.(विगत वर्ष 104.79 लाख रु.) की अनुमान्य हानि हेतु जिम्मेदार है। कंपनी ने किसी व्युत्पन्न ठेके में प्रवेश नहीं किया है।

      iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई ऐसी अपेक्षित राशि नहीं है।

कृते एआरएसके एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 315082 ई
एस.के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. 054049

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23.09.2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - "क"

अनुलग्नक - "क" 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के सदस्यों के दिए हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के संदर्भ में है।

इस तरह की जॉंच जिसे हम उचित मानते हैं के आधार पर एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रतिवेदन देते हैं कि---

1. (क) कंपनी स्थायी परिसंपत्तियों का परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित करते हुए यथोचित अभिलेख रखी है।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल से किया गया है एवं कहा जा सकता है कि इस जाँच में कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

   (ग) भवन में कोलकाता पत्तन न्यास से लाइसेंस करारनामे के तहत सर्कुलर गार्डेन रीच रोड, कोलकाता में जमीन पर स्थायी संरचना 131.46 लाख रु. विगत वर्ष (125.72 लाख रु. राशि) शामिल है। कंपनी नियमित रूप से पट्टे का किराया दे रही है परंतु हमें बैनामा / करारनामे की प्रतियॉं नहीं प्रस्तुत की गयी है।

2. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन ने उचित अंतराल पर मालसूची का भौतिक सत्यापन कराया है और सत्यापन से कोई भौतिक फर्क नहीं पाया गया है।

3. हमें दी गई सूचनाऍं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अपनी सहायक कंपनी एवं वर्तमान में समापन के अधीन द्वि-स्तरीय सहायक कंपनी को अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं की है। इसलिए हम, उक्त आदेश की धारा-3(iii)[(क), (ख) और (ग)] के प्रावधानों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. कंपनी ने सहायक कंपनी को दिए अग्रिम ऋणों एवं सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम कंपनियों में किए निवेश के बारे में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन की है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अधीन आने वाली किसी पार्टी को कोई गारंटी या जमापत्र नहीं दी है।

5. कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अधीन किसी अन्य अनुरूप प्रावधानों के अर्थ से कोई सार्वजनिक जमा स्वीकृत नहीं की है।

6. केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन कंपनी द्वारा दी गई किसी सेवाओं के लिए लागत अभिलेख रखने को नहीं कहा है।

7. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जांच के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ मामलों में विलंब को छोड़कर भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य-बीमा, आय-कर, विक्रय-कर, संपत्ति-कर, सेवा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, माल एवं सेवा-कर, उपकर से संबंधित बकायों एवं इस पर प्रयोज्य अन्य अविवादित सांविधिक बकायों को यथोचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।

   हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को स्थित देय तारीख से छह माह से अधिक तक बकाये वाले निम्नलिखित को छोड़कर आय-कर, सेवा-कर, माल एवं सेवा- कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक बकाये के बारे में कोई अविवादित देय राशि बकाया नहीं थी।

क्रम सं.	बकाये की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	संबंधित अवधि
1	कर्मचारी भविष्य निधि	17 24	पुराने बकाया
2	पेशाकर	0.46	पुराने बकाया
3	स्रोत से संग्रहीत कर	0 16	पुराने बकाया
4	देय सेवाकर (पूर्ववती बीबीयूएनएल से संबंधित)	1.94	पुराने बकाया (विवरण उपलब्ध नहीं है)
5	स्रोत से कर की कटौती	1.55	पुराने बकाया
6	आय-कर मांग	0.21	1998-99

क्रम सं.	बकाये की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	संबंधित अवधि
7	आय-कर मांग	1.16	2005-06
8	आय-कर मांग	4 60	2006-07
9	आय-कर मांग	9.23	2007-08
10	आय-कर मांग	2.98	2008-09
11	आय-कर मांग	0.08	2012-13
12	आय-कर मांग	2.94	2013-14
13	आय-कर मांग	4.94	2014-15
14	आय-कर मांग	1.17	2015-16

7 (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, यथाप्रयोज्य, आय-कर, विक्रय-कर, भविष्य निधि के बकाये का ब्यौरा नीचे दे रहें हैं, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया एवं पीठ जहां विवाद लंबित है :

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधित अवधि	जिस मंच पर विवाद लंबित/ खारिज हो गया है	राशि (लाख रु. में)
1	पं. बं. विक्रय-कर	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	4.30
2	बिहार विक्रय-कर	कार्य ठेका कर	2010-11	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	33.25
3	बिहार विक्रय-कर	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	30.98
4	सेवा-कर मांग, धारा-75 के अधीन उस पर ब्याज (राशि निर्धारित नहीं) समेत और अधिरोपित दण्ड	वित्त अधिनियम, 1994	2007-08 से 2011-12	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं सेवा-कर अपीलीय ट्राइब्यूनल	154.45
5	पं.बं. वाणिज्य-कर	पं.बं. कार्य ठेका कर मांग	2014-15	अपीलीय प्राधिकारी	63.66
6	कर्मचारी भविष्य-निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	हरजाना/ ब्याज देय	03/2000 से 04/2008	भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का., कोलकाता, पं. बंगाल ने मांग की है। कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष अपील की है। मांग की राशि 96.10 लाख रुपये है एवं बीबीयूएनल भविष्य निधि ट्रस्ट संगठन के पास 41.96 लाख रुपये है।	54.14
7	पं.बं. विक्रय-कर	कार्य ठेका कर	1992	वाणिज्य-कर विभाग	4.26
8	पं.बं. वैट	कार्य ठेका कर	2005-06	अपीलीय प्राधिकारी	8.29
9	दिल्ली विक्रय-कर	कार्य ठेका कर	2004-2005	वाणिज्य-कर विभाग	19.36
10	पं.बं. वैट	कार्य ठेका कर	2005-2006	अपीलीय अधिकारी	27.39
11	पं.बं. वैट (सीएसटी)	कार्य ठेका कर	2009-2010	अपीलीय अधिकारी	3.58
12	बिहार जीएसटी	ट्रान 1 ब्याज	2017-18	अपीलीय अधिकारी	12.55

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधित अवधि	जिस मंच पर विवाद लंबित/ खारिज हो गया है	राशि (लाख रु. में)
13	पं.बं. वैट	प्रवेश कर	2016-17	अपीलीय अधिकारी	0.51
14	पं.बं. सीएसटी	कार्य ठेका कर	2016-17	अपीलीय अधिकारी	0.81
15	आय-कर	आय-कर मांग	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)	20.64
16	आय-कर	आय-कर मांग	2010-11	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	0.96
17	आय-कर	आय-कर मांग	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)	6.34
18	आय-कर	आय-कर मांग	2011-12	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	63.57
19	आय-कर	आय-कर मांग	2012-13	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	285.31
20	आय-कर	आय-कर मांग	2013-14	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	65.S7
21	आय-कर	आय-कर मांग	2013-14	आयकर अपीलीय ट्राईब्यूनल	58.68

8. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कपनी ने बैंकों एवं ऋणपत्र धारकों से ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान करने कोई बकाया नहीं रखी है एवं वित्तीय संस्थानों एवं सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं ली है।

9. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे सार्वजनिक ऑफर या आवधिक ऋण के रूप में धन संग्रह नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 के अनुच्छेद 3(ix) प्रयोज्य नहीं है।

10. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गयी या रिपोर्ट की गयी है।

11. नैगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(i) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

12. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) प्रयोज्य नहीं है।

13. कंपनी में संबंधित पार्टियों के लेन-देन में यथाप्रोज्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 से 188 का अनुपालन किया गया है तथा प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा यथाअपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में विवरणों का खुलासा किया गया है।

14. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी नहीं की है।

15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर कंपनी निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई नकद लेन-देन नहीं की है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(XV) प्रयोज्य नहीं है।

16. हमारी राय में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते **एआरएसके एण्ड एसेसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. – 315082ई
एस.के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या 054049

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 सितंबर, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक -"ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश	दिशानिर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
(I) **एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर** क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया चलाने के लिए सिस्टम है ? यदि हाँ, तो वित्तीय आशय, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अक्षतता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कार्यवाही का आशय बतायें।	कंपनी टैली ईआरपी 9 नामक एकाउंटिग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है एवं इसके जरिए सभी एकाउंटिग लेनदेन की प्रक्रिया करती है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्तमान में कंपनी द्वारा उपयोग की जा रही उपरोक्त एकाउंटिग सॉफ्टवेयर के बाहर कोई एकाउंटिग लेनदेन की प्रक्रिया नहीं की गई है।	शून्य
(II) कर्ज़ पुनर्गठन क्या कंपनी के ऋण की वापसी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के वर्तमान ऋणों का कोई पुनर्गठन या कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के परित्याग / बट्टे खाते लिखे गये हैं ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाये।	कंपनी के पास भारत सरकार, जो कि कंपनी का प्रवर्तक है से प्राप्त ऋण के अलावा कोई उधार नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।	शून्य
(III) सरकारी निधि / अनुदान का उपयोग क्या केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों के शर्तों के मुताबिक समुचित रूप से लेखांकन/ उपयोग होता है ? व्यतिक्रम वाले मामले की सूची दें।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई / प्राप्य नहीं है।	शून्य

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-''ग''

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने मार्च 31, 2019 को समाप्त **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संयोजन में उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी का प्रबंधन 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बताये गये आंतरिक नियंत्रण की आवश्यक संघटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण'' पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के क्रमिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, और समय पर विश्वसीनय वित्तीय जानकारी तैयार करना है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परीक्षा के लिए एक हद तक लागू समझी जाती है। दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो कि लेखा परीक्षा पर परियोजना दोनो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है।

नीचे दी गई राय अनुच्छेद के डिस्क्लेमर में वर्णित मामले की वजह से हम कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऊपर लेखा परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों का मतलब

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्धेश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनायी गयी है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में शामिल नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ जो (1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन एवं स्वभाव का उचित विवरण, शुद्धता व सही प्रतिबिम्ब प्रदान करती है; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती है कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए यथा आवश्यक लेन-देन का रिकार्ड किया जाता हो तथा कंपनी की प्राप्तियाँ तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के सिर्फ प्राधिकार के अनुरूप किये जा रहे हों; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण, व्यवहार या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना जो कि वित्तीय विवरणों पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ सकता हो।

राय का डिस्क्लेमर

हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए या पर आधारित मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सत्यापित नहीं किया है इस कारण के फलस्वरूप, हमारी राय को एक आधार प्रदान करने में हम पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असफल हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था एवं क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च 2019 तक प्रभावी ढंग से प्रचालनरत थे।

हमने कंपनी के एक वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा में अनुप्रयुक्त लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति समय और विस्तार को विचार करने में ऊपर उल्लिखित अस्वीकरण पर विचार किया है तथा अस्वीकरण कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है।

कृते **एआरएसके एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. -315082 ई

एस के माहेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या 054049

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 सितंबर, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विनिर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा-139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा-143 के तहत विनिर्धारित लेखा परीक्षा के मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा-143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय प्रतिवेदनों पर मंतव्य प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 23 सितम्बर, 2019 में बताया गया है कि उनके द्वारा यह किया गया है, जो उनके दिनांक 30 अगस्त, 2019 के पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का स्थान लेता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2019 के लिए अधिनियम की धारा-143(6)(क) के अधीन दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य के कागज़ात पाये बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है एवं मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछ-ताछ एवं कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाये गये लेखा परीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में किये गये संशोधन को देखते हुए अधिनियम की धारा-143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर मुझे कोई भी टिप्पणी या अनुपूरक नहीं देना है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25 सितंबर, 2019

(सुपर्णा देब)
महानिदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड-I, कोलकाता

तुलन-पत्र
31 मार्च 2019 को स्थित
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	द्रष्टव्य	31 मार्च,2019	31 मार्च,2018
परिसंपत्तियाँ			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियों			
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण	2	588.32	562.59
पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन		-	9.00
अमूर्त परिसंपत्तियों	3	9.22	8.32
वित्तीय परिसंपत्तियों			
निवेश	4	3,154.61	3,151.18
व्यापार प्राप्य	5	-	-
अन्यान्य	6	2,898.43	1,736.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियों, शुद्ध	7	501.55	483.90
		7,152.14	5,950.99
वर्तमान परिसंपत्तियों			
मालसूची	8	2,918.04	2,700.98
वित्तीय परिसंपत्तियों			
व्यापर प्राप्य	5	5,590.56	3,885.97
नकद एवं नकद समकक्ष	9	5,106.23	8,712.57
अन्य बैंक शेष	10	6,888.31	6,048.14
अन्यान्य	6	45,437.63	45,812.18
वर्तमान कर परिसंपत्तियों	11	213.16	66.05
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों	12	648.85	348.17
		66,802.78	67,574.06
कुल परिसंपत्तियों		**73,954.92**	**73,525.05**
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	13	12,086.05	12,086.05
अन्य इक्विटी	14	9,681.52	11,102.43
कुल इक्विटी		21,767.57	23,188.48
गैर वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	15	313.07	326.80
प्रावधान	16	428.50	386.34
अन्य गैर वर्तमान देयताएँ	17	216.80	251.55
		958.37	964.69

तुलन-पत्र
31 मार्च 2019 को स्थित
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	द्रष्टव्य	31 मार्च,2019	31 मार्च,2018
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	15	6,589.79	6,589.56
व्यापार देय	18	7,597.46	6,288.00
अन्य गैर वर्तमान देयताएँ	19	34,605.64	34,527.24
अन्य वर्तमान देयताएँ	17	2,385.51	1,924.74
प्रावधान	16	50.58	42.33
		51,228.98	49,371.87
कुल देयताएँ		52,187.35	50,336.56
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**73,954.92**	**73,525.05**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082ई

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं.: 054049

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर.के. मित्रा
निदेशक (वित्त)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.08.2019

जी.सी.यश
महाप्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव

लाभ एवं हानि का विवरण
31 मार्च, 2019 को स्थित
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2019 को समाप्त	31 मार्च, 2018 को समाप्त
प्रचालन से लाभ	20	10,500.77	8,844.06
अन्य आय	21	1,464.77	1,276.29
कुल आय		**11,965.55**	**10,120.35**
व्यय :			
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	22	1,863.38	2,053.29
मालसूची में बदलाव और प्रगतिधीन कार्य	23	1.82	1,615.66
कर्मचारी हित खर्चे	24	2,089.80	2,002.16
वित्त लागत	25	65.47	108.41
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	26	135.93	125.65
अन्य खर्च	27	7,649.26	3,753.25
कुल खर्च		**11,805.67**	**9,658.42**
कर पूर्व लाभ		159.88	461.93
कर व्यय			
वर्तमान कर	28	141.41	230.14
आस्थगित कर	28	(17.65)	(6.81)
कुल कर व्यय		123.75	223.33
वर्ष का लाभ		**36.13**	**238.60**
अन्य विस्तृत आय			
वे मद जिसे लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे मद जिसे लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
आयकर प्रभाव	28	-	-
वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय, शुद्ध कर		-	-
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय		**36.13**	**238.60**
प्रति इक्विटी शेयर आय (1,000 भा. रु. का नॉमिनल मूल्य)भा.रु. में	35		
मूल		2.99	19.95
तनुकृत		2.99	19.95
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	1		

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082 ई

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. : 054049
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.08.2019

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी 1986 जीओआई 041286

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर.के. मित्रा
निदेशक (वित्त)

जी.सी. यश
महाप्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव

नकद प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त	31 मार्च, 2018 को समाप्त
I. प्रचालनगत क्रियाकलाप से नकद प्रवाह		
करपूर्व लाभ	159.88	461.93
शुद्ध नकद प्रवाह से करपूर्व लाभ के मिलान के लिए समायोजन :		
मूर्त परिसंपत्तियों के ह्रास	132.45	124.19
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	3.49	1.46
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण (शुद्ध) की विक्री पर लाभ	(0.94)	(0.31)
बैंक एवं प्रतिभूति जमा पर ब्याज की आय	(993.24)	(1,219.98)
वित्त लागत	65.47	108.41
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	(36.27)	(37.65)
ब्याज की आय	(3.43)	(3.26)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालनगत लाभ	**(672.60)**	**(565.20)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
प्रचालनगत परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्यताएं	(1,704.59)	(3,818.22)
मालसूची	(217.06)	1,317.43
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान	374.55	(163.80)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(300.67)	(295.30)
प्रचालनगत देयताएं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार देय	1,309.46	1,095.27
अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान	78.40	(93.39)
अन्य वर्तमान देयताएं	460.77	1,206.28
प्रावधान	50.41	112.52
प्रचालन से उत्पन्न नकदी	**(621.35)**	**(1,204.41)**
आयकर का भुगतान	(288.51)	(698.79)
प्रचालन क्रियाकलाप से/(में) उत्पन्न शुद्ध नकदी	**(909.86)**	**(1,903.20)**
II. निवेशमूलक क्रियाकलाप से नकद प्रवाह		
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की खरीद	(201.06)	(162.99)
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की निपटान	48.41	
बैंकों में 3 महीने से ज्यादा की मूल परिपक्वतावाली सावधि जमा का (निवेश)/विमोचन	(840.17)	2,431.76
बैंक एवं प्रतिभूति जमा पर ब्याज की आय	993.24	1,219.98
अगर तुलन-पत्र तिथि से एक वर्ष ज्यादा परिपक्वता वाले बैंक में जमा	(1,162.43)	(1,736.00)
निवेश क्रियाकलापों में शुद्ध नकद प्रयुक्त	**(1,162.01)**	**1,752.75**
III. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
लंबी अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	(48.48)	(48.63)
अल्प अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	0.00	(206.90)
ब्याज चुकता	(29.20)	(70.76)

नकद प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त	**31 मार्च, 2018 को समाप्त**
अंतिम लाभांश	(1,208.61)	(636.24)
अंतिम लाभांश पर कर	(248.43)	(129.52)
वित्तीय कार्यकलाप द्वारा शुद्ध नकद दी गयी	**(1,534.71)**	**(1,092.05)**
वित्तपोषण क्रियाकलापों द्वारा प्रदत्त शुद्ध नकद (I + II+III)	(3,606.58)	(1,242.51)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	8,712.01	9,954.52
वर्ष के अंत (नीचे द्रष्टव्य देखें) में नकद एवं नकद समतुल्य	**5,105.43**	**8,712.01**
द्रष्टव्य :		
नकद एवं नकद समतुल्यों में निम्न शामिल हैं :		
हाथ में नकद	2.23	2.43
बैंक में शेष :		
- चालू खाते में	203.99	111.64
- 3 महीने से कम मूल परिपक्वता वाली रकम जमा खाते में	4,900.00	8,598.50
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट	(0.79)	(0.56)
	5,105.43	**8,712.01**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082 ई

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी1986 जीओआई 041286

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. : 054049
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.08.2019

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर.के. मित्रा
निदेशक (वित्त)

जी.सी. यश
महाप्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2017 को शेष	12,08,605	12,086.05
31 मार्च, 2018 को शेष	12,08,605	12,086.05
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	12,08,605	12,086.05

ख अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन धन का आबंटन लंबित	पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	प्रारक्षित एवं अधिशेष				कुल
			प्रारक्षित पूंजी	सामान्य पूंजी	प्रतिधारित आय	ऋण विमोचन प्रारक्षित	
1 अप्रैल, 2017 को	325	1,388.00	0.06	1,473.65	9,852.22	303.66	13,342.60
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	238.60	-	238.60
वर्ष के दौरान जारी	(325)	(1,388.00)					(1,713.01)
प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-	-	-		-	-
अंतिम लाभांश 2016-17	-	-	-	-	(636.24)	-	(636.24)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	(129.52)	-	(129.52)
अन्य विस्तृत आय							
परिभाषित हित योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन लाभ/(हानि)	-	-	-	-		-	-
आयकर का प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 को	-	-	0.06	1,473.65	9,325.06	303.66	11,102.43
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	36.13	-	36.13
वर्ष के दौरान जारी			-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश 2017-18	-	-	-	-	(1,208.61)	-	(1,208.61)
सामान्य रिजर्व में डी आर आर अंतरित				150.00		(150.00)	
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	(248.43)	-	(248.43)
अन्य विस्तृत आय							
परिभाषित हित योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन लाभ/(हानि), शुद्ध कर	-	-	-	-	-	-	-
आयकर का प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	-	-	0.06	1,623.65	7,904.15	153.66	9,681.52

महत्वपूण लखाकन नीतियों का साराश 1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082 ई

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. : 054049
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.08.2019

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी 1986 जीओआई 041286

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर.के. मित्रा
निदेशक (वित्त)

जी.सी. यश
महाप्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

I. कंपनी सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई :

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) भारत में अवस्थित एक कंपनी है एवं और शेयरों (सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी 1986 जीओआई 041286) द्वारा सीमित है। कंपनी की पंजीकृत कार्यालय का पता 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता-700001 है। कंपनी फैब्रिकेशन समेत मुख्य रूप से निर्माण के व्यापार में युक्त है।

ख. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम,1956 के प्रयोज्य प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित एवं प्रयोज्य के विस्तार तक), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम 2015 व तदन्तर उनमें संशोधन के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भार ले मा) के अनुपालन तथा लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।

2. उपाय के आधार

ये वित्तीय विवरण, निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।

· कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं उचित मूल्य पर मापे गये हैं।

· कर्मचारी परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां/ (देयताएं) योजना परिसंपत्तियों, जोड़ बीमांकित हानियों, कम बीमांकित लाभों तथा परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य के उचित मूल्य के कुल निवल जोड़ के रूप में पहचाने जाते हैं।

3. वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

तुलन-पत्र और लाभ व हानि का विवरण कंपनी 2013 ('अधिनियम') की अनुसूचची III में विनिर्धारित फॉर्मेट तैयार और प्रस्तुत किये जाते हैं। नकद प्रवाह का विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के "नकद प्रवाह का विवरण" की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया है। तुलन- पत्र तथा लाभ व हानि विवरण, अधिनियम, की अनुसूची III में यथा विनिर्धारित, में मदों से संबंधित आवश्यकताओं को वित्तीय विवरणों के अंश स्वरूप के माध्यम प्रस्तुत किये जाते हैं।

4. कार्यमूलक मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कंपनी की कार्यमूलक मुद्रा होती है। एक इकाई की कार्यमूलक मुद्रा प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जो इसे प्रचालित करती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5. प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में स्थापित कंपनी की सामान्य प्रचालन चक्र एवं अन्य मानदंड के अनुसार चालू या अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं।

परिसंपत्तियां:

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा करता हो:

क) कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में बिक्रय या खपत का इरादा या उगाही की आशा की जाती हो;

ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य से समझा जाता है;

ग) रिर्पोटिंग तिथि के बाद बारह महीने के अंदर उगाही की आशा की जाती है ; या

घ) यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम-से-कम बारह महीनों के लिए देयता समाधान के लिए विनिमय या उपयोग के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया जाता हो।

देयताएं :

एक देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो

क) इसकी कंपनी की सामान्य प्रचालन चक्र में समाधान किये जाने की प्रत्याशा हो

ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य से समझा जाता हो

ग) इसे रिर्पोटिंग तिथि के बाद बारह महीनों के अन्दर समाधान किया जाता हो, या

घ) कंपनी के पास रिर्पोटिंग तिथि के बाद कम-से-कम बारह महीनों के लिए देयता के समाधान को आस्थगित करने का कोई बिनाशर्तिया अधिकार नहीं है।

देयता की शर्तें, जो प्रतिरूपी की राय पर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जारी द्वारा इसके समाधान का परिणामी हो सका, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है। चालू परिसंपत्तियों/ देयताओं में क्रम से अप्रचलित परिसंपत्तियों/देयताओं के चालू अंश शामिल हैं। सभी अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय तथा अनुमान अनिश्चितता स्रोत

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन की ओर से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रचालन के परिणाम तथा वित्तीय समायोजन की तिथि को आकस्मिक परिसंपत्तियों व आकस्मिक देयताओं की प्रकटीकरण तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की प्रतिवेदित राशि एवं लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करती हैं पर न्याय, आकलन व मान्यता देना आवश्यक है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और निहित मान्यताओं की एक चालू आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के पुनरीक्षण को किसी भावी प्रभावित अवधि तथा अवधि जिसमें अनुमानों का पुनरीक्षण किया जाता है में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों पर सूचना जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो लेखांकन नीतियों और / या वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में शामिल है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के क्रम में, अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सूचना, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनिश्चितता व महत्वपूर्ण निर्णय जिनका वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेखांकन नीतियों तथा/ या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान - एक सीमा जहां तक आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रतिचिह्नित की जा सकती हैं भावी करयोग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके प्रति आस्थगित कर संपत्तियों का व्यवहार किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों के हानि हेतु सूचकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों के ह्रास के सूचकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में भिन्न आंतरिक एवं बाह्य घटक अपेक्षित हैं जो परिसंपत्तियों की उगाही योग्य राशि की हानि का कारण हो सका।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि- प्रत्येक तुलन-पत्र में, प्रत्याशित जीवन पर परिलक्षित ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों पर आधारित, प्रबंधन बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित साख का मूल्यांकन करता है।

प्रावधान- प्रत्येक तुलन-पत्र पर आंकड़ा आधारित प्रबंधन न्याय, तथ्यों व विधिक पक्षों में परिवर्तन, कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है। तथापि, वास्तविक भावी परिणाम न्याय से भिन्न हो सकता है।

राजस्व और सामान सूची- कंपनी पूरा करने की पद्धति की प्रतिशतता का व्यवहार करते हुए राजस्व की पहचान करता है। इसके लिए आवश्यक है अंतर्निहित निर्माण एवं सेवा ठेका के परिणाम सहित कुल बजटीकृत लागत तैयार करने वाला पूर्वानुमान, जिसके लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन पर लिये गये निर्णय, दावे (क्षतिपूर्ति छूट आदि) तथा अन्य भुगतान इस सीमा तक कि वे संभव हैं तथा वे मापन में विश्वसनीय रूप से सक्षम हैं। दावों हेतु अनुमान तैयार करने के उद्देश्य हेतु, कंपनी ने उपलब्ध ठेकेगत एवं ऐतिहासिक सूचना का व्यवहार किया है।

मूल्यह्रास/ ह्रसित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन-प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग आंकड़ों पर मूल्यह्रास/ ह्रसित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के इसके अनुमान की समीक्षा करता है जो परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगिता पर आधारित है। तकनीकी और आर्थिक अड़चन से संबंधित इन अनुमानों की अनिश्चितता जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डी बी ओ)- डीबीओ का प्रबंधन अनुमान अंतर्निहित मान्यताओं यथा, मुद्रास्फीति की मानक दरें, क्षयन, छूट दर एवं भावी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है, इन मान्यताओं में उतार-चढ़ाव डीबीओ राशि तथा वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय में पर्याप्त रूप से प्रभाव डाल सकते हैं।

उचित मूल्य मापन- प्रबंधन वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार बोलियां उपलब्ध नहीं हैं) के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करना है, इसमें बाजार प्रतिभागी साधन की लागत कैसे लगाएंगे संबंधी सुसंगत विकासात्मक अनुमान एवं धारणा शामिल हैं।

7. उचित मूल्य का मापन-

कतिपय कंपनी की लेखांकन नीतियों तथा प्रकटीकरण में उचित मूल्यों का मापन, वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं दोनों हेतु, आवश्यक है।

उचित मूल्य निम्नलिखित मूल्यांकन तकनीकों में व्यवहृत निवेशों पर आधारित उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में संवर्गीकृत किए जाते हैं।

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमत (असमायोजित)

-स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमत के अलावा निवेश जो परिसंपत्तियों या देयताओं, प्रत्येक (यानी मूल्य) या अप्रत्यक्ष (यथा, कीमत से व्युत्पन्न), हेतु ध्यान देने योग्य हैं।

-स्तर 3 : परिसंपत्ति या देयता हेतु निवेश जो ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न ध्यान देने योग्य निवेश)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन के समय, कंपनी जहां तक संभव हो, ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों का व्यवहार करती है। अगर निवेशकों का उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में गिरी परिसंपत्ति या देयता की उचित कीमत के मापन हेतु व्यवहार किया गया, तब उचित मूल्य मापन को निम्नतम स्तर निवेश के रूप में उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर में उसे पूरी तरह मापने के लिए संवर्गित किया जाता है। कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरणों की पहचान करता है जिसके दौरान परिवर्तन हुए हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. राजस्व प्रतिचिह्नित

क) निर्माण क्रियाकलापों से राजस्व निम्नानुसार प्रतिचिह्नित किये जाते हैं :

1. लागत प्लस ठेके : उगाही योग्य लागत के साथ अवधि के दौरान ग्राहक से प्राप्त सहमति मार्जिन के सन्दर्भ में लागत प्लस ठेका से राजस्व निर्धारित किया जाता हैं।

2. नियत मूल्य ठेका: ठेका राजस्व को ऐसे समय तक उपगत सिर्फ लागत विस्तार तक प्रतिचिह्नित किया जाता है जिससे कि कार्य का परिणाम विश्वसनीय रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है शर्त के अध्यधीन संभवत: ऐसी लागत उगाही योग्य होगी, जब ठेके का परिणाम विश्वसनीय रूप से प्राप्त किया जाता है तो ठेका राजस्व पूर्णकारक पद्धति की प्रतिशतता व्यवहार करते हुए, ठेका जोड़ समानुपातिक सीमांत पर किये गये कार्य की लागत प्रतिचिह्नित करता है। पूर्ण होने की प्रतिशतता कुल अनुमानित लागत में तिथि तक किये गये कार्य की लागत की प्रतिशतता होती है।

ठेके का अनुमानित परिणाम तभी विश्वसनीय विचारित होता है जब निम्नलिखित पूरी शर्तें पूरी हों :

i) राजस्व राशि विश्वसनीय ढंग से निरूपित हों,
ii) यह संभव है कि ठेके के साथ संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी तक प्रवाहित हो,
iii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक ठेका पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय ढंग से निरूपित किया जा सकता हो,
iv) ठेके के संबंध में उपगत लागत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय ढंग से निरूपित कि जा सकी हो।

ठेके पर, अगर कोई, अपेक्षित हानि की पहचान अवधि में व्यय के रूप में की जाती है जिसमें यह ठेका पूर्णता चरण के बावजूद अनुमान किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 " ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व " के अनुसार राजस्व निर्माण और सेवा कार्यकलापों से पहचाना जाता है जो "ओवर टाइम" पद्धति पर आधारित है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। जब अलग-अलग अनुबंधों के परिणामों का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो रिपोर्टिंग तिथि पर पूरा होने के चरण के संदर्भ में संविदा राजस्व और अनुबंध लागत को क्रमशः राजस्व और व्यय के रूप में पहचाना जाता है। खर्च को लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है और राजस्व को अनुबंध की अनुमानित कुल लागत का रिपोर्टिंग तिथि पर कुल लागत के अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

उन ठेकों के लिए जहां ठेका लागत का कुल निधि से अधिक प्रतिचिह्नित मुनाफा (या कम मान्यता प्राप्त हानियां जैसी स्थिति हो) क्रमिक बिलिंग से अधिक है, अधिशेष ग्राहकों से देय दर्शाया गया है। ऐसे ठेकों हेतु जहां क्रमिक बिलिंग अद्यतित जोड़ अधिक मान्यता प्राप्त लाभ (या कम मान्यताप्राप्त हानियां जैसी स्थिति हो), अधिशेष ग्राहकों को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है। संबंधित कार्य किये जाने के पूर्व प्राप्त राशि प्राप्त अग्रिम के प्रति एक देयता के रूप में तुलन-पत्र प्रकट किया गया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ग्राहकों द्वारा पारित प्रतिधारण राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किया गया है तथा जब यह भुगतान हेतु देय हो जाती है तो व्यापार किया गया है तथा जब यह भुगतान हेतु देय हो जाती है तो व्यापार प्राप्तियों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

ख) **माल की बिक्री:** माल की बिक्री से राजस्व को प्रतिचिह्नित किया जाता है जब कंपनी ने माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार को क्रेता को स्थानांतरित कर दिया है, यह अब बेचे गये माल पर नियंत्रण बनाये नहीं रख सकता है, यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे तथा लेनदेन के संबंध में उपगत लागत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय रूप में निरूपित की जा सकती है।

ग) **सेवा प्रदान:** सेवा प्रदान से राजस्व प्रतिचिह्नित किया जाता है जब लेन-देन का परिणाम लेनदेन के संपूरण चरण के संदर्भ द्वारा विश्वसनीय रूप में अनुमानित किया जा सकता है। लेनदेन का परिणाम विश्वसीनय रूप में अनुमानित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें संतुष्ट करती हों :
1. राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप में मापी जा सकती है,
2. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होंगे,
3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन संपूरण चरण विश्वसनीय रूप से मापे जा सकते हैं, तथा
4. लेनदेन के संबंध में उपगत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।

संपूरण चरण लेनदेन की अनुमानित कुल लागत के लिए आज तक उपगत वास्तविक लागत के समानुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है, गैर बिलकृत राजस्व ठेका शर्तों के अनुरूप की गयी सेवा लेकिन विकृत नहीं के मूल्य को दर्शाती है।

घ) **ब्याज आय:** वित्तीय परिसम्पत्ति से ब्याज आय की पहचान की जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित हो तथा आय की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। ब्याज आय मूल बकाया संदर्भ तथा प्रयोज्य प्रभावी ब्याज दर द्वारा, समय समानुपात के आधार पर प्रोद्भूत किया जाता है, यह वह दर है जो प्रारंभिक पहचान पर परिसंपत्ति की निवल वाहक राशि को वित्तीय परिसंपत्ति के, प्रत्याशित जीवन के माध्यम अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों को वास्तव में कम करता है।

ङ) **लाभांश आय:** लाभांश आय की पहचान तभी की जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

2. पट्टा

जब कभी पट्टे की शर्तों को पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से स्थानांतरित किये जाते हैं तब पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं।

जिन पट्टों के तहत कंपनी पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों स्वामित्व के पुरस्कार को ग्रहण करती है उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टों को लीज की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य या परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है, जो भी न्यूनतम हो। पट्टे के तहत परिसंपत्तियाँ जो पर्याप्त रूप से स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कार को स्थानांतरित नहीं करती हैं, उन्हें तुलन-पत्र में प्रतिचिह्नित नहीं किया जाता है।

प्रचालन पट्टे के तहत पट्टा भुगतानों को पट्टा शर्तों पर सीधी लाइन आधार पर लाभ और हानि के विवरण से व्यय के रूप में सामान्यत: प्रतिचिह्नित किये जाते हैं अन्यथा ऐसे भुगतान पट्टाकर्त्ता की आशाकृत मुद्रास्फीति लागत वृद्धि हेतु क्षतिपूर्ति करने के लिए आशा की जाने वाली सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वर्धन हेतु संरचित किये जाते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

इसके अलावा, उपर्युक्त व्यवस्था आरंभ में, कंपनी निर्धारित करती है कि क्या उपर्युक्त व्यवस्था पद्धति है या नहीं। प्रारंभ में या व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन पर, जो पट्टा रखता है, उनमें कंपनी उनसे संबंधित उचित मूल्यों के आधार पर अन्य तत्वों हेतु तथा पट्टे हेतु व्यवस्था द्वारा अपेक्षित अन्य विचारों तथा भुगतानों को अलग रखती है।

अगर कंपनी वित्तीय पट्टे के लिए निष्कर्ष निकालती है कि भुगतान को विश्वसनीय बनाने के लिए यह अव्यावहारिक है, तो अंतर्निहित परिसम्पत्ति के उचित मूल्य के बराबर राशि पर परिसंपत्ति और देयताएं प्रतिचिह्नित की जाती हैं; तदुपरांत, देयता को कंपनी की वेतनवृद्धि उधार दर का व्यवहार कर देयता पर अभ्यारोपित, वित्तीय लागत तथा जैसा कि भुगतान किये जाते हैं, कम किया जाता है।

वित्तीय पट्टे के अधीन किये गये न्यूनतम पट्टा भुगतान को वित्तीय प्रभार और बकाया देयता की कमी के बीच प्रभावित करता है। पट्टा शर्त के दौरान प्रत्येक अवधि को वित्तीय प्रभार आबंटित किया जाता है जिससे देयता के बचे शेष पर एक निरंतर आवधिक ब्याज दर उत्पन्न किया जा सके।

3. विदेशी मुद्रा

कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी को कार्यकारी मुद्रा विदेशी मुद्रा के अलावा मुद्रा में लेनदेन, लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित मुद्रा दरों पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को उस तारीख पर प्रचलित दरों पर पुर्नअनुवादित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मद जिनका मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत की शर्तों में किया जाता है का पुर्नअनुवाद नहीं किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर उस अवधि में लाभ या हानि में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं, जिनमें वे उत्पन्न होते हैं।

4. उधारी लागत

विशिष्ट उधारी लागत जो अर्हा परिसंपत्ति के उत्पादन या अधिग्रहण, निर्माण में आरोप्य है, ऐसी संपत्ति की लागत के रूप में पूंजीकृत किये जाते हैं। ऐसे समय तक परिसंपत्ति अपने इच्छित व्यवहार हेतु तैयार रहती है। एक अर्हा संपन्न परिसंपत्ति एक ऐसी परिसम्पत्ति है, जो इच्छित उपयोग हेतु तैयार होने में एक पर्याप्त आवधिक समय आवश्यक रूप से लेती हैं। सभी अन्य उधारी लागत एक अवधि में एक व्यय के रूप में प्रतिचिह्नित होते हैं जिसमें वे उपगत होते हैं।

उधारी लागत में ब्याज व्यय, छूट में कमी धन उधार लेने के संबंध में होने वाली सहायक लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होनेवाले विनिमय अंतर को ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

5. आयकर

आयकर व्यय चालू और आस्थगित कर मिलकर बनता है। आयकर व्यय इक्विटी में जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिचिह्नित मदों से संबंधित है के विस्तार को छोड़कर आयकर विवरण में प्रतिचिह्नित है, जिसमें मामला इक्विटी में प्रतिचिह्नित है।

<u>चालूकर</u>

चालू कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर अपेक्षित है, रिर्पोटिंग तिथि पर पर्याप्त रूप से अधिनियमित या अधिनियमित कर दरों का व्यवहार कर तथा विगत वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

आस्थगित कर

आस्थागित कर तुलन-पत्र पद्धति का व्यवहार कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु परिसंपत्तियों और देयताओं की संवाहक राशि तथा कराधान उद्देश्यों हेतु व्यहृत राशि के बीच अस्थायी अंतर प्रावधानित कर प्रतिचिह्नित किया जाता है। आस्थगित कर निम्नलिखित अस्थायी अंतरों हेतु प्रतिचिह्नित नहीं किया जाता है : लेनदेन में परिसम्पत्तियों या देयताओं की प्रारंभिक प्रतिचिह्नित जो एक व्यापार संयोजन नहीं है और वह न तो लेखांकन न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में निवेश से संबंधित अंतर एक विस्तार तक कि यह संभव है कि वे निकट भविष्य और सदइच्छा की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न कर योग्य अस्थायी अंतरों में विपरीत नहीं होंगे। आस्थगित कर उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें, अस्थायी अंतरों पर लागू किया जाता है, जो कि कानूनों के आधार पर लागू किये गये या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये कानूनों के आधार पर होते हैं। आस्थगित कर और देयताएं ऑफसेट हैं अगर वहां ऑफसेट चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों पर विधिक प्रवर्तन योग्य अधिकार हो, और वे उसी कर योग्य इकाई या भिन्न कर इकाइयों पर उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाये गये आयकरों से संबंधित हो, लेकिन वे निवल आधार पर चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों के समाधान की इच्छा रखते हों या उनकी कर परिसंपत्तियां और देयताएं साथ-साथ उगाही जाएंगी।

एक आस्थगित कर संपत्ति इस हद तक मान्यता प्राप्त करता है कि यह संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थागित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ उगाहा जाएगा।

अतिरिक्त आय कर जो लाभांश के वितरण से उत्पन्न होते हैं, को उसी समय प्रतिचिह्नित किया जाता है जब संबंधित लाभांश भुगतान के देयता प्रतिचिह्नित की जाती है।

6. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने सामान्य शेयरों के लिए मूल और कम अर्जन प्रति शेयर (''ई पी एस'') प्रस्तुत करता है। प्रति शेयर बुनियादी शेयर वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा अवधि हेतु इक्विटी शेयर धारकों को अधिरोप्य निवल लाभ को विभाजित कर परिगणित किया जाता है।

प्रति शेयर कम अर्जन कम संभावित इक्विटी शेयरों के संबंध में वर्ष हेतु इक्विटी शेयर धारकों पर अधिरोप्य निवल लाभ विभाजित कर, प्रति शेयर बुनियादी अर्जन प्राप्त हेतु विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा संगणित किया जाता है जो सभी कम संभाव्यता इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता था। संभावित इक्विटी शेयर तभी कमजोर माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण के प्रति शेयर निवल लाभ हो जाएगा।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

पीपीई की प्रारंभिक लागत में इसकी क्रय कीमत, आयात शुल्क व गैर- वापसी योग्य क्रय कर सहित, तथा एक संपत्ति को चालू स्थिति व अवस्थान में लाने, इसके इच्छित उपयोग हेतु, लाने की किसी प्रत्यक्ष अधिरोपित लागत प्रासंगिक उधारी लागत तथा बंद करने की किसी प्रत्याशित लागत समेत, न्यून संचित मूल्यहास व संचित हास हानि, अगर कोई, शामिल है। पीपीई के बाद उपगत व्यय को प्रचालन में रखे गये हैं, जैसा कि मरम्मती और अनुरक्षण को अवधि जिसमें लागत उपगत किये जाते हैं, में लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किये जाते हैं।

पी पी ई मद का अगर कोई हिस्सा अलग उपयोगी जीवन का है तब उसे पीपीई के अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

सामग्री मदें, यथा, अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंडबाई उपस्कर तथा सेवा उपकरण को पीपीई के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं जब वे भारतीय लेखांकन मानक-संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में यथा विनिर्दिष्ट पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हों।

7.1 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

निर्माण अवधि के दौरान व्यय में (अर्हा प्राप्त पीपीई के अधिग्रहण या निर्माण हेतु उधारकृत निधियों से संबंधित वित्तीय लागत समेत) पूंजीगत कार्य प्रगति के अधीन शामिल है, तथा उसे उनके निर्माण के पूरा हो जाने पर संबंधित पीपीई में आबंटित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पीपीई बकाया अधिग्रहण या निर्माण बाबत दिये गये अग्रिम को 'अन्य प्रचलित परिसंपत्ति' के अधीन पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रकट किया जाता है।

7.2 मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी जीवन पर पीपीई की मूल्यह्रास योग्य राशि के क्रमबद्ध आबंटन है तथा जो अधिनियम की अनुसूची-।। में यथा विनिर्धारित उपयोगी जीवन पर रिनेट डाउन मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान है।

पीपीई हेतु मूल्यह्रास योग्य राशि पीपीई की लागत है जो अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को कम करती है। पीपीई का उपयोगी जीवन एक अवधि है जिस पर कंपनी, या उत्पादन संख्या या समरूप इकाइयों, कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त की आशा, द्वारा व्यवहार हेतु उपलब्ध होने की आशा है।

अतिरिक्त पर मूल्यह्रास स्थापना या अधिग्रहण के माह से समानुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। कटौती/निस्तारण पर मूल्यह्रास कटौती/निस्तारण की तिथि तक समानुपातिक आधार पर प्रावधानित किया जाता है।

निस्तारण पर लाभ और हानि धारण राशि सहित प्राप्ति को तुलना करते हुए निर्धारित किये जाते हैं। लाभ व हानि के विवरण में यह शामिल है।

8. अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियाँ न्यून संचित परिशोधन तथा ह्रास लागत पर उल्लिखित किये जाते हैं। अमूर्त परिसंपत्तियां जिस तिथि से व्यवहार के लिए उपलब्ध हैं की तिथि से सीधी- रेखा आधार पर उनके संबंधित अनुमानित व्यवहार पर परिशोधित की जाती हैं।

परिशोधन

एक अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कतिपय घटकों, प्रचलन प्रभाव, मांग, संपूरण और अन्य आर्थिक घटक (यथा-उद्योग का स्थायित्व व ज्ञात तकनीक अग्रिम) तथा परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्ययों के स्तर पर आधारित होता है।

कंपनी 3 वर्षों की अवधि से सीधी-रेखा पद्धति का व्यवहार करते हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन करता है।

9. सामान-सूची

सामान-सूची अप्रचलन हेतु प्रावधानित करने के बाद मूल्यांकित की जाती है, जो निम्नानुसार है:

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(i)निवल वसूली योग्य कीमत या भारित औसत लागत के निम्नतर पर कच्चा सामान, घटक, निर्माण सामग्री, भंडार, पुर्जे व खुले यंत्र। तथापि, इस मदों को लागत पर उगाही के विचार किये जाते हैं, अगर तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें व्यवहार किया जाएगा उसी या अधिक लागत पर बेचे जाने की आशा की जाती है।

(ii)विशेष रूप से पहचानी जाने योग्य लागत या निवल वसूली योग्य कीमत निम्नतर पर निर्माण क्रियाकलापों के संबंध में संपूरित संपत्ति/ कार्य प्रगति पर।

निवल वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है तथा जब परिसम्पतियों ने पहले नीचे ह्रासित सामान सूची बनाई थी अब मौजूद नहीं है या जब वहां परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के कारण निवल वसूलीयोग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य है, विगत अवधि में, यदि कोई हो, ह्रासित मूल राशि को एक विस्तार तक पुनरीक्षित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप धारित राशि लागत तथा पुनरीक्षित निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कमतर है।

10. नकद और नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद और नकद, समतुल्य बैंक हाथ में नकद तथा बैंक में लघु-अवधि जमा राशियों से मिलकर निर्मित जो तत्काल नकद में परिवर्तनीय जो मूल्य में परिवर्तन कम जोखिम के अध्यधीन है और लघुकालिक नकद वचनबद्धता के उद्देश्य से रखा जाता है।

11. नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह का विवरण प्रचालन, निवेश और वित्तीय क्रियाकलापों में नकद प्रवाह को अलग कर तैयार किया जाता है। प्रचालन क्रियाकलापों से

नकद प्रवाह को निम्नलिखित प्रभाव हेतु अपवाद वाले मदों को छोड़कर कर के पूर्व लाभ समायोजित कर और अप्रत्यक्ष पद्धति का व्यवहार कर प्रतिवेदित किया जाता है;

(i) गैर-नकद प्रकृति के भुगतेय लेनदेन एवं प्राप्य प्रचालन और सामान सूची में अवधि के दौरान परिवर्तन
(ii) गैर-नकद मद, यथा; मूल्यह्रास, प्रावधान, बिना उगाही वाली विदेशी मुद्रा लाभ व हानि; तथा
(iii) अन्य सभी मद जिसके लिए नकदी प्रभाव का निवेश या वित्तपोषण कर रहे हैं।

नकद प्रवाह के विवरण में दर्शित नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मदों से अलग रखा गया है जो तुलन-पत्र की तिथि को आम व्यवहार हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

12. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान वहीं प्रतिचिह्नित होता है जहां पर यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा तथा सभी संलग्न शर्तें पूरी की जाएंगी।

जहां कंपनी गैर-नकदी अनुदान प्राप्त करती है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य पर गिने जाते हैं तथा परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन में लाभ और हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

13. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी की गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों, सामानसूची और आस्थगित कर संपत्तियों की प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि को समीक्षा की जाती है यह पता करने के लिए कि वहां क्या कोई ह्रास की सूचना है। अगर इस तरह की कोई सूचना है तो परिसंपत्तियों की उगाही योग्य राशि का आकलन किया जाता है। परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि या नकदी निर्माण इकाई (जैसा नीचे परिभाषित है) उपयोग में अपने मूल्य से बड़ी है तथा इसका उचित मूल्य विक्रय से कम लागत का है। उपयोग में मूल्य निर्धारण अनुमानित भावी नकद प्रवाह एक पूर्व कर छूट का व्यवहार करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो समय मूल्य राशि के चालू बाजार आकलन को तथा परिसंपत्ति या नकदी निर्माण इकाई को प्रतिदर्शित करता है। ह्रास परीक्षण के उद्देश्य हेतु, परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकद प्रवाह उत्पन्न करता है जो परिसंपत्तियों ('नकदी उत्पादन इकाई') के समूहों या अन्य परिसंपत्तियों के नकद प्रभाव से काफी हद तक स्वतंत्र होता है।

ह्रासित हानि को आय विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है अगर इसकी नकदी-उत्पादन इकाई या परिसंपत्ति की अनुमानित वसूलीयोग्य राशि इसकी धारणीय राशि की तुलना में कमतर हो पूर्व अवधियों में प्रतिचिह्नित ह्रासित हानियां किसी सूचना हेतु प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि में इसलिए मूल्यांकित की जाती हैं कि हानियां कम हो गयी हैं या अब अस्तित्व में नहीं हैं। एक ह्रासित हानि को तभी पुनरीक्षित किया जाता है अगर वसूलीयोग्य राशि को निर्धारित करने के लिए व्यह्रत अनुमानों में परिवर्तन हुआ है। एक ह्रासित हानि को एक विस्तार तक तभी उलटा जाता है जबकि परिसंपत्ति धारणीय राशि को अतिक्रम न करें जो कि निर्धारित किया गया होगा, मूल्यह्रास या ह्रासत का निवल, अगर कोई ह्रासित हानि प्रतिचिह्नित नहीं की गयी थी। सद्इच्छा जो एक एसोसिएट में निवेश की धारणीय राशि का हिस्सा पैदा करती है को अलग से मान्यता नहीं दी जाती है, एवं अतएव अलग से ह्रास हेतु परीक्षण नहीं किया जाता है। इसके बजाय, एक एसोसिएट में निवेश की समग्र राशि एक एकल संपत्ति के रूप में ह्रास हेतु परीक्षण किया जाता है, जबकि वहां एक वस्तुनिष्ठ या साक्ष्य हो कि एक एसोसिएट में निवेश ह्रासित किया जा सके।

इक्विटी लेखित निवेशी के संबंध में ह्रास इसकी धारणीय राशि में निवेश की वसूलीयोग्य राशि की तुलना कर पहचानी जाती है। एक ह्रासित आय विवरण में प्रतिचिह्नित की जाती है, तथा उलट दी जाती है अगर वसूलीयोग्य राशि निर्धारित करने के लिए व्यवह्रत अनुमान में अनुकूल परिवर्तन किया गया है।

14. कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च किया जाता है जैसे ही संबंधित सेवा प्रावधानित की जाती है। देयता को प्रदान की जाने वाली अपेक्षित राशि हेतु प्रतिचिह्नित की जाती है अगर कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रावधानित विगत सेवा के परिणाम स्वरूप इस राशि को भुगतान करने के लिए विद्यमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो तथा दायित्व को विश्वसनीय ढंग से अनुमानित किया जा सकता है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

अवदान योजनाओं को परिभाषित करने के लिए कंपनी अवदान को आय विवरण में, जैसा और जब कर्मचारी से सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, प्रभारित की जाती हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य पश्च-नियोजन लाभों के संबंध में देयता को अर्हित बीमांककों के मशविरों के साथ संगत प्रक्षेपित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित किया जाता है। परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उच्च गुणवत्ता नैगम बंधपत्रों की ब्याज राशि का उपयोग कर अनुमानित भावी नकदी बर्हिप्रभाव को छूट देकर निर्धारित की जाती है जो मुद्रा में अंकित है जिसमें लाभों का भुगतान किया जाएगा और जहां संबंधित परिभाषित बाध्यता की शर्तों पर परिपक्वता होगी। ऐसे देशों में जहां ऐसे बंधपत्रों में कोई गहरा बाजार नहीं है, सरकारी बंधपत्रों पर बाजार दर का उपयोग किया जाता है।

कर्मचारी लाभ व्यय में आय विवरण में प्रतिचिह्नित परिभाषित लाभ योजना की चालू सेवा लागत चालू वर्ष में कर्मचारी सेवा, लाभ प्रभार, कटौती व समायोजन से उत्पन्न परिभाषित लाभ बाध्यता को प्रदर्शित करता है। विगत सेवा लागत आय में तत्काल प्रतिचिह्नित की जाती है। निवल ब्याज लागत को योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य तथा परिभाषित लाभ बाध्यता के निवल शेष में छूट दर का उपयोग कर परिकलित किया जाता है। इस लागत को आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है। बीमांक धारणाओं में परिवर्तन तथा अनुमान समायोजन से उत्पन्न बीमांकक लाभ और हानियों को जिस अवधि में वे उत्पन्न हुए हैं में अन्य व्यापक आय में इक्विटी में प्रभारित या जमा किया जाता है।

समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी, आहरण की बिना यथार्थवादी संभावना के, या तो सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व नियोजन समाप्त करने की एक औपचारिक विस्तृत योजना के लिए या स्वैच्छिक बारम्बारता प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप समाप्ति लाभ प्रावधानित करने के लिए एक निदर्शन रूप में समर्पित है। स्वैच्छिक बारंबारता हेतु समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अगर कंपनी ने स्वैच्छिक बारंबारता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव है, तो यह संभव है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, तथा स्वीकृतियों की संख्या को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी का निवल बाध्यता भावी लाभ की राशि है जिसे कर्मचारी ने चालू और पूर्व अवधि में अपनी सेवा हेतु अर्जित की है। उस लाभ को इसके अपने वर्तमान मूल्य में निर्धारण के लिए छूट दी जाती है।

15. प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है अगर, एक विगत घटना के परिणाम स्वरूप, कंपनी के पास विद्यमान विधिक या निर्माणात्मक बाध्यता हो जिसे विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सके, और या संभव है कि आर्थिक लाभ का एक बर्हिप्रभाव की आवश्यकता पड़ेगी बाध्यता को निपटाने के लिए। अगर मुद्रा की समय लागत का प्रभाव सामग्री है, तो प्रावधान पूर्व-कर पर प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह में छूट देते हुए निर्धारित किये जाते हैं जो विशेषकर देयता पर जोखिम तथा मुद्रा समय मूल्य का चालू बाजार आकलन को प्रदर्शित करता है। जहां छूट का व्यवहार किया जाता है, वहां समय के कारण प्रावधान में वृद्धि को एक वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

16. आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियॉं

आकस्मिक देयता के लिए एक प्रकटीकरण बनाया जाता है जब एक संभाव्य बाध्यता या विद्यमान बाध्यता हो जिसे, लेकिन संभवत: नहीं होगा, संसाधन बर्हिप्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, जब एक संभाव्य बाध्यता या एक वर्तमान बाध्यता हो जिसके संबंध में संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना दूरस्थ हो, तब कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं बनाया जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक संपत्ति का आकलन निरंतर किया जाता है और अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अंतर्प्रवाह पैदा होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उसमें मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिवर्तन होता है।

17. वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्ति और/या वित्तीय देयताएँ प्रतिचिह्नित की जाती हैं जब कंपनी संबंधित वित्तीय उपकरण को सन्निविष्ट करते हुए ठेके की पार्टी बन जाती है। सभी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ, वित्तीय देयताएं तथा वित्तीय गारंटी ठेकों को प्रारंभिक तौर पर लेनदेन मूल्यों पर मापित किया जाता है जहां इस प्रकार के मूल्य उचित मूल्य से, उचित मूल्य पर भिन्न हों। लेनदेन लागत जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्ति मद और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, के अन्यथा) पर अधिरोप्य होते हैं को ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं के उचित मूल्य द्वारा, प्रारंभिक मान्यता पर, जैसी स्थिति हो, जोड़ी या काटी जाती है। जो लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण पर लेनदेन लागत सीधे अधिरोपित होती है, उन्हें तत्काल लाभ या हानि में प्रतिचिह्नित होती है।

ब्याज मुक्त या छूट ऋणों और अधिमान्य शेयरों के रूप में सहायक कंपनियों के रूप में वित्त पोषण के मामले में, प्रारंभिक तौर पर मापित उचित मूल्य पर वित्त पोषण की वास्तविक के आधिक्य को एक इक्विटी निवेश के रूप में गिना जाता है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता ऑफसेट है तथा तुलन-पत्र में निवल आधार पर प्रदर्शित किये जाते हैं जब वहां प्रतिचिह्नित राशियों को ऑफसेट करने के लिए चालू विधिक प्रवर्तनीय अधिकार होता तथा यह या तो निवल आधार पर समायोजन या परिसंपत्ति की वसूली और साथ-साथ देयताओं को समायोजित करने के लिए आशयित होता है।

(I) वित्तीय परिसंपत्तियां :
क. सभी मान्यताप्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां पर्याप्त रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर उचित मूल्य पर या ह्रासित लागत पर समग्र रूप से मापित की जाती है जो निम्नानुसार है:

1. ऋण उपकरों में निवेश जो लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम उचित मूल्य के रूप में अभिहित किये जाते हैं - उचित मूल्य पर।
2. ऋण उपकरणों में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं पर्याप्त रूप से मापित किये जाते हैं - ह्रासित मूल्य पर (जब तक कि वह लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य के रूप में अभिहित न हो)

- परिसंपत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखा जाता है जिसका उद्देश्य ठेकागत नकदी प्रवाहों में संग्रहण करने के क्रम में परिसंपत्तियों को रखा जाता है, और
- उपकरण की ठेकागत शर्तें प्रवाहों को विशिष्ट तिथि पर उत्थान प्रदान करते हैं जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है।

3. ऋण यंत्र में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं उनका अन्य व्यापक आय के माध्यम उचित मूल्य पर साथ-साथ मापे जाते हैं (एफवीटीसीआई) (जब तक वे लाभ और हानि के माध्यम उचित मूल्य पर अभिहित किए जाते हैं)

- परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य ठेकागत नकदी प्रवाह का संग्रहण और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय कर दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- यंत्र की ठेकागत शर्तें नकदी प्रवाहों में विशिष्ट तिथियों पर उत्थापन प्रदान करता है जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है,

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

4. एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्र, ऋण यंत्रों हेतु एक अपशिष्ट संवर्ग है, अगर कोई, तथा सभी परिवर्तन लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित होते हैं।

5. सहायक कंपनी एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी यंत्र में निवेश कम ह्रास लागत पर मापे जाते हैं।

6. सहायक कंपनियों के अधिमान्य शेयरों में निवेश इक्विटी यंत्र के रूप में व्यवहार किए जाते हैं अगर वे ऐसे निवेशों के प्रतिदान के उद्देश्य हेतु जारी इक्विटी शेयर यंत्रों की प्राप्तियाँ प्रतिदान योग्य होती हैं या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होती हैं। उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाले अधिमान्य शेयरों में निवेश एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्रों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

7. इक्विटी यंत्रों में निवेश एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किये जाते हैं जब तक कि संबंधित यंत्र व्यापक आय में उचित मूल्य में तदन्तर परिवर्तनों को रोकने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर कंपनी अपरिवर्तनीय रूप से नहीं चुनती है तथा व्यापार के लिए धारित नहीं करती।

ख. वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु जो एफवीटीओसीआई पर मापी जाती हैं, ब्याज और लाभांश के द्वारा आय, ह्रास हेतु प्रावधान और परिवर्तन अंतर, अगर कोई हो (ऋण यंत्र पर) लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं तथा उचित मूल्य में परिवर्तन (उपर्युक्त आय या व्यय लेखे पर अन्यथा) अन्य व्यापक आय तथा अन्य इक्विटी में संचित में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। एफवीटीओसीआई पर ऋण यंत्रों के निस्तारण पर, अन्य इक्विटी में पहले संचित लाभ या हानि को लाभ है या हानि में वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर इक्विटी यंत्रों के मामले में, ऐसे संचित लाभ या हानि को निवेशों के निस्तारण पर लाभ हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ग. एक वित्तीय संपत्ति बुनियादी तौर पर गैर मान्यताप्राप्त समझी जाती है जब:

1. परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार खत्म हो गया हो, या

2. कंपनी ने व्यवस्था से गुजरते हुए के अधीन तृतीय पहल को बिना सामग्री विलम्ब के पूर्ण रूप में प्राप्त नकद प्रवाह को भुगतान करने के लिए बाध्यता धारण की है या परिसंपत्ति में से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार स्थानांतरित किये हों; तथा

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से स्तानान्तरित कर दिए हैं; या

ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्तरूप से न तो स्थानान्तरित न ही पास रखे हैं, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है , अपनी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति की गैर मान्यता पर मान्यता प्राप्त होने की तिथि पर मापित धारणीय राशि तथा प्राप्त विचार को लाभ या हानि में विचार किया जाता है।

घ. वित्तीय सम्पत्तियों का ह्रास: कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि नमूने का व्यवहार कर प्राप्य व्यापार पर ह्रास हानि प्रतिचिह्नित करता है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन यथा अनुज्ञाप्राप्त ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर निर्मित एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है। निवेशों पर ह्रास हानि प्रतिचिह्नित की जाती है जब धारणीय राशि की वसूलीयोग्य राशि को पार कर जाती है।

(ii) वित्तीय देयताएं :

क. वित्तीय देयताएं, व्युत्पन्न जड़ित व्युत्पन्न समेत, जो एफवीटीपीएल पर मापन हेतु पदनामित किये जाते हैं जो पर्याप्त रूप से उचित मूल्य पर मापे जातेहैं। वित्तीय गारंटी ठेके पर्याप्त रूप से ह्रास हानि भत्ता की राशि या संचयी क्रमिक अपाकरण के प्रारम्भिक निवल पर प्रतिचिह्नित राशि पर मापे जाते हैं, जो भी उच्चतर हो।

ऋण और उधारों सहित सभी वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए क्रमिक अपाकरण लागत पर मापे जाते हैं।

ख. एक वित्तीय देयता को गैर-मान्यता प्राप्त किया जाता है जब संबंधित बाध्यता समाप्त हो जाती है या प्रभारित या निरस्त की जाती है।

18. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को भुगतेय लाभांश अंतरिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तित रूप में चिह्नित किये जाते हैं जिसमें वे क्रम से शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19. सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियाँ

सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियाँ पूर्व अवधियों हेतु तुलनात्मक राशि को पुनः उल्लेखन द्वारा पूर्वव्यापी रूप में संशोधित की जाती है जिसमें त्रुटि घटित होती है। अगर त्रुटि प्रदर्शित पूर्व अवधि के पहले घटित हुई तो प्रदर्शन पूर्व अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी के अथशेष पुन: उल्लिखित किये जाते हैं।

20. परिचालन खंड

भारतीय लेखांकन प्रणाली 108 के अनुरूप, विद्यमान खंड सूचना के लिए व्यवहृत परिचालन खंड, खंडों में संसाधन आबंटन के लिए एवं उनके कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा व्यवहृत आंतरिक प्रतिवेदनों के आधार पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। निदेशक मंडल भारतीय लेखांकन प्रणाली के अर्थ के अंतर्गत कंपनी संयुक्त रूप से, के 'मुख्य परिचालनकर्ता' या 'सीओडीएम' हैं। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु व्यवहृत सूचक स्थल पर रखे गये कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकता है।

खंडों के परिणाम जो सीओडीएम को प्रतिवेदित किये जाते हैं, में खंड को सीधे अधिरोप्य मद तथा जिन्हें तर्कसंगत आधार पर आबंटित किया जा सकता है, शामिल है। गैर- आबंटित मद मुख्य रूप से नैगम व्यय, वित्तीय व्यय और आयकर व्यय में मिलकर बनते हैं।

खंड में सीधे अधिरोप्य राजस्व खण्ड राजस्व के रूप में विचारित होता है। खंडों में सीधे अधिरोप्य व्यय तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित आम व्ययों को खंड व्ययों के रूप में विचार किये जाते हैं।

खंड वित्त व्यय संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, तथा सद्इच्छा के अलावा अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण करने की अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर अमूर्त परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य प्राप्य सामान सूची व अन्य परिसंपत्तियों से मिलकर गठित खंड परिसंपत्तियां सीधे या तर्कसंगत ढंग से खंडों में आबंटित की जा सकती हैं। वर्ष हेतु रिपोर्टिंग खंड के उद्देश्य हेतु, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को संबंधित खंडों में अधिरोप्य परिचालनों हेतु परिसंपत्तियों के व्यवहार के विस्तार पर आधारित खंडों को आबंटित किया जाता है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति पर कार्यचालक पूंजी, पूंजी अग्रिम, नैगम परिसंपत्तियां तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं उन्हें यथोचित रूप में खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देयताओं में खंड से संबंधित सभी परिचालन देयताएं शामिल हैं तथा मुख्य रूप से व्यापार और अन्य भुगतान, कर्मचारी लाभ एवं प्रावधान मिलकर हैं। खंड देयताओं में, इक्विटी, आयकर देयताएं, ऋण व उधारी तथा अन्य देयताएं तथा प्रावधान शामिल नहीं हैं, जिन्हें खंडों में तर्कसंगत ढंग से आबंटित नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

2 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	जलयान (स्पीड बोट)	कंप्यूटर	फर्निचर एवं फिक्चर्स	वाहन	कुल
लागत या डीम्ड लागत (सकल वहन राशि)							
31 मार्च, 2017 को	109.92	1,690.13	2.32	76.72	79.01	5.08	1,963.18
संयोजन	17.07	104.70	-	12.30	22.41	-	156.48
न्यूनः निपटान / समायोजन	-	-	-	-	0.32	1.37	1.69
31 मार्च, 2018 को	126.99	1,794.83	2.32	89.02	101.10	3.71	2,117.97
संयोजन	5.64	141.44	-	11.35	0.25	-	158.68
न्यूनः निपटान / समायोजन	-	-	-	29.49	8.98	-	38.48
31मार्च, 2019 को	132.63	1,936.25	2.32	70.88	92.38	3.71	2,238.17
संचित मूल्यह्रास							
31 मार्च, 2017 को	51.51	1,232.81	2.30	71.10	70.06	5.02	1,432.80
वर्ष का प्रभार	6.30	103.32	-	4.80	9.76	0.01	124.19
न्यूनः निपटान / समायोजन	-	-	-	-	0.24	1.37	1.61
31 मार्च, 2018 को	57.81	1,336.13	2.30	75.90	79.58	3.66	1,555.38
वर्ष का प्रभार	7.77	106.03	-	10.63	8.00	0.00	132.44
न्यूनः निपटान / समायोजन	-	-	-	29.22	8.78	-	38.00
31 मार्च, 2019 को	65.58	1,442.16	2.30	57.31	78.80	3.67	1,649.82
निवल बुक मूल्य							
31 मार्च, 2017 को	58.41	457.32	0.02	5.62	8.95	0.06	530.38
31 मार्च, 2018 को	69.18	458.70	0.02	13.12	21.52	0.05	562.59
31 मार्च, 2019 को	67.05	494.06	0.02	13.56	13.58	0.04	588.32

द्रष्टव्यः

(क) कंपनी द्वारा जमानत के रुप में गिरवी रखे सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की जानकारी के लिए द्रष्टव्य 15 का संदर्भ लें।

(ख) भवन में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से लाइसेंस करारनामें के अंतर्गत सर्कुलर गार्डेन रीच कोलकाता की भूमि पर स्थायी ढांचे के बारे में 131.46 लाख रुपये (विगत वर्ष का 125.82 लाख रुपये) शामिल है।

3 अमूर्त परिसंपत्तियों

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
विचारित लागत (सकल वहन राशि)	
1 अप्रैल, 2017 को (द्रष्टव्य 58 देखें)	7.69
संयोजन	8.94
31 मार्च, 2018 को	16.63
संयोजन	4.39
31 मार्च, 2019 को	21.02
संचित मूल्यह्रास	
31 मार्च, 2017 को	6.85
वर्ष का प्रभार	1.46
31 मार्च, 2018 को	8.31
वर्ष का प्रभार	3.49
31 मार्च, 2019 को	11.80
निवल बुक मूल्य	
31 मार्च, 2017 को	0.84
31 मार्च, 2018 को	8.32
31 मार्च, 2019 को	9.22

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

4 निवेश

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
गैर-वर्तमान निवेश		
(क) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		
(अ) सहायक कंपनियां (अनुद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)		
भारत प्रोसेस एण्ड मेकानिकल इंजीनियर्स लिमिटेड*	486.30	486.30
रु. 1000/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 48,600 इक्विटी शेयर		
(आ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां		
भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (अनुद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)	0.30	0.30
रु. 100/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 300 इक्विटी शेयर		
(इ) अन्य कंपनियां		
लगन लूट मंशीनरी कंपनी लिमिटेड (अनुद्धृत, एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित)	42.20	42.20
रु. 10/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 4,22,000 इक्विटी शेयर		
जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (उद्धृत, एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित) *	2,558.01	2,558.01
रु. 10/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 2,55,80,122 इक्विटी शेयर		
(ख) ऋणपत्रों या बॉण्ड में निवेश		
(अनुद्धृत, परिशोधित लागत पर मूल्यांकित)		
ईस्ट इण्डिया क्लिनिक लि. की 5% अप्रतिदेय पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक	0.16	0.16
99 सं. आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉण्ड – 2016	67.64	64.21
कुल निवेश	**3,154.61**	**3,151.18**
निम्नलिखित का समष्टि बही मूल्य :		
- उद्धृत निवेश	2,558.01	2,558.01
- अनुद्धृत निवेश	596.60	593.17
उद्धृत निवेशों का समष्टि बाजार मूल्य	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

इक्विटी दस्तावेजों की लागत उचित मूल्य के उपयुक्त आकलन के तौर पर माना गया है क्योंकि संभावित उचित मूल्य का विस्तृत क्षेत्र और लागत उसी श्रेणी के अंदर उचित मूल्य का श्रेष्ठ अनुमान बताता है।

*भारत प्रोसेस एण्ड मेकानिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) एवं जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड समापन के अधीन है।

5 व्यापार से प्राप्य (अनुद्धृत) :	**31 मार्च, 2019**	**31 मार्च, 2018**
गैर-वर्तमान		
शोध्य माना गया - दीर्घावधि व्यापार से प्राप्य	38.98	38.98
न्यून : संदिग्ध माने गए प्राप्य हेतु छूट	(38.98)	(38.98)
	-	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

वर्तमान	**31 मार्च, 2019**	**31 मार्च, 2018**
शोध्य माना गया	**6,293.33**	**4,354.82**
संदिग्ध माना गया	**778.83**	**778.83**
	7,072.16	**5,133.65**
न्यून : संदिग्ध माने गए प्राप्य हेतु छूट	**(1,481.60)**	**(1,247.69)**
कुल व्यापार से प्राप्य	**5,590.56**	**3,885.97**

अ) कंपनी द्वारा जमानत के तौर पर गिरवी रखे व्यापार से प्राप्य के बारे में जानकारी हेतु द्रष्टव्य 15 का संदर्भ लें।

6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	31 मार्च, 2019	**31 मार्च, 2018**
गैर-वर्तमान		
तुलन-पत्र की तिथि से अगर बैंक जमा एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली है *	**-**	**1,736.00**
अन्यान्य		
बयाना धन एवं अन्य जमा	**2,898.43**	**-**
	2,898.43	**1,736.00**
वर्तमान		
ऋण और अग्रिम		
सहायक कंपनियों एवं अन्य को दिए उधार - भारत सरकार का प्राप्य	**6,796.31**	**6,796.31**
अन्य अग्रिमों	**3,305.67**	**1,341.31**
ब्याज प्राप्य / उपचित		
सहायक कंपनियों को दिए ऋणों पर	**34,006.55**	**34,006.55**
निवेश, जमा एवं मियादी जमा पर ब्याज उपचित	**590.38**	**671.86**
अन्यान्य		
बयाना धन एवं अन्य जमा	**757.38**	**3,014.78**
न्यून : संदिग्ध कर्ज हेतु छूट	**(53.15)**	**(53.11)**
	704.23	**2,961.67**
अन्यान्य - प्राप्य	**34.49**	**34.49**
	45,437.63	**45,812.18**

* बैंक के पक्ष में रु. शून्य (विगत वर्ष - रु.1736.00 लाख) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

टिप्पणियां विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 शुद्ध, आस्थगित कर परिसंपत्तियां

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित जमा हानि	409.17	418.01
- कर्मचारी हित के लिये प्रावधान	110.15	90.08
कुल	**519.32**	**508.08**
आस्थगित कर देयताएं		
- मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	(13.96)	(20.69)
- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	(3.81)	(3.50)
शुद्ध, आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**501.55**	**483.90**

8 मालसूचियां

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
कच्चे माल	622.68	403.55
भंडारण, यंत्रांग एवं संघटकों (शुद्ध)	2.78	2.78
फुटकर औजार	17.31	17.55
प्रगतिधीन कार्य	2,275.27	2,277.10
कुल मालसूचियां	**2,918.04**	**2,700.98**

अ) कंपनी द्वारा जमानत के तौर पर गिरवी रखे मालसूचियों के बारे में जानकारी हेतु द्रष्टव्य 15 का संदर्भ लें।

9 नकद एवं नकद तुल्यमान

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
बैंक में शेष		
- चालू खाते में	203.99	111.64
- तीन माह से कम मूल परिपक्वता वाली जमा खाते में*	4,900.00	8,598.50
नकद हाथ में	2.23	2.43
कुल नकद एवं नकद तुल्यमान	**5,106.23**	**8,712.57**

* बैंक के पक्ष में रु.1000 लाख (विगत वर्ष - रु.शून्य) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

10 अन्य बैंक शेष

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
- बैंक में तीन माह से अधिक मूल परिपक्वता वाली मीयादी जमा	6,888.31	7,784.14
- न्यून : अन्य 'वित्तीय परिसंपत्तियों' के तहत बताये		
12 महीने से अधिक मूल परिपक्वता वाली बैंक में जमा	-	(1,736.00)
कुल अन्य बैंक शेष	**6,888.31**	**6,048.14**

* बैंक के पक्ष में रु. 2,876 लाख (विगत वर्ष – रु. 1653.64) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध प्रावधान)	213.16	66.05
	213.16	**66.05**

12 अन्य परिसंपत्तियां

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान		
सरकार एवं सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमा	648.85	348.17
	648.85	**348.17**

13 शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
रु. 1000/- प्रत्येक की 34,81,000 (31 मार्च, 2018 को 34,81,000) इक्विटी शेयर	**34,810.00**	**34,810.00**
निर्गमित,		
इक्विटी शेयर पूंची		
रु. 1000/- प्रत्येक की12,08,605 (31 मार्च, 2018 को 10,37,305) पूर्णत: चुकता इक्विटी शेयर	**12,086.05**	**12,086.05**
अभिदत्त एवं पूर्णतः चुकता		
इक्विटी शेयर पूंची		
रु. 1000/- प्रत्येक की12,08,605 (31 मार्च, 2018 को 10,37,305) पूर्णत: चुकता इक्विटी शेयर	**12,086.05**	**12,086.05**
	12,086.05	**12,086.05**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(अ) प्रतिवेदन वर्ष की शुरूआत एवं अंत में बकाये शेयरों की मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2019 इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2019 राशि	31 मार्च, 2018 इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2018 राशि
वर्ष की शुरूआत में बकाया	12,08,605	12,086.05	10,37,305	10,373.05
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-	1,71,300	1,713.00
वर्ष के अंत में बकाया	**12,08,605**	**12,086**	**12,08,605**	**12,086.05**

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार

कंपनी के इक्विटी शेयरों में प्रति शेयर 1000 रुपये का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार हैं। कंपनी भारत में लाभांश घोषित करती है और भुगतान करती है। निदेशक मंडल (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारकों को सभी अधिमानी रकम के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) होल्डिंग या अंतिम नियंत्रक कंपनी के संबंध में शेयरहोल्डिंग पैटर्न

कंपनी की कोई नियंत्रक कंपनी या अंतिम नियंत्रक कंपनी नहीं है।

(घ) कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण :

विवरण	31 मार्च, 2019 धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2019 श्रेणी में धारण का %	31 मार्च, 2018 धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2018 श्रेणी में धारण का %
भारत के राष्ट्रपति एवं उनका नॉमिनी	12,086	100%	12,086	100.00%
	12,086	**100%**	**12,086**	**100.0%**

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख पर शेयर / विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्प और अनुबंध / वचनबद्धताओं के अधीन जारी करने के लिए कोई सामान्य शेयर प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्वस कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूँजी पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर उपर्युक्त राशि के लिए निवेश किया है।

(छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इक्विटी /अधिमान्य शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की गई हैं।

(ज) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी द्वारा कोई कॉल वगैर भुगतान के नहीं है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

14 अन्य इक्विटी :

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्रारक्षित पूंजी	0.06	0.06
शेयर आवेदन धन, आबंटन लंबित	-	-
पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	-	-
सामान्य रिजर्व	1,623.65	1,473.65
ऋणपत्र मोचन कोष	153.66	303.66
प्रतिधारित आय	7,904.15	9,325.06
	9,681.52	**11,102.43**

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(अ) प्रारक्षित पूंजी		
प्रारंभिक शेष	0.06	0.06
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-
अंत शेष	**0.06**	**0.06**

पूंजी रिजर्व कंपनी द्वारा पूंजीगत प्राप्तियों का द्योतक है।

(आ) शेयर आवेदन धन, आबंटन लंबित

प्रारंभिक शेष	-	325
वर्ष के दौरान जारी	-	(325)
अंत शेष	-	-

उपर्युक्त राशि के लिए निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किया है।

(इ) पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा

प्रारंभिक शेष	-	1,388.00
वर्ष के दौरान जारी	-	(1,388.00)
अंत शेष	-	-

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्वस कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूँजी पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर उपर्युक्त राशि के लिए निवेश किया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(ई) सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	1,473.65	1,473.65
वर्ष के दौरान अंतरण	150.00	-
अंत शेष	**1,623.65**	**1,473.65**

सामान्य रिजर्व कंपनी के मुक्त रिजर्व हैं जो भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से निकाल कर रखा जाता है।

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(उ) ऋणपत्र मोचन कोष		
प्रारंभिक शेष	303.66	303.66
वर्ष के दौरान अंतरण	(150.00)	-
अंत शेष	**153.66**	**303.66**

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा नियमों के साथ पठित लागू प्रावधानों के मुताबिक और निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, कंपनी ने ऋणपत्रों के रिडेम्पशन के उद्देश्य से दूरदर्शी आधार पर ऋणपत्रों के मूल्य के 25% की दर से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया है।

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(ऊ) प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	9,325.06	9,852.22
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	36.13	238.60
अन्य व्यापक आय	-	-
अंतिम लाभांश	(1,208.61)	(636.24)
अंतिम लाभांश पर कर	(248.43)	(129.52)
अंत शेष	**7,904.15**	**9,325.06**

प्रतिधारित आय कंपनी द्वारा आज तक अर्जित संचित लाभ हैं, सामान्य रिजर्व, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) और शेयरधारकों को दिए गए अन्य वितरणों में से अंतरण को घटाकर बनता है।

कुल अन्य इक्विटी	**9,681.52**	**11,102.43**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

15 उधारी

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2019
गैर-वर्तमान उधारी		
अप्रतिभूत ऋण		
पुनर्संरचना ऋणपत्र जमा :		
ऋण शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित आवंटन लंबित है(नीचे द्रष्टव्य क देंखे)	**313.07**	**326.80**
कुल गैर-वर्तमान उधारी	**313.07**	**326.80**
वर्तमान उधारी		
- प्रतिभूत ऋण की मांग करने पर पुनर्वापसी		
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्फट (नीचे द्रष्टव्य ख देंखे)	**0.79**	**0.56**
भारत सरकार से अन्य ऋण और अग्रिमों (नीचे द्रष्टव्य ग देंखे)	**6,589.00**	**6,589.00**
कुल वर्तमान उधारी	**6,589.79**	**6,589.56**

क. ऋण शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित,आबंटन लंबित है

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्वस कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूँजी पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर एवं औपचारिकताएं पूरा होना लंबित रहने, इस मुद्दे पर शर्तें प्राप्त न होने के कारण शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन का आबंटन लंबित है।

पुनर्वापसी की शर्तें :

कंपनी 50 लाख रुपये की समान वार्षिक किश्त पर शून्य दर ऋण (जेडआरडी) पुनर्वापसी करेगी।

ख. केनरा बैंक से ओवरड्राप्फट

ऋण हेतु दिए प्रतिभूति का विवरण

केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट मुख्य रूप से स्टॉक और बुक ऋणों के हाइपोथेकेशन द्वारा और जलयान, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्स्चर और वाहनों सहित स्थायी परिसंपत्तियों के समानान्तर बंधक रख कर और 22, ली रोड, कोलकाता-700020 पर कंपनी के फ्लैट का न्यायसंगत बंधक रखकर ली गई है।

अल्पावधि कर्ज पर ब्याज दर का विवरण

मांग करने पर ओवरड्राफ्ट पर भिन्न ब्याज दर 11.10% प्रति वर्ष - 11.25% प्रति वर्ष के बीच पुनर्भुगतान करना है।

ग. भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और निरंतर परपाटी के अनुसार,वर्तमान में समापन के अधीन कुछ सहायक कंपनियों को कंपनी के माध्यम से जारी किए गए भारत सरकार के ऋण का लेखांकन नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी द्वारा ऐसी सहायक कंपनियों से ब्याज की प्राप्ति अनिश्चित है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

16 प्रावधान

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
गैर वर्तमान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
- आनुतोषिक	55.44	122.40
- छुट्टी नकदीकरण	373.06	263.94
	428.50	386.34
वर्तमान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
- आनुतोषिक	50.58	24.76
- छुट्टी यात्रा रियायत हेतु प्रावधान	-	17.57
	50.58	42.33

क) भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी हितलाभ' द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण द्रष्टव्य 33 में किया गया है।

17 अन्य देयताएँ

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
गैर वर्तमान		
आस्थगित सरकारी अनुदान	216.80	251.55
	216.80	251.55
वर्तमान		
आस्थगित सरकारी अनुदान	34.75	36.27
ग्राहकों से अग्रिम	2,293.07	1,888.47
सांविधिक बकाया	57.70	
	2,385.51	1,924.74

18 व्यापार देनदारियां

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
व्यापार देनदारियां		
- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों की कुल बकाया (द्रष्टव्य 34 देखें)	-	-
- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावे ऋणदाताओं का कुल बकाया	7,597.46	6,288.00
	7,597.46	6,288.00

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19 अन्य वित्तीय देयताएँ

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
उधारी पर उपचित ब्याज एवं बकाया	34,016.12	34,016.12
कर्मचारी हितलाभ देय	58.71	
पुनर्गठन ऋणपत्र जमा -		
शून्य दर वाले ऋणपत्रों में परिवर्तनीय ऋण पर वर्तमान परिपक्वताएँ	50.00	50.00
व्यापार एवं प्रतिभूति जमा	480.81	461.12
	34,605.64	34,527.24

20 प्रचालन से राजस्व

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
निर्माण ठेके से आय	10,283.15	8,758.55
	10,283.15	8,758.55
अन्य प्रचालन आय :		
स्क्रैप बिक्री	217.62	85.52
	10,500.77	8,844.06

21 अन्यान्य आय :

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	36.27	37.65
ब्याज की आय :		
- बैंक और प्रतिभूति जमा पर	993.24	1,219.98
- बॉण्ड पर	3.43	3.26
अन्य गैर-प्रचालन आय	40.45	2.44
[विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का लाभ 0.35 लाख रुपये (विगत वर्ष का 0.02 लाख रु.)]		
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)	341.84	-
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	0.94	0.31
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए अनुज्ञा का उलटाव	-	12.66
बैं. गां का नगदीकरण / सु. ज. एवं ई. एम. डी. की जब्ती.	48.60	-
	1,464.77	1,276.29

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

22. खपत सामग्रियों की लागत :

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों की प्रारंभिक स्टॉक	403.55	104.81
जोड़ें : वर्ष के दौरान खरीद	2,046.07	2,268.30
	2,449.62	2,373.11
न्यून : कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों के समापन स्टॉक	622.68	403.55
	1,826.94	1,969.56
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य खर्च	36.44	83.73
	1,863.38	2,053.29

23. मालसूचियों एवं प्रगतिधीन कार्य में बदलाव :

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्रगतिधीन कार्य		
वर्ष की शुरूआत में मालसूची	2,277.10	3,892.76
न्यून : वर्ष के अंत में मालसूची	2,275.27	2,277.10
मालसूची में (वृद्धि) /ह्रास	1.82	1,615.66

24. कर्मचारी हितलाभ खर्च :

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वेतन, मजदूरी और बोनस	1,793.71	1,639.42
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	230.71	285.98
कल्याण खर्च	65.38	76.76
	2,089.80	2,002.16

क) भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार विभिन्न कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान के बारे में प्रकटीकरण द्रष्टव्य 33 में किया गया है।

25. वित्त लागत :

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
परिशोधित लागत पर अंकित वित्तीय देनदारियों पर वित्त शुल्क		
ऋणपत्र	36.27	37.65
अन्य उधारी लागत		
बैंक का ब्याज एवं कमीशन	29.20	70.76
	65.47	108.41

26. मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च :

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	132.45	124.19
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	3.49	1.46
	135.93	125.65

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

27 **अन्य व्यय :**

	31 मार्च, 2019	31 31 मार्च, 2018
विज्ञापन	30.75	21.17
संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ते	0.04	0.21
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	233.93	-
बैंक प्रभार	0.73	0.66
गाड़ी भाड़ा प्रभार	52.33	55.92
भंडारण, पुर्जे एवं खुले औजार की खपत	53.17	240.82
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	50.00	89.40
बैंक गारंटी का नकदीकरण / ईएमडी, एसडी की जब्ती	-	70.76
संरचित इस्पात कार्य व्यय	405.17	193.32
महसूल और अग्रेषण	47.16	11.97
बीमा	3.36	6.30
श्रम उपकर	54.39	26.78
विधिक / परामर्शी और पेशेवर प्रभार	136.14	71.95
विविध व्यय	120.18	106.50
डाक महसूल, दूरभाष और फैक्स	5.15	8.73
मुद्रण और लेखन सामग्री	6.40	8.41
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)	-	7.29
प्लांट एवं क्रेन भाड़ा प्रभार	1.17	17.30
बिजली एवं ईंधन	89.73	129.74
स्थानीय कर एवं उप कर	4.92	161.75
किराया	40.99	85.09
मरम्मती एवं अनुरक्षण :		
- भवन	0.02	0.01
- संयंत्र और मशीनरी	0.62	0.55
- अन्यान्य	3.12	2.36
साइट संस्थापना व्यय	0.73	1.84
उप ठेका एवं अन्य परिवर्तन प्रभार	6,243.60	2,371.78
चन्दा और दान	7.10	2.25
परीक्षण प्रभार	3.09	7.13
यात्रा खर्च	55.29	53.27
	7,649.26	3,753.25

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

28 कर व्यय :

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान आय कर:		
वर्तमान आय कर प्रभार	141.41	230.14
एम ए टी जमा हकदार		-
आस्थगित कर :		
अस्थायी अंतर की उत्पत्ति और उलटाव से संबंधित	(17.65)	(6.81)
लाभ या हानि विवरण में आयकर व्यय को मान्यता दी गई	123.75	223.33

वर्ष के दौरान ओसीआई में विचारित वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	-	-
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे	-	-
ओसीआई का आयकर प्रभार	-	-

लेखांकन लाभ के साथ घरेलू कर दर से गुणा करके कर व्यय का मिलान

	31 मार्च, 2019 31	31 मार्च, 2018
आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	159.88	461.93
लेखांकन लाभ पर सांविधिक आयकर 27.82% की दर(31 मार्च 2018:34.608%)से कर	44.48	159.87
कर उद्देश्यों के लिए इक्विटी खोलने हेतु अनुमति दी गई मदों के बारे में समायोजन (कुल का 1/5 वां)	-	-
कम दरों पर आस्थगित कर के संबंध में समायोजन (26%)	(17.65)	(6.81)
अन्यान्य		70.28
16.78% (31 मार्च, 2018: 48.348%) की प्रभावी कर दर पर कुल	26.82	223.34
लाभ और हानि विवरण में प्रतिवेदित कुल कर व्यय	123.75	223.33

प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर को प्रतिवेदन की अवधि के अंत में मान्यता नहीं दी गई

वर्ष के अंत से, निदेशकों ने1208.61लाख रुपये (31 मार्च,2018:1208.61लाख रुपये) अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इस प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर 237.34 लाख रुपये (31 मार्च, 2018:248.43 रुपये) की मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि प्रस्तावित लाभांश पर आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की अनुमति प्राप्त होना है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

29 आकस्मिक देयताएँ और वचनवद्धताएँ

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i) आकस्मिक देयताएँ		
- बैंक गारंटी	3,588.28	3,360.43
- विवादित विक्रय-कर मांग (नीचे द्रष्टव्य क देंखे)	132.73	100.44
- विवादित आय-कर मांग (नीचे द्रष्टव्य क देंखे)	440.68	308.86
- विवादित सेवा-कर मांग	154.45	154.45
- आपिल के तहत विवादित भविष्य निधि मांग	54.14	54.14
- पश्चिम बंगाल के लिए विवादित सेवाकर मांग	63.66	137.48
- विवादित माल और सेवाकर मांग (लेनदेन - 1 ब्याज)	12.55	0.00

* कंपनी विविध कार्यवाही और दावों के अध्यधीन है जो ऊपर उल्लिखित सामग्री समेत कर प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमा सहित व्यापार के सामान्य तरीकों के अंतर्गत उत्पन्न हुए हैं। अनिश्चित एवं सम्भाव्य भुगतान विभिन्न विविध प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर हैं, जो दावेदारों या कंपनी द्वारा निरस्त कर दिए गये हैं, जैसी स्थिति हो, तथा जिसका सही पता नहीं लगाया जा सकता हैं। इसके हितों को सुरक्षित रखने के लिए पेशेगत सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, एवं यह परामर्श दिया गया है कि ऐसे विवादों के विरुद्ध मजबूत विधिक स्थितियाँ हैं। प्रबंधन विश्वास करती है कि कार्यवाही के अपने बचाव में इसके पास उचित मामला है तथा तदनुसार आगे कोई प्रावधान अनावश्यक नहीं हैं। कोर्ट केसों के विवरण टिप्पणी 40 में दिया गया हैं।

30 संबद्ध पार्टियों के प्रकटीकरण :

क) निम्नलिखित तालिका संबंधित पार्टी का नाम और कंपनी के साथ अपने संबंध की प्रकृति प्रदान करती है :

नाम	संबंध
श्री सुंदर बनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 अगस्त, 2017 से तथा निदेशक (तकनीकी) पूरे वर्ष तक
श्री आर.के. मित्रा	निदेशक (वित्त) 24 अक्तूबर, 2017 से
श्री एस.के. सिंह	सरकारी निदेशक 11 दिसम्बर, 2017 से
श्रीमती बेला बनर्जी	गैर-सरकारी निदेशक
श्री तापस कुमार चटर्जी	गैर-सरकारी निदेशक

ख) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन का विवरण :

	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
i)	**प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक :-**		
	निदेशक के रूप में वेतन एवं भत्ते	50.19	25.39
	कर्मचारी के रूप में वेतन एवं भत्ते	-	-
	निदेशक के रूप में भविष्य निधि में अंशदान	4.71	2.68
	कर्मचारी के रूप में भविष्य निधि में अंशदान	-	-
	(वेतन एवं भत्ते में छुट्टी नकदीकरण शामिल है)		
ii)	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बैठक शुल्क	2.00	2.10

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ग) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें :

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन उन समतुल्य शर्तो पर किये जाते हैं जो आर्म्स लेन्थ लेन-देनों में उपलब्ध है।

31 सिग्मेंट सूचना

भारतीय लेखांकन मानक 108 " अपरेटिंग सिग्मेंट" ("इंडि. ए यस 108") परिचालन और भौगोलिक सिग्मेंट एवं उत्पाद व सेवाएं, भौगोलिक क्षेत्र और प्रमुख ग्राहकों के बारें में प्रकटीकरणों से संबंधित सार्वजनिक व्यवसाय उद्यम रिपोर्ट सूचना हेतु मानक स्थापित करता है, भारतीय लेखांकन मानकों में यथा प्रतिभाषित "प्रबंधन पहल" पर आधारित, परिचालन सिग्मेंट और भौगौलिक सिग्मेंट मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सी.ओ.डी.एम.) को प्रावधानित आतंरिक रिपोर्टिंग से सुसंगत पद्धति में प्रतिवेदित किए जाते हैं। सी.ओ.डी.एम.कंपनी के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं समग्र आधार पर संसाधन प्रावधानित करता है।

कंपनी प्राथमिक रूप में गढ़ाई, जिसे 'परिचालन सिग्मेंट' पर भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सिर्फ प्रतिवेदन योग्य व्यापार सिग्मेंट के रूप में विचार किया जाना है, समेत निर्माण व्यापार में जुडी हुई है।

32 लेखा - परीक्षकों के पारिश्रमिक समेत:

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.80	0.50
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.30	0.20
अन्यान्य	0.40	0.24
कुल	**1.50**	**0.94**

33 भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण:

क) उपदान

कंपनी अपने कर्मचारियों को परिभाषित लाभ योजना के तहत लाभ प्रदान करती है जिसे "उपदान योजना" कहा जाता है। उपदान योजना उसी कर्मचारियों के लिए है जिसने कम से कम लगातार पाँच वर्षों तक सेवा प्रदान की हो, को सेवा-निवृति/सेवा छोड़ने के समय पूरी सेवा के प्रत्येक वर्ष हेतु 15 दिनों का वेतन प्रदान किया जाएगा जो 20 ,00 ,000 रु. तक सीमित है।

कंपनी ने भारतीय एलआईसी समूह उपदान नीति भी अपनाई है, जिसके परिणामस्वरुप एलआईसी द्वारा बीमांकित आधार पर यथा निर्धारित देयता बतौर प्रत्येक वर्ष कंपनी द्वारा दी जाएगी।

वित्त वर्ष 2018-19 हेतु कंपनी का उपादान व्यय उपर्युक्त का 87.32 लाख रु.(पिछले वर्ष 126.14 लाख रु.),एलआईसी (निधि प्रशासक) द्वारा निर्धारित देयता 54.44 लाख रु.(पिछले वर्ष 126.06 लाख रु.)थी। उपदान हेतु प्रावधान में के पुरानी उपदान देयता 0.33 लाख रु.(पिछले वर्ष 0.33 लाख रु.) भी शामिल है।

ख) छुट्टी

कंपनी अपने कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) प्रावधानित करता है जो सालाना 30 दिनों कि जमा होती है। अर्जित छुट्टी (ईएल) सेवा में रहते नगदी योग्य है, तथापि, सेवा-समाप्ति पर नगदीकरण हेतु छुट्टी कि कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी, यह

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

योजना अनिधिक है तथा इसकी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिचिह्नित की जाती है। वर्ष हेतु 423.64 लाख रु. (31 मार्च 2018: 288.70 लाख रु.) का एक प्रावधान वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर रखा गया है, तथा लाभ और हानि के विवरण के नामे लिखा गया है।

निम्नलिखित सारणियाँ लाभ या हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित निवल लाभ व्यय के घटकों को सारांशित करती हैं तथा राशियाँ तुलन-पत्र में प्रतिचिह्नित हैं:

दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्रारंभिक शेष	**288.70**	**284.10**
चालू सेवा लागत	27.29	17.45
गत सेवा लागत	81.04	-
ब्याज लागत	18.77	19.79
लाभ का भुगतान	(72.13)	(52.16)
बीमांकिक लाभ	79.97	19.53
अर्जन समायोजन	-	-
अन्त शेष	**423.64**	**288.70**
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	423.64	288.70
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	**423.64**	**288.70**
वर्तमान प्रावधान	50.58	24.77
गैर-वर्तमान प्रावधान	373.06	263.94

लाभ हानि खाते विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
सेवा लागत	108.33	17.45
ब्याज लागत	18.77	19.79
लाभ/(हानि) का पुनर्मूल्यांकन		
जनसांख्यिकी धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ/(हानि)	7.83	(3.76)
अनुभव समायोजन के कारण वास्तविक लाभ/(हानि)	72.13	23.28
छूट दर से अधिक (कम) योजना संपत्ति पर लाभ	-	-
कुल लागत	**207.07**	**56.76**

पूर्वधारणा	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.43%	7.67%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण पूर्वधारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत शर्तों में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2019	
	छूट दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में वृद्धि का असर	-3.67%	4.04%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में कमी का असर	4.06%	-3.80%

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2018	
	छूट दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में वृद्धि का असर	-3.67%	3.90%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में कमी का असर	3.91%	-3.68%

इन संवेदनशीलताओं की गणना अलगाव में अनुमानित लाभ दायित्व में संचलन दिखाने के लिए की गई है और यह मानते हुए कि बाजार स्थितियों में कोई अन्य बदलाव नहीं है।

34 सूक्ष्म, लघु और माध्यम आकार के उद्यम को बकाया

सूक्ष्म, लघु और माध्यम आकार ने 26 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जो अनुशंसा करता है कि सूक्ष्म, लघु और उद्यमों को अपने ग्राहक के साथ उनके पत्राचार में ज्ञापन फाइलिंग करने के बाद यथा आवंटित उद्यमी ज्ञापन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। तदनुसार, मार्च 31, 2019 को ऐसे उद्यमियों को भुगतेय राशि सम्बन्ध में प्रकटीकरण कंपनी में किया गया है। आगे प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, ब्याज का प्रभाव, अगर कोई, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी.अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाए की उम्मीद नहीं की जाती है, कंपनी को किसी आपूर्तिकर्ता से ब्याज के लिए दावा नहीं मिला है।

	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर बकाया ब्याज शेष नहीं है	शून्य	शून्य
ख)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 की शर्तों के मुताबिक प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान तय तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गयी राशि के साथ क्रेता द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य
ग)	बकाया ब्याज की राशि और भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय(जिसे वर्ष के दौरान तय दिन के बाद भुगतान किया गया है)लेकिन एमएसएमई डी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ही है।	शून्य	शून्य
घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज की राशि तथा जिसका भुगतान नहीं किया है, और	शून्य	शून्य
ङ)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय अस्वीकृत हो जाने के प्रयोजन से आगे देय ब्याज की शेष राशि और अगले वर्षों में भी देय ऐसी तारीख तक जब उक्त ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान की गयी है।	शून्य	शून्य

35 प्रति शेयर अर्जन

मूल ईपीएस राशि कि गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों को अधिरोप्य वर्ष हेतु लाभ को विभाजित की जाती है।

कम ईपीएस राशियाँ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों को अधिरोप्य लाभ जोड़ इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को विभाजित कर गणना की जाती है, जिसे इक्विटी शेयरों में सभी कम संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाएँगी।

निम्न सारणी प्रति शेयर के मूल और कम अर्जन के गणना को दर्शाती है:

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
इक्विटी शेयर धारकों के लिए जिम्मेदार वर्ष का लाभ	36.13	238.60
शेयर		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - मूल	12,08,605	11,95,933
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – तनुकृत	12,08,605	11,95,933
प्रति शेयर आय		
रु.1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - मूल (रु.)	2.99	19.95
रु.1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - तनुकृत (रु.)	2.99	19.95

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

36 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण व उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के प्रचालन में वित्तीय सहायता व मदद पहुंचाना है। कम्पनी की मूल वित्तीय सम्पत्तियों में सामान सूची, व्यापार और प्राप्य, नकद व नकद समतुल्य एवं वापसी योग्य जमा जो इसके प्रचालनों से सीधे प्राप्त होती हैं शामिल हैं।

कम्पनी बाजार जोखिम, साख जोखिम तथा नकदी जोखिम के प्रकटीकरण पर है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधक इन जोखिमों के प्रबंधन का ध्यान रखते हैं। निदेशक मंडल इन प्रत्येक जोखिम को प्रबंधित करने के लिए समीक्षा व नीति सहमति प्रदान करते हैं जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधन के भावी नकद प्रवाह के उचित मूल्य के साथ उतार-चढ़ाव करेगा। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल हैं: ब्याज जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम, जैसा कि पण्य जोखिम, बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय साधन में ऋण व उधारी तथा वापसी योग्य जमा शामिल हैं। इन अनुभागों में संवेदी विश्लेषण मार्च 31, 2019 और मार्च 31, 2018 को स्थित से संबंधित है। संवेदी विश्लेषण निवल ऋण की राशि और ऋण की अस्थायी ब्याज दरों पर निर्धारित अनुपात के आधार पर तैयार किया जाता है।

विश्लेषण में उपदान की धारित कीमत तथा अन्य पश्च सेवानिवृत्ति पर बाजार उतार-चढ़ाव में हलचल का प्रभाव शामिल नहीं है। संवेदी विश्लेषण की गणना में निम्नलिखित धारणा की गयी है :

संबंधित लाभ व हानि मद की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिमों में धारित परिवर्तनों का प्रभाव है। यह मार्च 31,2019 और मार्च 31, 2018 को धारित वित्तीय सम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं पर आधारित है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा, बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम में कम्पनी का प्रकटीकरण मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज सहित कम्पनी के लघु कालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कम्पनी परिवर्तनीय दर उधारों के संतुलित पोर्टफोलियों द्वारा अपना ब्याज दर जोखिम प्रबंधित करती है। कम्पनी किसी ब्याज दर विनिमय में प्रवेश नहीं करती है।

ब्याज दर संवेदनशीलता

निम्नलिखित सारणी ब्याज दरों पर उचित संभावित परिवर्तन में संवेदनशीलता दर्शाती है जिसने ऋणों के भाग और उधारी को प्रभावित किया है। स्थिर धारित सभी अन्य परिवर्तनों के साथ, कम्पनी का कर के पूर्व लाभ अस्थायी दर उधारी पर प्रभाव के माध्यम प्रभावित करता है, जो निम्नानुसार है:

	ब्याज दर में वृद्धि / कमी
31 मार्च, 2019	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%
31 मार्च, 2018	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ख) साख योजना

साख जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिलेखी रूप में वित्तीय साधन या ग्राहक ठेका के अधीन अपनी बाध्यता को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय हानि हो। साख जोखिम मुख्य रूप से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों समेत अपने निवेशी क्रियाकलापों से तथा अपने परिचालन क्रियाकलापों (प्राथमिक तौर पर व्यापार प्राप्य) से उत्पन्न होता है।

साख जोखिम एक सतत आधार पर ग्राहकों की साख योग्यता तथा साख सीमा के विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिस पर साख हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद साख मंजूर की जाती है। व्यापार प्राप्तियों से संग्रहण प्राप्त टीम द्वारा एक सतत् आधार पर प्रबंधित किये जाते हैं।

कम्पनी साख हानि हेतु भत्ता स्थापित करती है जो विगत और हाल की संग्रहण प्रवृत्ति पर आधारित अन्य प्राप्तियों तथा व्यापार के संबंध में सम्भावित हानि का अपना अनुमान प्रस्तुत करती है। वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों के संबंध में साख हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार थे :

क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	**31 मार्च, 2019**
प्रारंभिक शेष	1339.78
क्रेडिट नुकसान दिया गया	233.97
क्रेडिट नुकसान वापस किया	-
अन्त शेष	1,573.75

ग) नकदी जोखिम

कम्पनी का उद्देश्य बैंक जमा और ऋणों के व्यवहार के माध्यम निधियन एवं नम्यता की निरंतरता के बीच एक संतुलन अनुरक्षित रखना है।

यह सारणी संविदात्मक बिना छूट के भुगतानों पर आधारित कम्पनी की वित्तीय देयताओं का परिपक्वता स्वरूप सारांशित करती है :

	मांगने पर	**3 महीने से कम**	**3 से 12 महीने**
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष			
उधारी	6,589.79	-	-
व्यापार देय	7,597.46	-	-
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष			
उधारी	6,589.56	-	-
व्यापार देय	6,288.00	-	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

37. पूंजीगत प्रबंधन

कम्पनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार अनुरक्षित करना है जिससे निवेशक, लेनदार तथा बाजार आत्मविश्वास अनुरक्षित एवं व्यापार का भावी विकास बनाये रखा जा सके। प्रबंधन नियोजित पूंजी पर प्राप्ति के आधार पूंजी एवं कुल इक्विटी अनुपात में ऋण प्रबोधित करता है।

कुल इक्विटी अनुपात में ऋण के उद्देश्य हेतु, विचारित ऋण दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधारी है। कुल इक्विटी जारी शेयर पूंजी और सभी अन्य इक्विटी प्रारक्षित को मिलाकर है।

मार्च 31, 2019, मार्च 31, 2018 को पूंजीगत संरचना निम्नानुसार था:

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कुल इक्विटी विशेषता	21,767.57	23,188.49
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	75.79%	76.90%
वर्तमान परिपक्वता समेत दीर्घकालिक उधारी	363.07	376.80
अल्प कालीन उधारी	6,589.79	6,589.56
कुल उधारी	6,952.87	6,966.36
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	24.21%	23.10%
कुल पूंजी (इक्विटी एवं उधारी)	**28,720.44**	**30,154.85**

38 भारतीय लेखांकन मानक 115 " ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व " के अनुसरण में प्रकटीकरण :

क कंपनी 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, भारतीय लेखांकन मानक 115 " ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व " तथा निर्माण और सेवा कार्यकलापों से पहचाना जाता है जो "ओवर टाइम" पद्धति पर आधारित है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए समाप्त प्रतिशत विधि का उपयोग कर आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है, जो कंपनी द्वारा पहले इस्तेमाल की गई नीति के अनुसार है। कंपनी के वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण लेनदेन का प्रभाव नहीं है।

ख राजस्व का विभाजन

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्रचालन से राजस्व	10,283.15	8,758.55
अन्य राजस्व	217.62	85.52
कुल	**10,500.77**	**8,844.06**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

39 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

नि.सा.उ. नीति के मुताबिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उसके ठीक पहले की तीन वित्तीय वर्षो के दौरान अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नलिखित है :-

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	-	113.99
ख. पिछले वर्ष की घटती राशि	24.60	-
ग. कुल (क+ख)	**24.60**	**113.99**
घ. वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय किया गया :		
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	50.00	89.39
कुल	**50.00**	**89.39**
घटती राशि	-	24.60

क) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

विवरण	नकद में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	**50.00**	-	**50.00**

ख) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

विवरण	नकद में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	89.39	-	89.39

ग) प्रमुख शीर्ष के तहत नि.यो.उ. का खर्च का ब्रेक-अप निम्न है :

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
1. स्वच्छ भारत कोष	40.00	60.00
2. गंगा सफाई निधि	10.00	15.00
3. कुशलता विकास प्रशिक्षण	-	10.00
4. शिक्षा	-	2.43
5. स्वास्थ्य	-	1.96
6. सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि	-	-
कुल	**50.00**	**89.39**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोलकाता उच्च न्यायालय में कंपनी विषयक मामला (2013 का जी. ए. 932/2013 का एपओटी) (टीटागढ़ वैगन्स लि. एवं अन्य – बनाम - यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य)	2013	उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रिट याचिका सं. 2013 के 1509 (और वहीं से निकली कई अन्य जी ए) के 19.12.2012 के आदेश के विरुद्ध डिवीज़न बेंच के समक्ष अपील की गई है। **तथ्य:** 1. याचिका कर्ता को मालूम नहीं था कि जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को मेट्रो रेलवे, कोलकाता की 5.5 एकड़ जमीन की बिक्री से 14 करोड़ रूपए प्राप्त होंगे। यद्यपि, प्रतिवादी सं. 5(इंडो वैगन) को इसकी जानकारी थी। 2. बोली खुलने के बाद आरक्षित मूल्य तय किया गया।	चूँकि याचिकाकर्ता ने जेसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया को चुनौती दी है- राशि का जिक्र/मूल्यांकन नहीं किया गया है	याचिकाकर्ता के वकील मामले में वहस कर रहें थे । 02.02.2016 को यह विषय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश जयमाल्या बागची के माननीय डिवीज़न पीठ द्वारा आंशिक सुनवाई की गई थी जब लॉर्डशिप ने आंशिक सुनवाई को रद्द कर दिया एवं विषय को अवमुक्त कर दिया था। आगे, माननीय न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी और प्रतीक प्रकाश बनर्जी की माननीय डिवीजन बेंच के अधीन मामले को और सूचीबद्ध किया गया। 15.02.2019 को याचिकाकर्ताओं द्वारा मामला उल्लेखित किया गया । फिर भी, उक्त डिवीजन बेंच ने मुक्त कर दिया।	माननीय न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी और प्रतीक प्रकाश बनर्जी की माननीय डिवीजन बेंच द्वारा मामले को मुक्त कर देने के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा मामला किसी अन्य अदालत में उल्लेख करना बाकी है एवं 31.03.2019 तक मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ है।	विषय लंबित है - विशेष पीठ की पुष्टि होनी है।
2	कोलकाता उच्च न्यायालय में कंपनी विषयक मामले(2008 का डब्ल्यू. पी. सं. 19046 (डब्ल्यू) भाभाउनिलि एवं अन्य - बनाम - एएआईएफआर, जेसीएल, बीआईएफआर एवं अन्य	2008	कंपनी द्वारा बीआईएफआर के दिनांक 31.08.2005, 28.04.2006 के आदेश [एएआईएफआर ने बीआईएफआर के जैसे ही जेसीएल के इक्विटी शेयर 10 रु. से एक घटाने की अनुमति देने से "राइट" आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम से पूंजी निषेचन हुई, जो सेबी औपचारिकताओं के अनुपालन से "राइट" निर्गम की छूट थी एवं जेसीएल को एसआईसी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के दायरे के बाहर घोषित करना है] के विरुद्ध अपील को एएआईएफआर द्वारा 28.02.2008 को ख़ारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है।	जेसप के इक्विटी शेयरों की अंकित मूल्य में कमी होने से 23.02 करोड़ रु. की हानि हुई।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
3	कोलकाता उच्च न्यायालय में कंपनी विषयक मामला (2010 का डब्ल्यु. पी. सं. 4224 डब्ल्यु इंडो- वैगन्स- इंजी. लि. एवं अन्य – बनाम - यूनियन ऑफ इंडिया, भाभाउनिलि एवं अन्य)	2010	कंपनी द्वारा याचिकाकर्ता के संग की गई एसएचए के स्टॉक होल्डिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिमेट के रुप में जमा / अभिरक्षा की तारिख से 72% शेयरों को 03 वर्ष के लिए स्थानांतरित कर धरोहर रखना था परन्तु बीबीयूएनएल 03 वर्ष खत्म हो जाने बाद भी धरीहर वाले शेयरों के बारें में "धरीहर बंदी" पुष्टि फार्म निर्गत नहीं की।	याचिकाकर्ता ने शामिल मूल्यांकन का जिक्र नहीं किया है/ मूल्यांकित नहीं हुई।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता
4	प्रथम सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न) 24 परगना 2009 का टीएस सं. 3506/2009/91 भाभाउनिलि-बनाम-जेसप एण्ड कंपनी ली.	2009	कंपनी द्वारा 2005 में गलती से वापस की गई सितम्बर.'01 से अगस्त,'03 की सेवा प्रभार 82,71,520/- रुपए के साथ ब्याज, लागत की वसूली के लिए।	82,71,520/-रुपए +ब्याज	साक्ष्य का उद्धृत करना, गवाह की जिरह, प्रतिवादियों की बहस ख़त्म हो गयी है। कंपनी की सीनियर काउन्सेल बहस शुरू कर दिया है। कंपनी की काउन्सेल ने 07-01-2016 को सुनवाई के दौरान कंपनी के नाम बदल जाने से "क्रॉस टाइटल" के लिए बदलाव के लिए आवेदन दिया है। सीपीसी के नियम 17 के आदेश 6 के तहत वादी के हक के प्रतिस्थापन के लिए कंपनी की याचिका पर यह मामला 11.04.2017 को सुनवायी के लिए तय हुआ था । चूंकि हाजिर होनेवाले प्रतिवादी सं.1 की ओर से कोई कदन नहीं उठाया गया, इसलिए अदालत ने कई स्थगन की अनुमति दी है । फिर भी,17.09.2018 को इस मामले	चूंकि हाजिर होनेवाले प्रतिवादी सं.1 की ओर से कदम उठाया गया, तो अदालत ने कई स्थगन की अनुमति दी है । अभी 31.03.2019 तक मामला सुनवाई के लिए बाकी है।	प्रथम सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न) जिला-24 परगना (दक्षिण), अलीपुर

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					को माननीय न्यायालय ने उठाया और आवेदन की अनुमति दी और कारण हक बदलने के लिए संशोधन वाद फाइल करने का निर्देश दिया । संशोधित वाद 6.12.2018 को दायर किया गया है। 31.03.2019 तक सुनवाई के लिए मामला तय होना बाकी है।		
5	2018 का सी.ओ. नं. 1157 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूको बैंक एवं अन्य प्रतिवादी 1 यूको बैंक 2 टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एण्ड प्राईवेट लिमिटेड 3 बीपीएमईएल (समापन के अधीन) बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	2012	वसूली अधिकारी के दिनांक 23.03.2011 के आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दाखिल 2011 की अपील सं.2 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली ट्राईब्यूनल-1, कोलकाता के 23.02.2012 के आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा अपील एवं क्रॉस अपील दाखिल किया गया है। [वसूली अधिकारी उपर्युक्त आदेश के जरिये प्रतिवादी सं. 3(बीबीयूएन एल) के पास धारित कंपनी के शेयरों को जब्ती का निदेश देकर कंपनी को जब्ती का सर्टिफिकेट्स की दखल लेने हेतु रिसीवर भी नियुक्त किया है, विद्वान पीठासीन अधिकारी, ने 23.02.2012 के आदेश के जरिये शेयरों की कुर्की के आदेश के जरिये शेयरों की कुर्की के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। तथापि आदेश में यूनियन ऑफ इंडिया को उनकी देयता या दूसरी ओर से कर्तव्य मानते बीपीएमईएल के शेयर टीपीजी को हस्तांतर करने को कहा है।	यूको बैंक ने 4.11.2003 को दी आर टी से बीपीएमईएल के विरुद्ध 4,08,26,270,27 रु. के साथ ब्याज की डिक्री प्राप्तकर लिया एवं यूको बैंक में अद्यतन ब्याज समेत 4,08,26,270.27 रु. की राशि की उसी डिक्री को टीपीजी को हस्तांरित कर दिया।	खिन्न होकर, यूनियन ऑफ इंडिया ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष 10.5.2018 को एक संशोधन याचिका दायर की है । यह मामला माननीय न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य, उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) की सूची में प्रमुख "सूचीबद्ध मोशन" के तहत प्रदर्शित हो रहा है। इस मामले की सुनवाई होनी बाकी है।	ब्रांच सेक्रिटेरियट ने यूनियन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के तौर पर श्री एम तिवारी को नियुक्त किया, जिन्होंने 24.07.2017 को बहाली आवेदन फ़ाइल किया जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 10.5.2018 को संशोधन संशोधन दायर किया जो 31.03.2019 तक सुनवाई के लिए अभी तक नहीं है।	उच्च न्यायालय, कलकत्ता

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रू. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
6	कोलकाता उच्च न्यायालय में सेवा विषयक मामला 2014 का डब्ल्यू. पी. सं. 14592 (डब्ल्यू) श्रीमती सरोज अग्रवाल (याचिकाकर्ता) - बनाम - यू ओ आई, बीबीयूएनएल एवं अन्य	2014	प्रबंधन द्वारा 30 अप्रैल, 2014 के पत्र के जरिए याचिकाकर्ता के बारे में निश्चित किया गया है एवं उनके सभी बकाया नियोजन की शर्तों के मुताबिक निपटारा किया गया था।	मूल्यांकन योग्य नहीं	मामला 27.01.2015 को उठा तब माननीय न्यायालय ने सचिव, भाउवि एवं कंपनी को 4 सप्ताह के अंदर कुछ कार्य के विरुद्ध हलफनामा देने को कहा। कंपनी ने हलफनामा तैयार कर पुष्टि की और यू ओ आई ने 28.07.2015 को पुष्टि की। जब यह मामला सामने आएगा तब दाखिल करने के लिए सरकारी वकील अनुमति लेगा।	यह मामला न्यायमूर्ति देवांगन बसाक के न्यायालय में सूचीबद्ध था। 14.12.2018 को मामला उठाया गया । सुनवाई होने पर माननीय ने मानमले को उनकी सूची से मुक्त करने को कहा। जब माननीय ने इस मामले को उल्लेख करने की अनुमति दी तो याचिकाकर्ता के वकील ने सूचित किया इस मामले को माननीय न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के समक्ष 15.01.2019 को अपग्रेड करने के लिए उल्लेख किया गया । यह मामला 31.03.2019 तक सूची में आना बाकी है।	माननीय न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी। उच्च न्यायालय, कलकत्ता
7	कलकत्ता उच्च न्यायालय में सेवा विषयक मामला 2015-08-11 का डब्ल्यू. पी. सं.116 अमित दासगुप्ता-बनाम- यू.ओ.आई, बीबीयूएनएल एवं अन्य	2015	याचिकाकर्ता जब वे प्रबंधक(संयोजन) के तौर पर कार्य कर रहे थे, के विरुद्ध बीबीयूएनए की सीडीए नियम के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी एवं उन्हें "अनिवार्य सेवा निवृत्ति" फैसला किया गया था । न्यायालय द्वारा 02.06.14 को कतिपय प्रक्रियात्मक त्रुटियां देखी गई । और मामलों को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास नए सिरे से विचार करने के लिए पुनरर्पण किया एवं तदनुसार, अनुशासनिक प्राधिकारी(निदेशक तकनीकी) ने "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के उस सजा के आदेश 05.08.14 को याचिका कर्ता को भेजा। इस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने एक पृथक रिट याचिका दाखिल की है।	मूल्यांकन योग्य नहीं	मामला माननीय न्यायाधीध संबुद्ध चक्रवर्ती की सूची में 14.03.2017 को आया एवं जब याचिकाकर्ता ने उक्त कामले में क्रॉस टाइटिल में संशोधन के लिए आवेदन फाईल किया। याची की ओर से वकील की सुनने के बाद महामान्य ने मामले को 11.04.2017 की सूची में डालने के लिए निर्देश दिया परंतु सूचीभुक्त नहीं हुआ । मामला माननीय न्यायाधीध संबुद्ध चक्रवर्ती की सूची में	चूंकि यह मामला अभी माननीय न्यायालय द्वारा उठाया जाना बाकी है, अत: यह मामला 31.03.2019 तक लंबित है।	माननीय न्यायाधीश संबुद्ध चक्रवर्ती

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					30.01.2018 को आया एवं और तब बुलाया गया तब कोई भी याचिकाकर्ता की ओर से पेश नहीं हुआ। महामान्य द्वारा डिफ़ॉल्ट के लिए रिट याचिका को खारिज किया गया । यह बताया जाता है कि बर्खास्तगी के आदेश वाले यह मामला को पुन: आयेगा। मामला सूची में आना बाकी है।		
8	कलकत्ता उच्च न्यायालय में मध्यस्थता विषयक मामला 2016 का ए. पी. सं. 9, 2016 का जी. ए. सं. 120 इंडो वैगन इंजी. कं. लि.-बनाम-बीबीयूएनएल उच्च न्यायालय, कलकत्ता, 2018 की ई.सी. संख्या 458 दि ब्रेथवेट एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम इंडो वैगन इंजी.कं. लि.	2016	कंपनी एवं इंडो वैगन इंजी. कं. लि. (आई डब्ल्यू ई एल और बीबीयूएनएल के बीच निम्नलिखित विवादों के लिए एक मध्यस्थता कार्यवाही की गई: (क) जेसप एण्ड कंपनी लि. ("जेसप") की 10 रुपये से 1/- रु. इक्विटी शेयरों में कमी करने; (ख) जेसप द्वारा 2005 में इक्विटी शेयरों का "राइट" निर्गम: (ग) जेसप के निदेशक मंडल में अंतिम नॉमिनी के बाद बीबीयूएनएल की नॉमिनी नियुक्ति न करना (बीबीयूएनएल ने 29.08.2003 को 72% इक्विटी शेयरों के बिक्री हेतु "शपथ समाप्ति पुष्टि फार्म" भी जारी नहीं की है। एकल मध्य ने 11.09.2015 को निम्नलिखित फैसला दिया: फैसला दावा विवरण प्रार्थना (सी)और (जी) के संबंध में प्रतिवादी(आई डब्ल्यू ई एल) के विरुद्ध दावेदार(कंपनी) के पक्ष में दिया गया। आगे यह भी निर्णय दिया गया कि फैसला देने की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा विवरण की प्रार्थना (सी) और (जी) में दी गई राशि के भुगतान करने में प्रतिवादी असफल	41 करोड़ रु. लगभग एवं ब्याज (मध्यस्थता फैसले के मुताबिक)	**2016 के ए पी संख्या 9 के बारे में** : यह मामला 07.03.2017 को सुनवाई के लिए तय किया गया था लेकिन यह मामला 07.03.2017 को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। यद्यपि, कंपनी ने अपील को खारिज करने के लिए माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आईडब्ल्यूईएल के आवेदन और जी.ए के खिलाफ हलफनामा दायर किया है। मामले को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। **2018 के ईसी संख्या 458 के बारे में** :भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.03.2018 के एक हालिया फैसले के समर्थन में मध्यस्थता और सुलह की धारा 36 की संशोधन की प्रयोज्यता के बारे में, कंपनी ने दिनांक 19.09.2015 को एक नया कार्यान्वयन आवेदन दिनांक 15.09.2015 को दायर किया। यह मामला 22.01.2019 को लिया गया जब	आगे मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ। 2018 के ईसी संख्या 458 के बारे में : मामला आगे की कार्रवाई व निदेशों के लिए एक पखवाड़े के बाद सुना जाएगा।	माननीय न्यायमूर्ति, आई. पी. मुखर्जी, उच्च न्यायालय, कलकत्ता माननीय न्यायमूर्ति, अरिजीत बनर्जी, उच्च न्यायालय, कलकत्ता

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
			रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी द्वारा दावेदार को देय होगा। सूचना के लिए: दावा विवरण की प्रार्थना (सी) निम्न रूप से पढ़ा जाएगा। प्रार्थना "ए" और "बी" के विकल्प के रूप में 31अगस्त,2005 से दावा करने की तारीख तक 15% ब्याज के साथ प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 23,02,21,098/-रुपये का अवार्ड दिया जाता है। प्रार्थना (जी) निम्न रूप से पढ़ा जाएगा – प्रार्थना "डी" से "एफ" के विकल्प के रूप में 1 नवंबर, 2005 से दावा करने की तारीख तक 15% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 1800.28/- लाख रुपये का अवार्ड दिया जाता है। आई डब्ल्यू ई एल पीड़ित होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 05.01.2016 को निम्नलिखित याचिका दायर की है - (क) 11.09.2015 के कथित अवार्ड खारिज करने एवं अन्य।		माननीय न्यायालय ने सीपीसी के नियम 21(1) के आदेश 21 के तहत नोटिस जारी करने की कृपा की और 06.03.2019 को इसे वापस करने योग्य बनाया। तदनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के संबंधित कार्यालय ने निर्णय ऋणदाता यानी इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को पूर्वोक्त नोटिस जारी किया। यह मामला माननीय न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के अधीन था। फिर भी, मामला 06.03.2019 को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इस मामले को आगे 12.03.2019 को सूचीबद्ध किया गया परंतु इस मामले को उठाया नहीं गया। मामले को फिर से सूचीबद्ध किया गया और 13.03.2019 को लिया गया जब अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को याचिका की प्रति आगे की सेवा के लिए निर्देशित करने की कृपा की और इस मामले की सुनवाई 19.03.2019 को होगी। यह मामला 19.03.2019 को उठाया गया था और सभी वकीलों को सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने पखवाड़े के तहत और आरबि ट्रेशन एवं कान्सिलीयेसन अधिनियम 2015 (संशोधित) की धारा 34 के तहत लंबित आवेदन के लिए स्टे आर्डर प्राप्त करने की अनुमति देने की कृपा की। मामले को आगे की कार्यवाही और निर्देशों के लिए पखवाड़े के बाद सुना जाएगा।		

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
9	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलेट ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली (ईपीएफटी) में भविष्य निधि विषयक मामला ए टी ए 2016 का सं. 299(15) और सी जी आई टी केस नं. अपील नं. 09 का ई पी एफ 2016	2016	सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षे. का. कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (बी) एवं 7 (क्यू) के अधीन कुल 96,773/- रुपये की क्षति पूर्ति दावा किया है| कई बार सुनवाई के बाद एपीएफसी क्षे. का. कोलकाता ने फिर 15.02.2016 के आदेश के जरिए कथित अधिनियम की धारा 14(बी) के अधीन उपरोक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया है| कंपनी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राइब्यूनल, नई दिल्ली में चुनौती दी गई है|	66,43,791/- रुपए	कंपनी ने उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदन दायर किया है एवं इसके प्रत्युत्तर में ट्राईब्यूनल के निर्देशानुसार प्रतिवादी भी दायर किया है| ट्राईब्यूनल ने मूल्यांकित राशि का 50% जमा करने का आदेश दिया है| इस बीच कंपनी ने ई पी एफ ओ, कोलकाता द्वारा कोई जबरदस्ती कदम उठाने से रोकने के लिए प्रार्थना करते हुए एक अंतरिम आवेदन फ़ाइल किया है एवं जमा करने के विचार से जी बीबीयूएनएल आरपीएफआई (ट्रस्ट) के बचत खाते में है| विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 22.09.2016 के आदेश के जरिये 16,76,335/- रुपये जमा करने का आदेश दिया है| कंपनी ने उक्त रकम को 01.10.2016 क्षे. का. कोलकाता के पास जमा कर दी है| सुनवाई की अगली तारीख 10.07.2017 थी| इस बीच 26.05.2017 की अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय सरकार ने ई पी एफ टी, दिल्ली और बेंगलुरु को समाप्त कर दिया है तथा उक्त ट्राईब्यूनल में लंबित मामले अब संबंधित राज्य के केंद्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनल-सह-लेबर-कोर्ट (सीजीआईटी) में स्थानांतरित हो जाएगी|	सीजीआईटी द्वारा 05.10.2018 को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है । केस इटाया गया और कंपनी ने वकालतनामा फाईल की। पहले सुनवाई की तारीख 16.10.2018 और 10.01.2019 को स्थगित कर दिया गया था| यह मार्मला 29.03.3019 को उठाया गया था । प्रतिवादी के अधिवक्ताओं द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करने के कारण, विद्वान न्यायालय ने एक बार अनुमति दी और मामले को स्थगित कर दिया और सुनवाई के लिए 07.06.2019 को नियत किया।	सीजीआईटी, कोलकाता
10	मध्यस्थता अपील एपी संख्या – 2010 का 738 (सीवटेक का मामला – बीबीजे बनाम सीवटेक)	2010	मेसर्स बीबीजे के खिलाफ पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका को दिसंबर 2010 के दौरान कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था । तब से यह मामला लंबित है।	17 लाख रुपये +ब्याज	लंबित	इस मामले की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कलकत्ता में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता (मूल पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
11	मध्यस्थता अपील एए नं. 2010 का 1 (कुंवरी प्रथम ब्रिज कंट्राक्ट मामला नार्थ सेंट्रल रेलवेज – बनाम- बीबीजे)	2010	काम का ठेका तथ्य: मेसर्स बीबीजे के पक्ष के शून्य दायिता एवार्ड पारित| नार्थ सेंट्रल रेलवेज ने कथित एवार्ड को आब्रिटेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा – 34 के तहत विद्वान ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है| मेसर्स बीबीजे को कोई प्रतिलिपि नहीं दी गई है, इसलिए किसी को रखा नहीं गया है। फिर भी नार्थ सेंट्रल रेलवेज का कथित दावा खारिज कर दी गई है एवं दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया है। नार्थ सेंट्रल रेलवेज ने अपकृत होकर विद्वान जिला न्यायालय के कथित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के ग्वालियर पीठ के समक्ष चुनौती दी है| मेसर्स बीबीजे को अपूर्ण प्रतिलिपि दी गई है\। एवं मेसर्स बीबीजे को अपील पर आपत्ति दायर करना है\। कांउन्सेल: श्री कैलाश नारायण गुप्ता, वरिष्ठ वकील	शून्य दायिता	लंबित	यह मामला माननीय न्यायमूर्ति संजय यादव और माननीय न्यायधीश विवेक अग्रवाल की डिविज़न बेंच के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. (ग्वालियर शाखा)
12	सिविल अपील बीबीजे द्वारा के ओ पी टी के विरूद्ध माननीय जिला न्यायाधीध, अलीपुर के समक्ष 2017 के दौरान फाइल किया गया है। मामला संख्या 2017 का पीपी 6, रिकॉर्ड में वकील सैण्डर्सन्स एण्ड मोरगन्स । अनुमानित राशि 10.57 लाख रु.+ब्याज	2017			विवद ब्याज के साथ 10.57 लाख रुपए की बकाया किराया का है। मामला कोर्ट के उपर्युक्त क्षेत्राधिकार द्वारा रोक दिया गया है। सुनवाई के लिए लंबित है।		
13	सिविल अपील, पीपी अपील संख्या 2017 का 6, (विक्टोरिया हाऊस मामला बीबीजे - बनाम - के ओ पी टी)	2017	यह मामला लोक भवन (अनधिकृत कब्जे से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7 (3) के तहत बीबीजे के खिलाफ 01.04.1988 से 31.03.1989 तक 'विक्टोरिया वर्क्स' के अनधिकृत रुप से कब्जा करने से हुइ्र क्षति के लिए रु.10,57,878 भुगतान करने के लिए है । बीबीजे द्वारा विभिन्न आधारों पर एस्टेट ऑफिसर के समक्ष केओपीटी के दावे को चुनौती दी गई थी। 08.03.2017 को एक प्रतिवादी आदेश द्वारा केओपीटी के विद्वान एस्टेट अधिकारी ने केओपीटी के दावों को सही ठहराया। उक्त आदेश से खिन्न होकर विगत 08.03.2017 को बीबीजे ने अलीपुर में विद्वान डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष यह अपील दायर की।	रु.10,57,878/- + लंबित ब्याज (केओपीटी का कुल दावा 50 लाख)	लंबित	मामला सुनवाई के लिए तय है। तृतीय अतिरिक्त जिला जज, 22.06.2017 के आदेश के जरिए कोएपीटी के सम्पदा अधिकारी द्वारा लगाए गए विरोध भुगतान आदेश पर रोक लगा दी गई।	विद्वान न्यायाधीश, जिला जज, अलीपुर

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
14	मध्यस्थता अपील आब्रिट्रेशन नं. 2018 का 21(चंबल द्वितीय ब्रिज कंट्राक्ट मामला नार्थ सेंट्रल रेलवेज – बनाम- बीबीजे)	2018	• एक शून्य देयता आब्रिट्रेशन फैसला दिनांक 07.04.2018 को मेसर्स बीबीजे के पक्ष में पारित किया गया था । उत्तर मध्य रेलवे ने जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उ.प्र. के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (आब्रिट्रेशन केस संख्या - 2018 का 21) के तहत उक्त फैसले को चुनौती दी। • बीबीजे ने 16.07.2018 को सम्मन प्राप्त किया और अब विद्वान जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उ.प्र. के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील लड़ रहा है।	शून्य दायिता	लंबित	यह मामला विद्वान न्यायाधीश के कोर्ट, जिला जज, इलाहाबाद, यूपी के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान न्यायाधीश के कोर्ट, जिला जज, इलाहाबाद, यूपी
15	मध्यस्थता अपील आब्रिट्रेशन नं. 2019 का 2 (जोगीगोपा ब्रिज कंट्राक्ट मामला नार्थ सीमांत रेलवे – बनाम- बीबीजे)	2019	मामला असम में निर्मित जोगीघोपा पुल से संबंधित है। मेसर्स बीबीजे के पक्ष में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले के अनुपालन में हालांकि, उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा आंशिक भुगतान किया गया था और दूसरा हिस्सा बिना किसी विवाद के एन एफ रेलवे के इशारे पर सुलह की प्रतीक्षा के कारण बना रहा है। एन एफ रेलवे ने गौहाटी में लर्नड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष अवार्ड को चुनौती दी । 23.07.2014 को, विद्वान जिला जज, कामरूप, गौहाटी ने एन एन रेलवे के दावा को खारिज कर दिया। 351 दिनों की देरी के बाद एन एफ रेलवे ने माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आब्रिट्रेशन अपील दायर की।	शून्य दायिता	लंबित	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, गौहाटी के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, गौहाटी

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
16	आब्रिट्रेशन याचिकाआग्रह नं. 2018 का 175 (मुगलसराय परियोजना मामला : बीबीजे – बनाम- ईस्ट सेंट्रल रेलवे)	2018	• पूर्व मध्य रेलवे के विरूद्ध बीबीजे के वैध दावे के बारे में रु .40.77 करोड़ (+ 18% ब्याज) के बारे में उनके द्वारा ठेके की गैरकानूनी समापन का विवाद पहले माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया था। • माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया था और पूर्व मध्य रेलवे को पीबीजी या बीबीजे द्वारा प्रस्तुत किसी भी अन्य प्रतिभूति को, पूर्व मध्य रेलवे ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन तक नकदीकरण करने से रोक दिया था । आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो कि जीसीसी के अनुसार आर्बिट्रेटर (रों) की नियुक्ति के तुरंत बाद शुरू होने जा रहा है। • नोटिस दिनांक 11.07.2018 के जरिए बीबीजे ने पूर्व मध्य रेलवे से मध्यस्थता की मांग की। लेकिन वे आज तक जवाब देने में असफल रहे। • अब, बीबीजे ने विवाद को ठीक से और निष्पक्ष रूप से निर्णय करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तत्काल नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत यह आवेदन दायर किया है।	रु. 40,77,31,094.00 + ब्याज 18%	लंबित	यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च माननीय उच्च न्यायालय की न्यायाधिकार, पटना
17	आब्रिट्रेशन प्रकिया (संदर्भ : ए. पी. नं. 2018 का 205) (बिमलग – चंपाझारन परियोजना बीबीजे – बनाम- साउथ ईस्टर्न रेलवे)	2019	• दक्षिण पूर्व रेलवे के खिलाफ बीबीजे के रु. 2.68 करोड़ का वैध दावा के बारे में विवाद की मध्यस्थता करने के लिए सुपुर्द किया गया था जो कि जीसीसी के अनुसार मध्यस्थ (थो) की नियुक्ति के तुरंत बाद शुरू होने जा रहा है। • आब्रिट्रेशन याचिका (ए. पी.) नं. 2018 का 205, माननीय न्यायमूर्ति आशीष कुमार चक्रवर्ती, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वर्तमान अर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को नियुक्त किया है।	रु. 2,68,00,773.00 + ब्याज	लंबित	पहली बैठक 15.03.2019 को आयोजित की गई थी।	अर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में - श्री तरुण कुमार, पीठासीन मध्यस्थ, श्री डी.के. मंडल, सह मध्यस्थ, श्री अर्जुन रक्षित, सह मध्यस्थ थे।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
18	आब्रिट्रेशन याचिका ए. पी. नं. 2018 का 69 (मनोहरपुर – बोंडा मुंडा आब्रिट्रेशन मामला बीबीजे – बनाम- साउथ ईस्टर्न रेलवे)	2019	• बीबीजे के विरूद्ध रु.13.99 के वैध दावे के बारे में विवाद आरवीएनएल के खिलाफ दिनांक 11.10.2018 को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित मध्यस्थता फैसला के लिए सुपुर्द किया गया था, जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने केवल बीबीजे के दावे को 'देरी की क्षतिपूर्ति की वापसी' और 'बैंक गारंटी शुल्क की वापसी' की अनुमति दी थी, साथ ही भुगतान की तारीख से कटौती की तारीख से 12% के अंतर सहित (जो कुल मिलाकर लगभग 2.21 करोड़ रुपये है) । बीबीजे के अन्य दावों की अनुमति नहीं थी। • इसलिए कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.10.2018 को अंतिम फैसला के खिलाफ अपील दायर करने का निर्णय लिया है।	रु. 13,99,45,943/-	लंबित	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष मामला लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली
19	आब्रिट्रेशन अपील (डायरी नं. 2019 का 122993 (काठजोडी नदी – ब्रिज आब्रिट्रेशन मामला बीबीजे – बनाम- आरवीएनएल)	2019	• बीबीजे के विरूद्ध रु.13.99 के वैध दावे के बारे में विवाद आरवीएनएल के खिलाफ दिनांक 11.10.2018 को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित मध्यस्थता फैसला के लिए सुपुर्द किया गया था, जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने केवल बीबीजे के दावे को 'देरी की क्षतिपूर्ति की वापसी' और 'बैंक गारंटी शुल्क की वापसी' की अनुमति दी थी, साथ ही भुगतान की तारीख से कटौती की तारीख से 12% के अंतर सहित (जो कुल मिलाकर लगभग 2.21 करोड़ रुपये है) । बीबीजे के अन्य दावों की अनुमति नहीं थी। • इसलिए कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.10.2018 को अंतिम फैसला के खिलाफ अपील दायर करने का निर्णय लिया है।	रु. 4,92,55,482/- + ब्याज	लंबित	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) के समक्ष मामला सुनवाई कं लिए सूचीबद्ध है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
20	आब्रिट्रेशन याचिका (संदर्भ ए.पी. नं. 2019 का 188, ए.पी. नं. 2018 का 330 से उठा) (सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन परियोजना) बीबीजे – बनाम - ईस्टर्न रेलवे)	2019	• पूर्व रेलवे के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही 2012 से लंबित है। • आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के सात साल बीतने के बावजूद, केवल एक मध्यस्थ बैठक 31.07.2014 को आयोजित की गई है और मध्यस्थता कार्यवाही में आगे कोई विकास नहीं हुआ है। • यह कि बीबीजे के पूर्व रेलवे के खिलाफ रु.1.20 करोड़ का भारी दावा स्वीकृत है और अन्य दावे भी हैं जिन्हें आर्बिट्रेशन में अधिनिर्णय किये जाने की जरूरत है। • बीबीजे से कई पत्र प्राप्त करने के बावजूद, महाप्रबंधक, ईस्टर्न रेलवे और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बीबीजे द्वारा उठाए गए आर्बिट्रल विवाद पर फैसला करने और उसमें आवश्यक अवार्ड पारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहें और जानबूझकर उपेक्षित किये हैं। • इसलिए, बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच लंबे समय से लंबित विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ टाईब्यूनल नियुक्त करने और इस लंबित विवाद में अधिनिर्णय करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष 2018 की 330 दाखिल किया। • 28.06.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने बीबीजे की प्रार्थना की अनुमति देते हुए आर्बिट्रल टाईब्यूनल को फरवरी, 2019 के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उक्त आदेश की उपेक्षा की और फरवरी, 2019 के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने में विफल रहा। • कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलने पर, कंपनी ने पूर्व रेलवे और उसके जी.एम. के खिलाफ उक्त आदेश की अवहेलना के लिए दिनांक 28.06.2018 को वर्तमान आब्रिट्रेशन याचिका दायर की।	रु. 4,92,55,482/- + ब्याज	लंबित	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) के समक्ष मामला सुनवाई कं लिए सूचीबद्ध है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (क) क़ानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रु. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
21	सेवा मामला केस नं. VIII/241/2001, बीबीजे – बनाम - तरूण घोषाल	2001	श्री तरुण घोषाल को 08.07.1996 से "गैन्ट्री ऑपरेटर" के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था । बीबीजे के 06.05.2000 के एक नोटिस द्वारा, श्री तरुण घोषाल की सेवा समाप्त कर दी गई। उक्त बर्खस्तगी के खिलाफ श्री तरुण घोषाल द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत वर्तमान मामला दायर किया गया था । दिनांक 28.01.2009 के एक आदेश द्वारा प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, प.बं. ने श्री तरुण घोषाल के पक्ष में एक अंतरिम राहत प्रदान की थी। यह मामला अभी भी बहस के लिए लंबित है। बीबीजे लिखित बयान दर्ज करके, गवाहों को जोड़कर और निजी जासूस एजेंसी की जांच रिपोर्ट दाखिल करके मामले को लड़ रही है।	सेवा मामला	लंबित	मामला बहस के लिए तय हो गया है।	विद्वान प्रथम औद्योगिक ट्रिब्यूनल, पश्चिम बंगाल
22	सेवा मामला रि.या. नं. 2018 का 18933(डब्ल्यू), बीबीजे – बनाम - पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्यान्य	2018	• माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष तत्काल लिखित याचिका दायर की गयी है, जो कि तरुण घोषाल के मामले में विद्वान प्रथम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, पश्चिम बंगाल द्वारा पारित आदेश संख्या 230, दिनांक 20.04.2018 को चुनौती देती है (केस संख्या VII/241/2001)। • दिनांक 20.04.2018 के उक्त आदेश में विद्वान ट्रिब्यूनल ने बीबीजे के आवेदन को श्री तरुण घोषाल के विशिष्ट प्रश्नों पर 'री-क्रॉस जांच' करने के लिए खारिज कर दिया था कि क्या साक्ष्य के पूरा होने के बाद भी वह नियोजित है या नहीं, जो यह निर्धारित करेगी कि वह किसी भी अंतरिम राहत पाने का हकदार है। • श्री तरुण घोषाल के 2000 से 2017 तक के रोजगार में रहने के बारे में बीबीजे के दावे के समर्थन में, बीबीजे ने विद्वान ट्रिब्यूनल के समक्ष निजी जासूस एजेंसी की गुप्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। • विद्वान ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 20.04.2018 से खिन्न होकर बीबीजे ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष त्वरित रिट याचिका दायर की है, जिसमें उचित न्याय की मांग की गई है।	सेवा मामला	लंबित	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 (ख) यहाँ निम्नलिखित दो विषय भी हैं, जिसमें कंपनी और यूओआई औपचारिक परिवादी हैं एवं भाउवि के निर्देशानुसार कंपनी ने मुकदमों में हाज़िर हो कर हलफनामा आदि दायर की है|

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारम्भ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है(रू. में)	केसों की वर्त्तमान स्थिति	लंबित पड़े या विद्यमान रहने का कारण। मॉनिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमा 2013 का एसएलपी (सिविल) संख्या 33210	2013	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स समादरिया बिल्डर्स एवं अन्य यूओआई एवं बीबीयूएनएल प्रतिवादी सं. 2 और 3 हैं।	अभी तय करना है।	बीएससीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली 8.8646 एकड़ जमीन जबलपुर(मप्र) में है। माननीय बीआईएफआर पीठ के साथ-साथ भारत सरकार के अनुमोदन करने पर बीएससीएल ने वर्ष 2002 में एमएसटीसी के जरिए जमीन की बिक्री करने की चेष्टा की तब बीएससीएल बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी थी। मेसर्स समादरिया बिल्डर्स सर्वोच्च बोली लगाने वाला था। रेलवे ने प्रक्रिया के दौरान जमीन लेना चाहा और इसीलिए ईएमडी आदि निरस्त कर दिया गया| फिर प्रक्रिया में देर हो जाने से रेलवे ने भी बीबीयूएनएल को सूचित किया कि वे जमीन लेने में इच्छुक नहीं हैं। तत्पश्चात, बीएससीएल ने मई, 2005 में कथित जमीन की बिक्री के लिए नई एनआईटी जारी की। मेसर्स समादरिया ने नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर ने 26.06.2003 को उक्त रिट याचिका के निपटारा हेतु यह निदेश कि दिया यदि मेसर्स समादरिया बिल्डर्स द्वारा पहले की बोली से दुगुनी राशि का प्रस्ताव दी जाती है तो बीएससीएल विषय को अंतिम रूप दे सकती है और नियत राशि प्राप्त करने के बाद संलेख आदि निष्पादित कर सकती है। बीएससीएल 26.06.2003 के उक्त आदेश से उपकृत होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम राहत हेतु प्रार्थना करते हुए 2013 की (सिविल) सं. 33210 दायर की है। इस अपील म यूंआओई (स चव भी. स., भाउ एवं लोउ मंत्रालय, भाउवि के माध्यम से सवो) तथा बीबीयूएनएल प्रतिवादी सं. 2 और 3 हैं।	भाउवि द्वारा दी गई सलाह के मुताबिक, पूर्ववर्ती भाभउनिलि ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शपथ पत्र दायर किया था। जब यह विषय 31.08.2015 को आया तो बीएससीएल के अन्य तीन मामले एसएलपी सं. 21827 से 21830/2014 भी इस मामले एसएलपी सं. 33210/2013 के साथ जो दिए गए थे। प्रतिवादियों ने जोड़े विषय पर प्रति-हलफनामा एवं प्रतिप्रत्युत्तर दायर करने के लिए समय लिया है । यह मामला आगे 02.05.2018 को सुनवाई के लिए आया और जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के प्रार्थना पर अतिरिक्त कागजात दाखिल करने के लिए मामले को चार सप्ताह के लिए और स्थगित कर दिया गया यह मामला 31.07.2018 को सुनवाई के लिए आया और माननीय न्यायालय ने प्रार्थना के अनुसार लंबित अपील, जारी रखने के लिए अंतरिम आदेश अनुमति प्रदान करने की कृपा की। मामला आगे अभी आना बाकी है और 31.03.2019 तक लंबित है। भाउवि ने कंपनी को इस केस में रेलवे मंत्रालय का नाम आने तक या कोर्ट द्वारा सूची से भाउवि के नाम हटाने के आदेश देने तक मामले की स्थिति रिपोर्ट रखने को कहा।	भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

41 वर्ष 2005-06 के दौरान जेसप एण्ड कं. लि. ने औद्योगिकु एवं वित्तीय पनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) के पास इक्विटी शेयरों के नाममात्र मल्य 10 रु. से 1 रु निर्धारित (कम) करने के लिए आवेदन किया है। बीआईएफआर ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों से जेसप एण्ड कं. लि. को कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 100,101,102 एवं 103 के अधीन प्रावधानों की शर्तों के मुताबिक इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने करने के लिए अनुमति प्रदान की है।

कंपनी ने बीआईएफआर के पूर्वोक्त निर्देशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद के अपीलीय प्राधिकारी (बीआईएफआर) के समक्ष रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा-25 के अधीन एक अपील भी दायर की है। एएआईएफआर ने दिनांक 28.02.2008 के अपने आदेश द्वारा दूसरे अपील के साथ कंपनी द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया है जबकि एक अपील पहले उठा लिया गया है।

कंपनी ने एएएफआईआर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च-न्यायालय कोलकाता में एक रिट याचिका दायर की है, जो आज की तारीख पर निपटारा के लिए लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003 को विवाद को कंपनी द्वारा इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि (जेसप से रणनीति भागीदार) के बीच "शेयरधारकों के करारनामे के अनुसार मध्यस्थता के लिए सुपुर्द किया है। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद लेखांकन मानकों एवं सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लेखा बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा।

42 भारत सरकार के दिनांक 26.08.2003 के पत्रांक 17(12)/2000 पी.ई. III द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) एवं इन्डो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच एवं उनके द्वारा निष्पादित शेयर खरीद करारनामा की शर्तों के मुताबिक जेसप का 6,81,34,428 अदद (यानी 72 प्रतिशत) इक्विटी शेयरों का बिक्री हस्तान्तरण कंपनी द्वारा 29.08.2003 को 1818.00 लाख रु. की एवज में इन्डो वैगन इंजीनियरिंग लि. के पक्ष में कर दिया गया। प्रचलित कानून के अधीन अनुपालन लंबित रहने पर 1818.00 लाख रु.(1,818.00 लाख रु.) उगाही की गई समूची बिक्री राशि को भारत सरकार को अंतरित कर दी गई है।

43 व्यापार प्राप्य में लकवा परियोजना कार्य के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से गैर वर्तमान परिसंपत्तियों की 38.98 लाख रुपये (विगत वर्ष - 38.98 लाख) बकाया है, जो पूरा होने के पहले 2009-10 में बंद हो गया था एवं उपर्युक्त कार्य से संबंधित चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में 42.29 लाख रुपये (विगत वर्ष - 42.29 लाख) की अवरोधन जमा एवं 37.49 लाख रुपये (विगत वर्ष - 37.49 लाख) की प्रतिभूति जमा शामिल है। चूंकि बही में दिखायी गयी 126.46 लाख रुपये (विगत वर्ष - 126.46 लाख) की सदृश समष्टि राशि बीएचईएल को देय है, कंपनी ने बीएचईएल से प्राप्य प्रतिभूति जमा एवं अवरोधन धन पर संदिग्ध कर्ज के लिए किसी भत्ते की नहीं सोची है।

44 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने गेबन गणराज्य में बिकेले टाउनशिप के करीब यूनिट के विनिर्माण के लिए बीसीडी इनगाब कंसोरटियम के नाम के तहत कंसोरटियम व्यवस्था में प्रवेश किया है। विभिन्न शीर्षों यथा कि गारंटी प्रभार, यात्रा, संस्थापन खर्च आदि पर हुए वास्तविक व्यय को छोड़कर कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं (कंसोरटियम भागीदार से हुए करारनामे के मुताबिक) का कुल मिलाकर मूल्य 2.75 करोड़ रु. तक निर्धारित था। कंपनी ने अपनी परिभाषित भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के अंश के रूप में कंसोरटियम को जारी की गयी समान राशि का मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध गेबन सरकार के पक्ष में 725,000 अमेरिकी डॉलर (परियोजना आदेश मूल्य का 5 प्रतिशत) कार्यनिष्पादन की गारंटी दी है। कंपनी ऐसी गारंटी (इस समय वैधता की अवधि समाप्त हो गयी) देने के लिए कंसोरटियम से मार्जिन धन प्राप्त की है।

कंपनी ने परियोजना के निष्पादन में संतोषजनक प्रगति न होने से वहां से सम्मानपूर्वक बाहर आने का निर्णय किया है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है।

तथापि वर्तमान करारनामे के मुताबिक परियोजना में किसी हानि होने और / या कमी होने की दशा में कंसोरटियम भागीदार को क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, अभी तक कंपनी द्वारा किसी से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही मध्यस्थता की आवश्यकता वाला कोई विवाद उत्पन्न है।

45 वर्ष के अंत में कच्ची सामग्रियों, भंडारण आदि की मालसूची का भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक एवं बही के स्टॉक में महत्वपूर्ण फर्क नहीं होने के कारण लेखा बहियों में उचित रुप से व्यवहृत की जाती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

46 गैर-वर्तमान निवेश (टिप्पणी-13) में ईस्ट इंडिया क्लिनीक लिमिटेड में 0.16 लाख रु.(गत वर्ष-0.16 लाख रु.) की 5% नॉन रिडिमेबल रजिस्टर्ड डिबेंचर स्टॉक शामिल है, जिससे कंपनी कोई आय अर्जित नहीं करती है।

47 वर्ष 2005-06 के दौरान, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए सेवा प्रभार के रूप में वसूल किया गया 82.72 लाख रुपये जेसप एण्ड कंपनी लि. को वापस किया गया था। कंपनी ने ब्याज एवं खर्च के साथ राशि की वसूली के लिए मामला दायर की है, जो आज की तारीख तक निपटारा हेतु लंबित है।

48 कंपनी ने सहायक कंपनी, भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल'), द्वितीय स्तर सहायक कंपनी ('सहायिकाएं') को 6,588.99 लाख रुपये की मंजूर किए ऋृण और भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') को 207.25 लाख रुपये के ऋृण पर उपचित ब्याज का हिसाब में नहीं रखी है क्योंकि कंपनी की उपरोक्त सहायक कंपनियां समापन के अधीन हैं, इसलिए इनसे उगाही नहीं हो सकती है।

इसके अलावा, कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6589 लाख रुपये के ऋृण पर देय ब्याज का प्रावधान नहीं किया है, जिसका उपयोग कंपनी की पूर्वोक्त कंपनियों को ऋृण प्रदान करने के किया गया था। यदि इस तरह के ऋृण पर चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त लागत हेतु देय ब्याज (2158.30 लाख) रुपये (विगत वर्ष 2025 लाख रुपये) और भारत सरकार को देय राशि 48130.12 लाख रुपये से अधिक हुई होती। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए लाभ 2158.30 लाख रुपये, (पिछले वर्ष - 2025 लाख रु.) से कम हो गया होता।

49 आयकर विभाग के कार्यालयीन पोर्टल के मुताबिक 27.30 लाख रुपये के निर्विरोध आयकर मांग है, जिसका कंपनी के पास समुचित अभिलेख या खंडन हेतु सबूत नहीं है। तथापि, कंपनी की राय है कि भुगतान करने के लिए कोई भी राशि बकाया नहीं है, जिसका विरोध नहीं किया गया है और आयकर पोर्टल में प्रदर्शित राशि गलत हो सकती है। कंपनी उसे ठीक करने का प्रयास करेगी। तदनुसार, कोई देयता प्रदान नहीं की गई है।

50 कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, लेनदारों, ऋृणों एवं अग्रिमों आदि के शेष अनुरूप अनुषंगी अभिलेखों के शेष के अनुसार बही में शामिल किया गया है बशर्ते कि संबंधित पार्टियों एवं मिलान से आये अगर कोई परिणामिक समायोजन की पुष्टि हो। फिर भी प्रबंधन का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगति नहीं होगी। इसके अलावा, कंपनी देनदारों और लेनदारों से पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अभी तक प्राप्त पुष्टियों का मिलान कर लिया गया है। सभी प्राप्त हुए पुष्टिकरणों को ध्यान में रखते हुए शेष किसी भी तरह के मिलान या समायोजन के अधीन हैं।

51 कंपनी को निम्नलिखित साइटों के बैंक शेष के संबंध में संबंधित बैंकों से पुष्टि नहीं मिली है, जो बहुत पुराने हैं और संबंधित विवरणों के नाम उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, शेष संबंधित बैंकों से पुष्टि के अधीन अघ्ययीन हैं। इस तरह के शेष के विवरण इस प्रकार हैं :

साइटों के नाम	बैंक शेष (लाख रुपये में)
1. बोनम साइट	0.09
2. वैतरणी साइट	0.10
3. फरक्का साइट	0.03
4. कहलगांव साइट	0.01
5. कानहन साइट	0.14
6. रिहन्द साइट	0.02
7. उल्लास साइट	0.07
8. बोंदा मुंडा साइट	0.31
कुल	**0.78**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

I उपरोक्त साइटों में.47 रुपये की राशि शामिल है जो बंद साइटों के शेष राशि बतलाती है (विगत वर्ष 0.47 लाख रुपये)

ii) नकद शेष राशि में 0.01 लाख रुपये (विगत वर्ष का 0.01 लाख रुपये) बंद साइट के शेष बतलाता है, जो पहले के वर्षों से संबंधित था, जिसके लिए कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

iii) कंपनी का भारतीय स्टेट बैंक में बैंक खाता है, जिसमें 9930.12 रुपये (विगत वर्ष 9330.12) डेबिट बैलेंस है, जो बहुत पुराना है और जिसका कंपनी के पास कोई विवरण और पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसके न रहने से पिछले वर्ष की शेष राशि ही ली गई है।

52 उचित मूल्यांकन तकनीक

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक आंकड़े का उपयोग करके वित्तीय संपत्तियों या वित्तीय देनदारियों को मूल्य तय करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाए रखती है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस रकम में शामिल किया जाता है जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मूल्यांकन की तारीख पर बाजार के प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देयता का स्थानांन्तरण करने के लिए भुगतान किया जाता है।

i) इन इंस्ट्रूमेंट की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण नकदी और जमा, व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देनदार और अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से वहन योग्य रकम का अनुमान करता है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित सारणी नीचे वर्णित अनुसार स्तर 1 से स्तर 3 में समूहित कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्यांकन पदानुक्रम प्रदान करती हैं :

i) समान संपत्तियों या देनदारियों (स्तर 1) के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें। इसमें सक्रिय बाजारों में कारोबार किए गए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का उचित मूल्य शामिल है और तुलन-पत्र की तिथि पर उद्धृत बाजार मूल्यों पर आधारित हैं।

ii) उद्धृत मूल्यों के अलावा इनपुट 1 स्तर के भीतर शामिल हैं जो संपत्ति या देयता के लिए या तो सीधे (यानी, कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्य से उत्पन्न) (स्तर 2) देखे जा सकते हैं। इसमें वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का उचित मूल्य शामिल है जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं (उदाहरण के लिए, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव्स) और इसका निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के किया जाता है। ये मूल्यांकन तकनीक अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े के उपयोग को अधिकतम करती है जहां पर यह उपलब्ध है और और कंपनी के विशेष अनुमानों पर जितना संभव हो कम भरोसा किया जाय। यदि उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट हो तो इंस्ट्रूमेंट अवलोकन योग्य हैं, तो इंस्ट्रूमेंट स्तर 2 में शामिल किया गया है।

iii) संपत्ति या देयताएं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े (जो गैरअवलोकन इनपुट है) पर आधारित नहीं हैं (स्तर 3)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े पर आधारित नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट स्तर 3 में शामिल किया गया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ :

विवरण	31 मार्च 2019 को स्थित			01 अप्रैल, 2018 को स्थित		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:						
इक्विटी में निवेश	-	3,086.81	-	-	3,086.81	-
ऋणपत्रों या बॉण्ड में निवेश	-	67.80	-	-	64.37	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**3,154.61**	**-**	**-**	**3,151.18**	**-**
वित्तीय देयताएँ :						
शून्य दर ऋणपत्रों में परिवर्तित ऋण का आवंटन लंबित है	-	313.07	-	-	326.80	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**313.07**	**-**	**-**	**326.80**	**-**

31 मार्च, 2019 एवं 31 मार्च, 2018 के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 उचित मूल्य माप के बीच कोई अंतरण नहीं था तथा स्तर 3 उचित मूल्य माप से कोई अंतरण नहीं था। स्तर 3 के तहत कोई लेनदेन / शेष नहीं है।

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपार्ट के अनुसार
कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082 ई

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. : 054049
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.08.2019

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी 1986 जीओआई 041286

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर.के. मित्रा
निदेशक (वित्त)

जी.सी. यश
महाप्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव